राजस्थान विधान सभा

४७ वीं बैठक, सोमवार, दिनांक–२ अगस्त, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८ बजकर १० मिनट (मध्यान्ह पूर्व) पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १२३५

सन् ५३-५४ में शहरों तथा बड़े कस्बों के विकास के लिये सरकार द्वारा उधार व सहायता

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ५३-५४ के वर्ष में शहरों व बड़े कस्बे के इम्प्रूवमेंट के लिये कितने रुपये लोन या सहायतार्थ राज्य सरकार द्वारा दिये गये ?

(ख) उक्त रुपये में से किस २ शहर या कस्बे को कितने २ रुपये दिये गये ?

(ग) क्या यह सही है कि किशनगढ़ नगरपालिका ने किशनगढ़ के इम्प्रूवमेंट के लिये कुछ रकम की मांग की थी ?

(घ) यदि हाँ, तो कितनी रकम इसके लिये स्वीकृत की गई ?

(श्री स्वायत्त शासन मन्त्री की अनुपस्थिति में)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) गत वर्ष बड़े शहर व कस्बों की सड़कों के बनने तथा मरम्मत हेतु सरकार द्वारा ६ लाख रुपयों की सहायता प्रदान की गई थी तथा उदयपुर व अलवर को वाटर सप्लाई स्कीम के लिये १ लाख तथा ६ लाख क्रमशः कर्जा दिया गया था।

(ख) जी हां, योजना के लिए ५ लाख का कर्जा चाहा था। अन्य उन्नति के कार्यों के लिये भी ५ लाख का कर्जा चाहा था।

(ग) इसकी तालिका टेबिल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(घ) किशनगढ़ के लिए कोई रकम स्वीकृत नहीं हुई।

श्री चाँदमल मेहता—आगे का जवाब नहीं मिला :

"क्या यह सही है कि किशनगढ़ में कोई रकम की मांग की गई थी?"

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका उत्तर दे दिया गया है कि ५ लाख की मांग की गई थी।

श्री चाँदमल मेहता—क्या कारण है कि किशनगढ़ को रकम नहीं दी गई?

(श्री स्वायत्त शासन मन्त्री के द्वारा सदन में पदार्पण करने के पश्चात पुनः उत्तर पढ़ने का उपक्रम करने पर।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Is the Minister aware that a written reply has already been given.

श्री अध्यक्ष—You [Shri Jaswant Singh] should hear him first.

(विराम)

(श्री स्वायत्त शासन मन्त्री से) क्या कारण है कि किशनगढ़ को रकम नहीं दी गई?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—यह रुपया पी. डब्ल्यु. डी. के मारफत अदा होता है इसलिये इसका जवाब पी. डब्ल्यु. डी. मिनिस्टर देंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या कोटा ने राजस्थान सरकार से काफी धन-राशि की मांग की थी, अगर हाँ, तो वह कितनी थी?

Page No.3

श्री रामकरण जोशी—सरकार से बहुत बड़ी-बड़ी रकमों की मांग करते हैं इसलिये यह नहीं बताया जा सकता है कि कोटा में कितनी मांग की गई थी और झालावाड़ा में कितनी ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि अभी ज बाब दिया कि इतना रुपया खर्च हुआ है क्या इससे यह माना जावे कि इससे इस विभाग का ताल्लुक नहीं है ? क्या यह माना जावे कि किशनगढ़ के लिये आपने जो पी. डब्ल्यु. डी. का ताल्लुक बताया है वह दूसरों के लिये भी लागू है ?

श्री रामकरण जोशी—यह जो रकम बताई गई है वह स्वायत शासन विभाग द्वारा खर्च की गई है और जो रकम खर्च होती है उसका पता विभाग को रहता है। रुपया किसको एलोट किया जाता है यह डिपार्टमेंट को मालूम रहता है।

श्री चांदमल मेहता—जो रुपया लोन या सहायतार्थ सरकार की ओर से दिया गया वह कितना था और किशनगढ़ को क्यों नहीं दिया गया

श्री रामकरण जोशी—लोन इस विभाग की ओर से दिया जाता है और किशनगढ़ को भी मिलेगा।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ ने भी डेवलपमेंट के लिये लोन की माँग की थी ? उसको लोन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामकरण जोशी—वाटर सप्लाई के लिये अभी तक कोई स्कीम नहीं बनी। जब तक स्कीम बन कर सरकार के पास नहीं आवे तब तक फाइनेन्स डिपार्टमेंट से वह मन्जूर नहीं किया जा सकता।

श्री चाँदमल मेहता—क्या वाटर सप्लाई के अलावा भी इम्प्रूवमेंट के लिये सरकार से लोन की मांग की थी ?

श्री रामकरण जोशी—जो भी रकम मांगी गई थी वह जिस तरीके से मांग को जानी चाहिए उस तरीके से माँग नहीं की गई थी। इसलिये वह वापिस भेज दी गई कि इसको इस तरीके से मांग की जावे और बाद में भेजे। उस तरीके से मांग आने के बाद ही वह फाइनेन्स डिपार्टमेंट को भेजी जा सकती है।

श्री चाँदमल मेहता—रकम कब मांगी गई और कब आपने वापिस सूचना दी ?

श्री रामकरण जोशी—यह मांग, म्युनिसिपल चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले आई थी। अब तो नये चुनाव हो गये हैं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि कोई सूचना नहीं दी गई और जो सूचना दी जाने की बात है वह तथ्य के विपरीत है ?

श्री रामकरण जोशी—आखिर में आप पूरी जानकारी हासिल करके ही प्रश्न पूछते ताकि आपको शंका और शक पैदा नहीं होता।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इसकी तिथि आप बता सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—माननीय मित्र भूतपूर्व किशनगढ़ के चेयरमैन से बातचीत करके देखलें।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इस तरह की जानकारी उन्हीं से हासिल की जावे और सदन में इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जावे ?

श्री रामकरण जोशी—सदन, सदन में पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार है। किसी म्यूनिसिपेलिटी के रेकर्ड की बात यहाँ पर पूछी जावे, उसके लिये उनको वहीं से जानकारी हासिल करनी चाहिये।

श्री चाँदमल मेहता—कितना रेकर्ड...

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२३६.

जसवन्त कॉलेज के इन्टर साइन्स तथा बी. एस सी. में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की अधिक संख्या का कारण श्री एस. डी. अरोड़ा

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer:-

(a) What has been the percentage of successful candidates in the Inter Science and B. Sc. Classes in the Jaswant College, Jodhpur?

(b) Has the Goverment tried to enquire into the reasons of such a low percentage of results?

(c) Is the Government aware that a substantial part of this responsibility devolves on principal . D. Arora?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(d) Is the Government aware that the percentage of failures has been the highest in the Chemistry Section whose head is Shri S. D. Arora himself?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) पिछली युनीवर्सिटी परीक्षा में जसवन्त कॉलेज जोधपुर के आई. एस सी. और बी. एस सी के परीक्षार्थियों का परीक्षा फल निम्नलिखित रहा—

आई. एस सी.	२६. ३ प्रतिशत व मुकाबले युनिवर्सीटी के परीक्षा फल के जो ३४.५ प्रतिशत था।
बी. एस सी.	४१. ४ प्रतिशत बमुकाबले युनिवर्सीटी के परीक्षा फल के जो ४७.४ प्रतिशत था।

(ख) हां।

(ग) नहीं।

(घ) हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इतने लो परसेन्टेज (low percentage) का क्या कारण प्रतीत हुआ ?

श्री भोलानाथ—कारण इसका जो तलाश किया गया; पेपरवाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ तो मालूम हुआ कि युनिवर्सीटी का रिज़ल्ट इस साल ठीक नहीं रहा और उस परसेन्टेज को देखा गया तो कुल पेपर्स का नतीजा देखा गया। किसी पेपर में ३० प्रतिशत और किसी पेपर में ४० प्रतिशत था। सारा रिज़ल्ट ३४.२२ रहा था।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२३७

किशनगढ़ तहसील का सर्वे व सेटलमेंट कार्य तथा श्री मंगलसिंह का स्थानान्तर

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) किशनगढ़ तहसील का सर्वे सेटलमेंट का कार्य किस अधिकारी की निगरानी में सम्पन्न कराया गया ?

[श्री चाँदमल मेहता]

(२) उक्त तहसील में नकदी लगान के पर्चे तकसीम करने की अन्तिम तिथि कौनसी थी और पर्चे किस अधिकारी द्वारा वितरित किए गए ?

(३) इस तहसील में जमीनों के सम्बन्ध में कितनी उजरदारियाँ दाखिल हुई और उनमें से कितनी फैसल हो चुकी हैं ?

(४) पर्चे तकसीम होने के बाद इस तहसील में उजरदारियाँ सुनने वाले कितने अफसरों का तबादला किया जा चुका है ?

(५) क्या यह सही है कि उजरदारियाँ को फैसल करने के लिए जिन व्यक्तियों ने मौके पर पर्चे बांटे उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए इस तहसील की जनता द्वारा माँग करने पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और श्री मंगलसिंह का ट्रान्सफर भी इस तहसील से कर दिया गया ?

(६) क्या यह सही है कि श्री मंगलसिंह के इस कार्य के समाप्त करने के पहिले ही उनका अन्यत्र ट्रान्सफर कर दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—इस प्रश्न के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए अगली टर्न पर इसका जवाब दे दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२३८

श्री अध्यक्ष—श्री धूलजी भाई।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

प्रश्न संख्या १२३६

करकेड़ी स्कूल के वर्तमान प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जनता की ओर से शिकायतें

श्री चाँदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) करकेड़ी स्कूल के वर्तमान प्रधान अध्यापक के खिलाफ कितनी शिकायतें वहाँ के निवासी व ग्राम पंचायत की तरफ से सरकार के समक्ष पेश की गई ?

(२) क्या यह सही है कि उन शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया और सारे प्रार्थना-पत्र दबा लिये गये ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(१) कोई शिकायत नहीं आई।

(२) नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि हैड मास्टर के दुष्ट चरित्र होने की वजह से वहाँ की एक मिस्ट्रेस ने सरे आम उसके जूते मारे थे और गाँववालों ने शिकायत की थी ?

श्री भोलानाथ—हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। आपस में लड़ाई हुई होगी तो पुलिस में रिपोर्ट हुई होगी। सरकार के पास कोई शिकायत नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है, ग्राम पंचायत ने उनके खिलाफ रजिस्टर्ड लेटर के जरिये से शिकायत भेजी है? इसकी रसीद उसके पास मौजूद है।

श्री भोलानाथ—आपने पूछा है कि कितनी शिकायतें हुई हैं। इसका मैंने उत्तर दे दिया कि सरकार के पास एक भी शिकायत नहीं आई है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या आप बतलाने की कृपा करेंगे कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के पास अभी तक कितनी शिकायतें इसके खिलाफ आई हैं?

श्री भोलानाथ—अगर आप इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसका भी उत्तर दिया जावेगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या कारण है कि आज मास्टरों को सरे आम पीटा जाता है और सरकार के पास शिकायत तक नहीं आती?

श्री भोलानाथ—मास्टर अगर गड़बड़ करते हैं तो उन्हें क्यों नहीं पीटा जावे; जरूर पीटे जाना चाहिये।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२४०

उनियारा ठिकाने के पुनर्ग्रहण के समय सीनियर ऑफिसर तथा उनियारा ठाकुर की सील कब्जे में लेना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Revenue be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that at the time of resuming the Jagir of Thikana Uniara, the Seal of the Senior Officer and Rao Raja of Uniara was not taken into custody by the S.D.O.?

(b) Is the Government aware that even after resumption of Thikana

Page No.8

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

Uniara Muafi pattas, Muafi parchas and settlement parchas were issued by the Thikana under the seal of Senior Officer, Uniara after realising fees, etc.

[c] Is the Government aware that this fact having been brought to the notice of the Tehsildar and the S.D.O. no action was taken?

(d) Is the Government aware that in many of such parchas the fate of issue has not been mentioned?

(e) Does the Govt. propose to conduct enquiry in the matter?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(अ) जी हाँ, इसकी आवश्यकता नहीं है।

(ब) रेकॉर्ड का चार्ज लेने के पश्चात् किसी माफी पट्टे व पर्चे का देना जाहिर नहीं होती।

(स) जी नहीं।

(द) प्रश्न पैदा नहीं होती।

(ई) इस विषय में जिलाधीश से और पूछताछ की जाने के बाद कार्यवाही की जा सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(डी) के उत्तर में माननीय मन्त्रीजी ने बताया कि यह प्रश्न पैदा नहीं होता है। मैं यह जानना चाहूँगा कि जब पर्चे में डेट नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि ये ड्यू डेट के बाद के हैं या पहले के हैं। प्रश्न तो पैदा होता ही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसलिए पैदा नहीं होता है कि हमारी जानकारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस सिलसिले में सरकार जानकारी प्राप्त करने पर विचार करेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जब तक कोई स्पेसिफिक शिकायत सामने नहीं आती है तब तक अन-स्पेसिफाइड शिकायतों की जाँच नहीं होती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बिना तारीख के पर्चे हुए हैं इस सिलसिले में क्या सरकार की कोई जानकारी है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बिना तारीख के पर्चे हुए हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में जहां तक निश्चित तौर पर जानकारी न हो तब तक जाँच नहीं हो सकती है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार को या माननीय मन्त्री को यह मालूम है कि माननीय सदस्य को ऐसे सवाल पूछने में कितनी फीस मिलती है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो आप लोबी में उनसे पूछ लें।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२४१

सन् १९५३-५४ में राजस्थान यात्री-लोरियें चलाने को स्वीकृति

श्री चांदमल मेहता—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) ५३-५४ के वर्ष में राजस्थान में कुल कितनी यात्री लॉरियाँ चलाने की स्वीकृति राजस्थान सरकार द्वारा दी गई?

(ख) उक्त लॉरियां कौन २ से साल की मोडल की हैं?

(ग) उक्त लॉरियाँ में से कितनी लोरियां चालू हैं और कितनी लॉरियां ऐसी हैं जो चालू होकर बन्द गई हो हैं?

(घ) एक ही व्यक्ति या फर्म को अधिक से अधिक कितनी गाड़ियां चालू करने की इजाजत दी गई है?

(ङ) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने लॉरियाँ चलाने की आज्ञा प्राप्त कर गाड़ियाँ चालू नहीं कीं?

श्री रामकरण जोशी—(क) ७४३।

(ख) सन् १९३७ से १९५४ के मोडल की।

(ग) ६३५ चालू हैं और दो चालू होकर बन्द हो गईं।

(घ) १२.

(ङ) १०६ ने परमिट नहीं लिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२४२

सरकार द्वारा रात्रि कक्षाएं इस सेशन में बन्द करना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer:-

[a] Has the Government discontinued the Night Classes with effect from this Session? If so, why?

[b] Is the Government aware that lot of people and other Government servants were able to get further education because of the existence of the night classes ?

[c] Is the Government aware that there are lacs of families who are too poor to educate their children after say Matric; and such students have for monetary reasons to join some service?

[d] Is the Government aware that for such poor people night classes was and is the only method of getting higher education?

[e] Will the Government reconsider the question in the above light and consider the advisability of restarting the night classes?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) हाँ, प्रथम और तृतीय वर्ष की रात्रिशालायें इस वर्ष बन्द कर दी गई हैं।

(ख) यह सुविधा मुलाजमान के अतिरिक्त और लोगों को उपलब्ध नहीं थी।

(ग) सरकार को मालूम है कि बहु-संख्यक परिवार अपने बालकों को मेट्रिक तक की शिक्षा दिलाने में असमर्थ है।

(घ) सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है।

(ङ) सरकार इसको आवश्यक नहीं समझती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि आर्थिक कारणों से गरीब बच्चों को अपनी स्टडी डिस्कन्टीन्यू करनी पड़ती है? क्या दिन में काम करके रात्रि कक्षाओं में उन्हें अपनी स्टडी को फरदर प्रोसिक्यूट करने करने का मौका मिलता है?

Page No.11

श्री भोलानाथ— यह तरीका एकेडेमिकली ठीक नहीं समझा गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसको इन्ट्रोड्यूस करने के पहले एकेडेमेकली जाँच कराई गई थी ?

श्री भोलानाथ—इसकी शुरू में ही शुरूआत कर दी गई थी। इसको युनिवर्सिटी ने एग्ज़ामिन किया और उसकी इसके पक्ष में रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए इसको डिस्कन्टीन्यू कर दिया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि दूसरी स्टेट्स में ऐसी नाइट क्लासेज़ चालू हैं और वहाँ कोई ऐतराज नहीं किया गया है कि यह एकेडेमिकली उचित नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—That is neither the sphere of this House nor the Ministers are bound to reply; if they have no information.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then it is all right. I would ask another supplementary. The Senate has adopted a resolution or the Vice-chancellor-which body of the University?

श्री अध्यक्ष—The University itself.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या किसी एक्सपर्ट बोडी ने इस प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री अध्यक्ष—यूनिवर्सिटी ने ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Senate hasa dopted a resolution or the Vice chancellor; which body of the University?

श्री अध्यक्ष—Which ever may be the body-executive, Senate or whatever it may be; the University.

श्री भोलानाथ—इसके लिए युनिवर्सिटी ने एक कमेटी नियुक्त की थी और उसने इसको ठीक नहीं बतलाया है । यह युनिवर्सिटी की सीनेट ने किया हो या एग्जिक्युटिव बोडी ने, किन्तु एक कमेटी नियुक्त की गई थी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

Page No.12

प्रश्न संख्या १२४३

तहसीलों में नम्बरदारों की नियुक्तियें तथा उनके अलाउन्स

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान में ऐसी कितनी तहसीलें हैं जहाँ नम्बरदारों की नियुक्तियें हो चुकी है ?

(२) उक्त तहसीलों में से कितनी तहसीलों में नम्बरदारों को अलाउन्स दिया जाता है ?

(३) ऐसी कितनी तहसीलें हैं जहाँ नम्बरदारों को अलाउन्स नहीं दिया जाता है और वे तहसीलें कौन-कौन सी हैं ?

(४) नम्बरदारों को अलाउन्स किस-किस रेट से दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(१) जिला बीकानेर, चूरू, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा की सब तहसीलों में नम्बरदारों की नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। कोटा डिविजन की भी अभी सब तहसीलों में इस प्रकार की नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। जोधपुर डिवीजन में चौधरी नियुक्त किये जाते हैं, नम्बरदार नहीं। जयपुर डिवीजन के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(२) सब जगह नम्बरदारों को गवर्नमेंट स्वीकृत हक नम्बरदारी दिया जाता है।

(३) यह प्रश्न नहीं उठता।

(४) कोटा डिवीजनः कोटा ३ रु० आठ आना सैकड़ा, झालावाड़ तीन रु० दो आना सैकड़ा, बूंदी आठ आना सैकड़ा, जोधपुरडिवीजनः सरकार से कोई अलाउन्स नहीं दिया जाता। मलवा फन्ड की वसूली के अनुपात से दिया जाता है। बीकानेर डिविजनः ५ रुपये सैकड़ा। गंगानगर के नहरी इलाके में ३ रुपया ८ आना सैकड़ा मालगुजारी के। उदयपुर डिवीजनः माल गुजारी की वसूली पर पहले एक हजार पर ३ रुपये दो आना, दूसरे हजार पर २ रुपये ८ आने और तीसरे हजार पर १ रु० १४ आना और तीन हजार के ऊपर १ रु० ४ आना फी सैकड़ा दिया जाता है। जिला डूंगरपुर में नम्बरदारों को फी रुपया ६ पाई के हिसाब से अलाउन्स दिया जाता है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का अलाउन्स नम्बरदारों को नहीं दिया जाता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जयपुर डिवीजन की सूचना नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या बाद में दी जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बाद में दे सकता हूँ, इस वक्त नहीं।

Page No.13

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह गंगानगर जिले में किस रेट से वसूल की जाती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—गंगानगर जिले में अलग रेट है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—और दूसरे इलाकों में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लगान में समावेश करते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गंगानगर में ही ऐसा होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--जो प्रचलित तरीका है उसी के आधार पर होता है। एक तरीका कायम करना ही आवश्यक होगा और जांच करा कर इस सम्बन्ध में फिर निर्णय होगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—बीकानेर डिविजन में दूसरी जगह पाँच रुपया सैकड़ा है तो फिर गंगानगर में साढ़े तीन क्यों है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका मतलब नहरी इलाके में "कम क्यों" से है, तो यह उस वक्त के किसी आधार पर है। बीकानेर डिविजन की मिलाकर रकम ज्यादा पहुँच जाती है, इसलिए दूसरे इलाकों में पाँच सैकड़ा से अधिक नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२४४

भीलवाड़ा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष वेजेज़ निष्कृति अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Labour be pleased to answer:-

(a) What is the total number of applications under the Payment of Wages Act pending before the District Magistrate, Bhilwara ?

(b) What is the total amount involved in the pending applications ?

(c) Is the Government aware that thousands of workers have more than 3 lakhs rupees as outstanding due but unpaid wages in mica industry alone ?

(d) What steps the Government proposes to take to get the workers their due wages ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मन्त्री)—(अ) १३.

(ब) १८०८१ रुपया ६ पाई।

[श्री रामकरण जोशी]

(घ) नहीं। इसका प्रसंग केन्द्रीय सरकार से है, अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये केसेज़ कितने दिनों से पेन्डिंग हैं ?

(विराम)

श्री रामकरण जोशी—यह मैं फिर पूछ कर बता सकता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब से केसेज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ट्रान्सफर हुए, तब से कितने डिस्पोज़ ओफ हुए ?

श्री रामकरण जोशी—४८ डिस्पोज़ ओफ हुए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्रीजी का यह ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास और ड्यूटीज रहने की वजह से पेमेंट ओफ वेजेज़ एक्ट के केसेज़ का डिस्पोजल स्लो हो रहा है ?

श्री रामकरण जोशी—डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काम की इस दिशा में गवर्नमेंट ख्याल रखती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या गवर्नमेंट इस प्रश्न पर विचार करेगी कि पेमेंट ओफ वेजेज़ एक्ट के अन्तर्गत एक अलग ऑथोरिटी मुकर्रर किया जाय ?

श्री रामकरण जोशी—यह सवाल दोनों के लिए ताल्लुक रखता है, भारत सरकार के लिए और राजस्थान सरकार के लिए भी, किन्तु जहाँ तक राजस्थान सरकार का ताल्लुक है इसको ध्यान में रखेगी। माइनिंग और रेलवे के मजदूरों का केन्द्रीय सरकार से ताल्लुक है, इसलिए उसमें राजस्थान सरकार दखल नहीं दे सकती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजस्थान सरकार अपने यहाँ के पेमेंट ऑफ वेजेज़ की ओथोरीटिज़ के सिलसिले में क्या कदम उठाने का सोच रही है ?

श्री रामकरण जोशी—राजस्थान सरकार अपने संबन्धित मामलों में यदि किन्हीं अधिकारियों द्वारा ढिलाई बरती जा रही होगी तो संबन्धित व्यक्तियों को ठीक करने के लिये आदेश देगी।

प्रश्न संख्या १२४५

दरबार इन्टर कॉलेज किशनगढ़ से बाहर के अध्यापक

श्री चाँदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.15

[श्री चाँदमल मेहता]

(१) दरबार इन्टर कॉलेज किशनगढ़ में कितने अध्यापक हैं ?

(२) उक्त अध्यापकों में से किशनगढ़ सब डिविजन के बाहिर के रहने वाले कितने व्यक्ति हैं ?

(३) क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिविजन के रहने वाले अध्यापक अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिये गये ?

(४) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षामंत्री)—(१) दरबार इन्टर कॉलेज किशनगढ़ में कुल २६ अध्यापक हैं। १ प्रिन्सीपल, ५ लेक्चरार और २० अन्य।

इन अध्यापकों में से किशनगढ़ सब डिविजन के बाहिर के रहने वालों की संख्या १० है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इनके अलावा और किन्हीं अध्यापकों को हाल में स्थानान्तरित किया गया है ?

श्री भोलानाथ—हाल में एक ही किया गया है।

प्रश्न संख्या १२४६

ठिकाना उनियारा के रावराजा के पास निजी खुदकाश्त सम्पत्ति

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Revenue be pleased to answer :—

(a) How much land has been kept by the Rao Raja of Thikana Uniara for his personal Khudkasht ?

(b) Have any tanks been also kept under his private Khudkasht ? If so, how many ?

(c) Is the Government aware that the land under various tanks is being cultivated by the Rao Raja on half and half LATAI basis ?

(d) Have any forests and Dungars been kept under the personal property of the Rao Raja ? If so, what are the details ?

(e) Has any limit been fixed for keeping Thikana buildings under the Private Property of the Thikanadars ? Is the Government aware that about

Page No.16

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

50 buildings are still under the private custody of the Rao Raja Uniara as a result of which shortage of buildings is being faced for the Tehsil Headquarters ?

(f) If so, what steps the Government. propose to take in the matter ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(अ) ६३६० बीघा।

(ब) जाँच से यह प्रतीत हुआ है कि नीचे लिखे गाँवों के तालाब रावराजा साहब के कब्जे में हैं ?

उनियारा, बनेठा, ककोड़, आँवा, नगर निवारिया, सीतापुर, धारेलो, राजकोट, ल.म्बा, निमोला।

(स) इसकी सूचना नहीं है।

(द) ककोड व बनेठा के पहाड़ व जंगल राजेन्द्रकुमार के नाम से है। इस विषय में और पूछताछ की जा रही है।

(ई) जी नहीं, करीब-करीब ३६ मकानात ठिकानेदार के कब्जे में है। जी नहीं।

(एफ) इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने पर सरकार आवश्यकतानुसार कदम उठायेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कब तक पूरी रिपोर्ट आने की उम्मीद की जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रिपोर्ट माँग रखी है, १०-१५ रोज में आ जानी चाहिये।

कु'० श्री जसवन्तसिंह—क्या ये सब मामले जागीरी रिज़म्प्शन एक्ट में साफ नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बहुत साफ है।

प्रश्न संख्या १२४७

कोटा तथा झालावाड के डिस्ट्रिक्ट पंचायत अधिकारियों इत्यादि द्वारा निरीक्षण कार्य

श्री भुंझारसिंह—Will the Minister-in-charge of Local Self Government be pleased to state:—

Is it a fact that the District Panchayat Officers of Kotah and Jhalawar Districts or their staff have not made any inspection trip of the Panchayat Headquarters since the inception of Panchayat system in that area ?

[श्री झुंझारसिंह]

Is the Government aware that the people are greatly handicapped for want of proper guidance to the village panchayats by the District Panchayat Officers ?

प्रश्न संख्या १२४७

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—१. जी नहीं। निरीक्षण समय-समय पर होते रहते हैं। जब कभी निर्वाचन इत्यादि आवश्यक कार्य होते हैं तो निरीक्षण में विलम्ब हो जाता है।

२. ऐसी कोई शिकायत सरकार के समक्ष नहीं आई।

श्री झुंझारसिंह—क्या सब पंचायतों का रेगुलर इन्सपेक्शन हुआ करता है ?

श्री रामकरण जोशी—हाँ, रेगुलर इन्स्पेक्शन हुआ करता है।

राज श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि डिविजनल पंचायत आफिसर सा. की क्या क्वालिफिकेशन है ?

श्री रामकरण जोशी—यह अलग से प्रश्न है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि सब डिवीजनल पंचायत ऑफिसर सर्विस से डिसमिसशुदा हैं ?

श्री अध्यक्ष—Not within the scope of this question.

प्रश्न संख्या १२४८

सिरोही की गवर्नमेंट इण्टरमीजियट कॉलेज में एन० सी० सी० की व्यवस्था

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state:—

Is the Government intending to start N. C. C. in the Government Intermediate College at Sirohi ?

श्री भोलानाथ (शिक्षामंत्री)—हाँ एक स्कूल खोलने का विचार है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या खोलने का विचार है ?

श्री भोलानाथ—एक स्कूल खोलने का विचार है ?

Page No.18

श्री मोहब्बत सिंह—कब तक खोल देंगे ?

श्री भोलानाथ—इस सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ बात-चीत चल रही है। सब हाई-स्कूलों को इन्टर कॉलेज में तब्दील करने का विचार है और इसके बाद सब इन्टर कॉलेजों में एन.सी.सी. की ट्रेनिंग चालू कर दी जायगी।

श्री मोहब्बतसिंह—यह केवल सिरोही के लिये होगा या तमाम राजस्थान के लिये ?

श्री भोलानाथ—कुल राजस्थान में।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ए. आई. सी. सी. का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२४९

कृषकों द्वारा ५० प्रतिशत भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ रखना

श्री कुंभारसिंह—Will the Minister-in-charge of Agriculture be pleased to state:—

Why has the Government made it a condition for the cultivators to contribute 50% of the land advanced to them for agricultural purposes ?

Is the Government aware that the petty cultivators have not been able to take full advantage of the loan as a result of this obstructing condition ?

How many cultivators below 50 bighas holding in Khanpur Constituency have taken loans for the installati on of pumping sets ?

Does the Government intend to make some alterations in future ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)— १. 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत ऋण भारत सरकार के स्वीकृत नियमानुसार दिया जाता है, उसकी शर्त यही है।

२. नहीं।

३. यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

४. नियमों में परिवर्तन करने का विचार अभी नहीं है।

प्रश्न संख्या १२५०

सन् १९५३ में राजगढ़ के म्युनिसिपल बोर्ड के कार्यों के सम्बन्ध में जाँच

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Local Self be pleased to answer :—

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(1) Is it a fact that enquiry in connection with the affairs of Municipal Board of Rajgarh was conducted in the year, 1953 ?

(2) If so, what irregularities were revealed as a consequence of this enquiry ?

(3) Is it a fact that the Municipality started construction of a road and thousands of rupees were spent over this work ?

(4) Is the Government aware that this work is being neglected and the whole amount is being wasted ?

(5) Is it also a fact that notice to the Chairman of the Board for his removal on the charge of his misconduct was issued by the D. L. B. Rajasthan Jaipur ?

(6) If so, what further action has been taken in this respect ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(१) हाँ।

(२) रिपोर्ट विचाराधीन है, अतः जाँच के नतीजे को प्रकट करना उचित नहीं है।

(३) जी हाँ।

(४) हाँ, मामले की जाँच की जा रही है।

(५) जी नहीं।

(६) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १२५१

सिरोही में बालिका मिडिल तथा प्राइमरी स्कूलें खोलने की आवश्यकता

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) Is the Government aware of the great necessity of a girl's Middle School at Sirohi ? If so, does the Government intend to start Girl's Primary or Middle School at Sirohi ? If so, when ?

[श्री मोहब्बतसिंह]

(b) How many such District Head Quarters are in Rajasthan where there are no separate Girls' School, Primary or Middle ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—सिरोही में लड़कियों की स्कूल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लड़कियों को बिल्कुल अलग कर दिया है।

वहाँ पर लड़कियों का प्राइमरी स्कूल चल रहा है। मिडिल स्कूल बनाने का विचार है।

राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर ऐसा कोई नहीं है, जहाँ अलग प्राइमरी स्कूल नहीं हो।

श्री मोहब्बतसिंह-क्या प्राइमरी स्कूल में को-एज्युकेशन है ?

श्री भोलानाथ--नहीं, अब दोनों अलग-अलग शिफ्टों में पढ़ते हैं।

प्रश्न संख्या १२५२

कोटा के पूर्व शासन द्वारा महकमा बन्दत नामक विभाग का चलाया जाना

श्री भुँमारसिंह—Will the Minister in charge of Agriculture be pleased to state :—

(1) Whether the Government of former Kotah State maintained a department for the stopping of growing soil erosion in that State by the name of 'Mahakma Bandat' ?

(2) Is it a fact that there has been no construction or maintenance of Bandats since the formation of Rajasthan and the old constructions are getting destroyed for lack of supervision and care ?

(3) Does the Government intend to do something for stopping this mounting menace of soil erosion in Kotah Division in future and if so how ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(१) हाँ।

(२) राजस्थान बनने के बाद सरकार इस ओर ध्यान न दे पाई।

Page No.21

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(३) अब इस विषय में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। एक सोइल कन्ज़र्वेशन बोर्ड की स्थापना की गई। जहाँ-जहाँ कटाव से अधिक नुकसान हो रहा है उन रकबों का सर्वे किया जा रहा है और पाइलोट स्कीम तैयार की जा रही है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—किस-किस स्टेट में इस सम्बन्ध में कितना-कितना खर्चा किया जाता था?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह अलग से प्रश्न है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—इसके लिए कितना बजट प्रोवाइड हुआ है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—स्कीम तैयार हो जाने के बाद भारत सरकार के पास सबस्टेन्शियल ऐड के लिए जायगा, उसके बाद फाइनली तय होगा।

प्रश्न संख्या १२५३

बाड़मेर नगरपालिका के वर्तमान अध्यक्ष के चुनाव के विरुद्ध चुनाव-याचिका

श्री तनसिंह—क्या मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर की नगरपालिका के मौजूदा अध्यक्ष के चुनाव के विरुद्ध कोई चुनाव याचिका (इलेक्शन पीटिशन) दायर की गई थी?

(२) क्या उस पर एडीशनल कमिश्नर जोधपुर ने जाँच की थी?

(३) क्या सरकार उनकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार है।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(१) जी हाँ।

(२) जी हाँ।

(३) इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। विधि अनुसार जाँच की कॉपी दी जा सकती है।

श्री तनसिंह—जाँच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता क्यों नहीं है?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ सम्बन्धित व्यक्ति जाँच की कॉपी ले सकते हैं, सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री तनसिंह—सदन की मेज पर न रखने का क्या कारण है?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—सदन से इस बात को क्यों छिपाने की आवश्यकता है?

श्री रामकरण जोशी—सदन से छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं। कायदे से कॉपी मिल सकती है। सदन को उसमें क्यों इन्वोल्व किया जाय।

श्री तनसिंह—क्या मन्त्री महोदय को यह मालूम है, दरख्वास्त देने पर भी वह कॉपी नहीं मिली?

श्री रामकरण जोशी—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री तनसिंह—क्या अब इस प्रकार दरख्वास्त देने पर कॉपी मिल सकती है?

श्री रामकरण जोशी—जी हाँ।

श्री अध्यक्ष—Is the case sub-Judiciry.

श्री रामकरण जोशी—नो, फैसला हो चुका है।

प्रश्न संख्या १२५४

राजस्थान में कृषकों को बीज तथा खाद के प्रयोग बतलाने-सम्बन्धी

श्री भुँझारसिंह—Will the Minister in charge of Agriculture be pleased to state:—

What provision has the Government made to educate the cultivators in the use of new implements, manure and seeds in Rajasthan?

How many fieldmen are posted in Khanpur constituency to encourage the shy cultivators to use modern devices of agriculture?

Does the Government intend to do something in this respect in future?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मन्त्री)—(१) विभागीय कर्मचारी कृषकों को इन चीजों का प्रयोग समझाते हैं और डिमोन्स्ट्रेशन फार्म (demonstration farm) पर इनका उपयोग

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदर्शन, सिनेमा स्लाइड्स इत्यादि द्वारा भी इनका ज्ञान कराया जाता है।

(२) जिला झालावाड़ में ४ एग्रीकल्चर फील्डमेन काम कर रहे हैं; इनकी नियुक्ति कोन्स्टीट्युएन्सी वार नहीं होती।

(३) यह सवाल नहीं उठता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या डिमोन्स्ट्रेशन फार्म गंगानगर जिले में भी है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पदमपुर और गंगानगर दो जगह हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या उन्होंने कभी कोई डिमोन्स्ट्रेशन किया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हाँ, सिनेमा स्लाइड द्वारा वहाँ जो काम चलता है उसको देख कर लोग फायदा उठाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन फार्म्स की एवरेज कितनी कोस्ट है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह अलग से प्रश्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सिलसिले में कोई लिट्रेचर राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो एक्सपेरिमेन्ट्स किये जाते हैं उनके परिणाम वक्त-वक्त पर बताये जाते हैं। जो ऑर्डिनरी सीड के अलावा कुछ अन्य प्रकार के सीड का पता लगाया जाता है तो उनको फार्म्स में बोया जाता है और उनके परिणाम काश्तकारों तक पहुँचाये जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसे कितने बुलेटिन शाया किये गये हैं गवर्नमेंट की तरफ से; उनकी क्या तादाद है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे पास उनकी तादाद के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या एक भी बुलेटिन गवर्नमेंट द्वारा शाया किया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ए. आई. आर. में इस सम्बन्ध में लिट्रेचर भेजा गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में एक भी बुलेटिन शाया किया है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—निश्चित् सूचना तो मैं नहीं दे सकता जानकारी आप चाहते हैं, तो आपको बाद में मिल सकती है ।

प्रश्न संख्या १२५५

गाँवों तथा नगरों के समीप गोचर भूमि रखना तथा इससे बाड़मेर के कृषकों को कष्ट

श्री तनसिंह—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) हर गाँव के आस-पास कितनी भूमि गोचर के लिए रखने का सरकार का विचार है ?

(२) क्या नगरों के आस-पास भी ऐसी भूमि रहेगी ? यदि हाँ, तो कितनी ?

(३) क्या इस विषय में भी शीघ्र ही कोई कानून बनाया जा रहा है ?

(४) क्या बाड़मेर के आस-पास हाल ही में गोचर के लिए कई काश्तकारों को उनके खेतों से पृथक् किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कितने काश्तकार बेदखल किये जा रहे हैं ?

(५) क्या उन बेदखल किये जाने वाले काश्तकारों में एक अप्रेल, १९४८ से पहले के भी काश्तकार बेदखल किये जा रहे हैं ?

(६) उस तथा कथित गोचर भूमि में क्या कुछ लोगों को इमारती पट्टे भी मिल चुके हैं ? यदि हाँ, तो क्या उन्हें भी अपनी भूमि से पृथक् किया जावेगा ?

(७) ऐसी बेदखली के लिए सरकार काश्तकारों व भूमिधारों को क्या मुआवजा देने का विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(१) साधारणतया हर गाँव के लिए आधा बीघा प्रति मवेशी के हिसाब से गोचर भूमि छोड़ने के आदेश हैं ।

(२) नगरों के पास भी इतनी ही भूमि रखी जाती है, अलग कानून नहीं है ।

(३) जी नहीं, इस विषय में सरकारी आदेश दिये गये हैं ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(४) जी नहीं, कुछ काश्तकारों के गोचर भूमि पर अनधिकार कब्जा कर लेने पर उनको वहाँ से हटाया गया।

(५) किसी ने इस प्रकार की उजरदारी नहीं की।

(६) जी हाँ। क्योंकि गोचर भूमि बाड़मेर कस्बे के बिल्कुल पास से ही शुरू होती है शहर की उन्नति के लिए कुछ इमारती पट्टे किये गये हैं। शहर को बढ़ने से रोकना मुनासिब नहीं है इसलिए इनको पुनः भूमि से पृथक् करने का प्रश्न नहीं उठता।

(७) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री तनसिंह—जब सरकार ने अपने विभागीय आदेश द्वारा इस प्रकार की गोचर भूमि रखने का निश्चय किया है तो उस भूमि में आने वाले काश्तकारों को हटाने पर भी उनको मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जिन्होंने अनाधिकार कब्जा किया है उनको हटाया गया है, इसलिए मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री तनसिंह—पर, अनाधिकार कब्जा तो तब हो सकता है, यदि पहले ही गवर्नमेंट ने उस जमीन को गोचर भूमि मुकर्रर की हो; पर जो पहले से उस पर अधिकार किये हुए हैं उन काश्तकारों के सम्बन्ध में क्या कर रही है सरकार ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो सारी परिस्थितियों के अध्ययन करने का प्रश्न है। अगर किसी न किसी जमीन पर भी उन्होंने अनाधिकार कब्जा कर लिया है तब भी वह अनाधिकार कब्जा ही कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२५६

सरकारी निर्माणशालाओं के कार्यकर्त्ताओं की सेवायें राजकीय सेवा में सम्मिलित करना

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.26

[श्री रामदयाल उपाध्याय]

(क) क्या सरकारी फैक्ट्रीज़ में कार्य करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों की सेवाएँ राजकीय सेवाओं में सम्मिलित की जावेगी ?

(ख) क्या इन सरकारी कारखानों में कार्य करने वाले तमाम श्रमिकों और कर्मचारियों को वे सारी सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है जो अखिल भारतीय श्रम-कानून के अन्तर्गत अन्य कल-कारखानों के मजदूरों और कर्मचारियों को है ?

(ग) इन सरकारी कारखानों में कार्य करने वालों के वेतन का स्तर किस नियम के आधार पर रक्खा गया है ?

श्री रामकरण जोशी—(क) नहीं।

(ख) अधिकार है।

(ग) वेतन का स्तर उस स्थान में, प्रचलित मजदूरी के आधार पर निश्चित् किया जाता है।

प्रश्न सं० १२५७

बाडमेर व शिव तहसीलों में विशेष प्रकार के रोग फैलने के कारण सैकड़ों गायों की मृत्यु

श्री तनसिंह—क्या मन्त्री, कृषि विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बाडमेर व शिव तहसील में इस वर्ष गायों में एक खास प्रकार की बीमारी फैलने की वजह से सैकड़ों गायें मर चुकी हैं ?

(२) क्या उक्त बीमारी का मुकाबला करने व उसे शान्त करने में स्थानीय अमला अपर्याप्त था ?

(३) यदि हाँ, तो उसे शीघ्रातिशीघ्र रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम अब तक उठाये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मन्त्री)—(१) हाँ।

(२) नहीं। यह बीमारी नई प्रकार की थी और इसके समझने में और रोकने में कुछ समय लगा।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(३) यहाँ के डॉक्टरों के अलावा भारत सरकार की पशु-चिकित्सा-अनुसन्धानशाला, मुक्टेश्वर से दो विशेषज्ञ बुलाए गये। उन्होंने मौके पर पहुँच कर जाँच की। उनकी सलाह से बीमारी को रोकने का कार्य जारी है और अब यह बीमारी काबू में आ गई है।

श्री तनसिंह—दिल्ली से डॉक्टर वगैरह जो लोग आये उनके सिवाय भी कोई डाक्टर राजस्थान सरकार की ओर से भेजे गये थे वहाँ पर इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हाँ, यहाँ के स्थानीय डॉक्टरों को भी वहाँ भेजा गया था।

श्री तनसिंह—कितने भेजे गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—निश्चित् तादाद तो मैं नहीं कह सकता पर डिप्टी डाइरेक्टर, कुछ डॉक्टर व कम्पाउन्डर लोग वगैरह वहाँ भेजे गये थे।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह बीमारी हिन्दुस्तानी है या बाहर से इम्पोर्ट हुई है ?

(सदन में हँसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह बिल्कुल राजस्थानी है।

(हँसी)

श्री हिम्मतसिंह—कितने पशु इस बीमारी से मरे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अब तक के प्राप्त आँकड़ों के अनुसार लगभग तीन हजार के करीब पशुओं के मारे जाने का अनुमान है।

श्री हिम्मतसिंह—इसका डाइग्नोसिस क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२५८

सरूपगंज के फोरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बिना महसूल चुकाए कई मन कोयले का निर्यात

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Separate Revenue be pleased to state:—

[श्री मोहब्बतसिंह]

(a) Is it a fact that a Forest Contractor of Sarupganj has exported a number of maunds of Coal from Sarupganj without paying its customs duty ?

(b) Are there any instances in Sirohi District where the Contractors of coal have been permitted to export Coal without paying customs duty ?

(c) If not, why that particular contractor was permitted to export coal without paying customs duty ?

(d) Is the Government willing to get this matter thoroughly enquired and take steps to recover that amount ?

(e) What action the Government propose to take against that Officer who permitted the coal to be exported without duty being charged ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—१९ जुलाई को क्वेश्चन नम्बर ११०२ द्वारा इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री मोहब्बतसिंह—(डी) और (ई) का जवाब नहीं मिला है।

श्री भोलानाथ—उसमें देख लीजियेगा।

श्री मोहब्बतसिंह—उसमें नहीं था ये सवाल।

श्री भोलानाथ—आपने इन्क्वायरी के लिए सप्लीमेंटरी कर लिया था। जवाब दिया गया था कि इन्क्वायरी की जा रही है। सप्लीमेंटरी कर लिया था आपने।

श्री मोहब्बतसिंह—पर उस अफसर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और क्या ठेकेदार को नोटिस दिया गया ?

श्री भोलानाथ—उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावे, इसके पहले जाँच करने पर कोई निर्णय किया जावेगा; पर ठेकेदार के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२५१

बाड़मेर में लगी मीठिया कुए की टूटियों (नलों) पर जातियों के अनुसार बटवारा

श्री तनसिंह— क्या मंत्री स्वायत शासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

[श्री तनसिंह]

(१) क्या बाडमेर नगरपालिका की ओर से जो जन साधारण के लिये पानी की टूंटियां लगी हुई हैं उन पर खास तौर पर मीठिया कूए की टूंटियों पर जातियों के अनुसार बंटवारा किया हुआ है ?

(२) यदि हाँ, तो किस-किस जाति के लिय कितनी- कितनी टूंटियाँ नियत की गई हैं ?

(३) कुल टूंटियाँ वहाँ पर कितनी हैं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)—(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) ६६ ।

श्री तनसिंह—पहले ही नहीं था या अब नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—अब जो सरकार के पास सूचना प्राप्त है उसके अनुसार मैं उत्तर दे रहा हूँ ।

श्री तनसिंह—प्रश्न करने से पहले भी ऐसा नहीं था ?

श्री रामकरण जोशी—अब नहीं है, सवाल पूछने के टाइम पर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री तनसिंह ।

प्रश्न संख्या १२६०

राजस्थान में टिड्डी के भयंकर आक्रमण के फलस्वरूप सावनू फसल पर घातक प्रभाव

श्री तनसिंह--क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) इस वर्ष राजस्थान में टिड्डी का भयंकर आक्रमण होने के फलस्वरूप सावनू फसल पर घातक प्रभाव पड़ने वाला है ?

(२) यदि यह सत्य है तो इस विषय में राजस्थान सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मंत्री)—(१) टिडडियों का भयंकर आक्रमण शुरू हो गया है । लेकिन सावनू पर इसका घातक प्रभाव नहीं पड़ने दिया जावेगा ।

Page No.30

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(२) राजस्थान सरकार इस विषय में सतर्क है और जिलाधीशों को जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं और उनके पास टिड्डियों के आक्रमण को रोकने के लिए दवाइयों, मशीनें, जीप-गाड़ियों इत्यादि का भी उचित प्रबन्ध कर दिया गया है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह बात सही है कि बीकानेर जिले में भी इस टिड्डी दल ने भयंकर आक्रमण किया जिसमें अकेले कलेक्टर बीकानेर ने टिड्डियों को मार डाला लाखों की तादाद में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो सूचना आप मुझे दे रहे हैं और यह सूचना तो बड़ी क्रिटिकल है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या मेरे माननीय मंत्री महोदय ने इसकी खबर अखबारों में नहीं पढ़ी कि अकेले कलेक्टर ने जाकर लाखों टिड्डियों को मार डाला ?

श्री अध्यक्ष--Order ! Order !!

श्री खेतसिंह--जो गाड़ियाँ और जो पावडर मशीन आदि सरकार की ओर से भेजी गईं क्या वे इन टिड्डियों पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त थीं और क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार इन पर कन्ट्रोल करने में कितनी सक्सेसफुल हुई; जहाँ तक तथ्य है सरकार इसमें कतई सफल नहीं हुई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। रिपोर्ट से भी ऐसी बात जाहिर नहीं होती। पिछले साल भी ये पाउडर वगैरह काम में लाये गये थे और इस साल भी उपयोग में लाये जावेंगे।

श्री तनसिंह—सरकार के द्वारा इतने प्रयत्न किये जाने के बावजूद भी क्या यह सही नहीं है कि उनालू फसल खराब हो गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि सरकार के पास जो सूचना है उसके अनुसार ऐसा कोई खास दिखने वाला नुकसान नहीं होने दिया गया पिछले साल।

श्री तनसिंह—सरकार का उपयोगी प्रबन्ध नहीं होने से डेज़र्ट एरिया जो है वह टिड्डियों से बरबाद हो गया था, क्या सरकार को इसकी खबर है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—डेज़र्ट एरिया का प्रबन्ध भारत सरकार के अधिकार में है। पर वहाँ भी मेटीरियल नुकसान कोई हुआ हो, ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री तनसिंह—वहाँ हॉपर्स काफी तादाद में पैदा हुई तो क्या हॉपर्स नुकसान नहीं करती है, ऐसा माननीय मंत्री महोदय का मानना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उनके पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है इसलिये उनके द्वारा नुकसान किये जाने का कोई सवाल नहीं रहता।

श्री तनसिंह—क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हमारे ध्यान देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता और जिस हद तक सहयोग देने का सवाल है हमारे अधिकारियों ने भारत सरकार को इस काम में पूरा-पूरा सहयोग दिया। वैसे सारे काम की वहाँ की जिम्मेदारी भारत सरकार की है।

श्री तनसिंह—यहाँ की हालत को देखकर राजस्थान सरकार क्या उसमें विशेष प्रकार का सहयोग देने का विचार कर रही है; रेगिस्तानी इलाके में जो प्रबन्ध भारत सरकार ने किया है उसमें ?

श्री मोहनलाल सुखड़िया—राजस्थान सरकार का प्रबन्ध करने का प्रश्न नहीं पैदा होता। भारत सरकार की तरफ से उसके अपने तरीकों से वह सारा प्रबन्ध करती है। पर अगर वह हमारी सहयोग की मांग करेंगे तो अवश्य राजस्थान सरकार उसी आधार पर सहयोग देगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२६१

गंगानगर जिले में मामला न देने के कारण गिरफ्तारियाँ तथा उनके फलस्वरूप व्यय

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर जिले में मामला न देने के कारण कितनी गिरफ्तारियाँ हुई और जेल में रहते हुए कितना और किस प्रकार का खर्चा हुआ ?

(ख) क्या यह खर्चा सरकार ने उनकी इच्छा से किया है ?

(ग) यदि हां, तो और जो खर्चा वसूल किया जा रहा है वह क्या है और किस प्रकार का है ?

श्री मोनहलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) १४। इनके लिए २०६।१५।० निम्न प्रकार खर्च किये : रेल किराया ३६।१।०, खुराक खर्च १२५।१५।०, खस के टट्टे १८।०।० तथा मुतफरिक (मिस्लेनियस) १६।१५।०।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ख) यह खर्चा आवश्यकतानुसार उन पार्टीज़ के रुतबे को देखते हुए किया गया। इसमें उनकी जामन्दी लेने की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) व्यक्तिगत पाबन्दी में रक्खे हुए व्यक्तियों (सरकारी रकम नहीं देने के कारण) को जजमेंट डेटर्स (Jubgement debtors) के बराबर समझा जाता है। उनके ऊपर किया हुआ खर्चा उनकी बगैर रजामन्दी के वसूल किया जा सकता है जैसा कि ऑर्डर नं० २१ रूल ३९ (५) ऑफ सी० पी० सी० के अन्तर्गत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये खस के टट्टे बिना इजाजत के लगाये गये और फिर भी उनका खर्चा वसूल किया गया, यह क्यों?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ये तो जिनके लिए लगाये गये उनका रुतबा ही ऐसा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जेल से छोड़ने के बाद या यों कहिये जबर्दस्ती छोड़ने के बाद जबर्दस्ती उनको बाहर ले जाया गया, वह भी खर्चा इसमें शामिल है क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—वापिस लौटने के लिए मोटर का खर्चा भी इसमें शामिल है क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह कुल किराया इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इसमें शामिल हो सकता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या बीकानेर जेल में लाने के लिए जो खर्चा हुआ वह भी इसमें शामिल किया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह इसमें शरीक नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धू—क्या जाने का किराया भी इसमें शामिल है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इतने विस्तार से तो इसमें नहीं है। पर अगर माननीय सदस्य ऐसा चाहेंगे तो सूचना मिलने पर आगे डिटेल पेश की जा सकती है।

राजस्थान भूधारण विधेयक, १९५३, (अग्रेतर विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Legislative Business. Further discussion on the Rajasthan Tenancy Bill, 1953.

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कांग्रेसी सरकार ने कई महकमों के कानून बनाये हैं और उन सभी महकमों के कानूनों में इस काश्तकारी कानून का सबसे अधिक महत्व

[श्रीचाँदमल मेहता]

है। यह महत्वपूर्ण कानून आज से कई वर्ष पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन इसमें काफी देर हुई है। एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह बतलाने की कोशिश की है कि इस कानून को बहुत ज्यादा जटिल बनाया गया है और वह इसलिए बनाया गया है कि इसमें कुछ वकीलों की अधिकता थी। मेरी यह मान्यता है कि यह कानून जितना अच्छा बना है कि उससे वकीलों को विशेष फायदा नहीं होगा, बल्कि लिटिगेशन कम होगा। इसलिए मेरी यह भी मान्यता है कि इस कानून के बनने में जो देर हुई है वह शायद वकीलों की अधिकता होने की वजह से है क्योंकि लिटिगेशन कम होने से उनकी आमदनी कम होगी और इसीलिये शायद यह कई दिनों तक पेन्डिंग रहा है।

माननीय अध्यक्ष, इस बिल में जहाँ कई महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिनको आज के युग में प्रगतिशील कहा जायगा; वहाँ यह भी कहना पड़ेगा कि इस एक्ट में कुछ ऐसी धाराएं हैं जो हमको यह कहने के लिए मजबूर करेंगी कि यह बिल उतना प्रगतिशील नहीं है जितना कि आज के युग में होना चाहिए। इस एक्ट में कुछ ऐसी धाराएं हैं जो कुछ खास तौर से जागीरदारों को खुदकाश्त की जमीन बेचने के लिए प्रोत्साहन देने वाली हैं, एस्टेट होल्डर्स को विशेष फायदा पहुँचाने वाली हैं, मैं इनके बारे में खास तौर से निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, रिज़म्प्शन ऑफ जागीर में जो खुदकाश्त की परिभाषा बनाई गई है उसके जरिये जागीरदारों को ज्यादा से ज्यादा जमीन मिल सकेगी। जो जमीन जागीरदार स्वयं काश्त करते हैं वह तो खुदकाश्त में आती है लेकिन उनके नाम जो जमीन सेटिलमेंट में दर्ज कर ली गई है वह भी उनकी है, क्योंकि यह जो काश्तकारी कानून सामने आया है उसमें उनको और अधिक अधिकार दिये गये हैं। क्लॉज़ ८ के अन्दर यह रोक लगाई है कि वह जमीनें बेच नहीं सकते। ट्रान्सफर करने के बारे में कुछ बातें अवश्य दी गई हैं उस एक्ट में और इसमें कुछ बातें दी गई हैं, लेकिन क्लॉज़ ११ में उनको अधिकार दे दिया जाता है एक मायने में उन जमीनों के बेचने के लिए। इससे यह हुआ कि जहाँ एक ओर उन्हें बहुत बड़ी तादाद में खुदकाश्त की जमीन रखने का हक दे दिया गया है पिछले कानून में, वहाँ इस कानून में दूसरा हक दे दिया गया है उन जमीनों के बेचने के लिए, उससे फायदा उठाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, जैसी कि इसमें खुदकाश्त की डेफिनिशन है उससे यह साबित है कि वे जमीनें जो दूसरों के कब्जे में थीं और जिन्हें कि उन्होंने सेटिलमेंट के रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करा लिया गया है और जिससे कि झगड़ा पैदा हो सकता है, तो इन झगड़ों से बचने के लिए वे जागीरदार खुदकाश्त की जमीनों के बारे में यह जो मौका दिया है, तो वे उनको बेच देंगे, और बेच देने के बाद जमीनों के लिए काश्तकार क्या करें। क्लॉज़ ११ की उप धारा (२) के अन्दर यह बताया गया है कि अगर कोई इस तरह का ट्रान्सफर करता है जो धारा ८ के खिलाफ है तो उस ट्रान्सफर को इनवेलिड करते हैं लेकिन जहाँ एक आदमी को उस जमीन का ट्रान्सफर कर दिया जाता है तो इससे उसके खातेदारी हक मान लिये जाने चाहिए। इसके मायने तो यह हुए कि एक तरह से उनको यह कानून बनाते वक्त बेचने के अधिकार दिये गये हैं। मैं मानता हूँ कि सरकार को इसके बारे में सतर्क होना चाहिये कि इस बिल में इस तरह की क्लॉज़ है। मेरी मान्यता है कि जब इस बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जायगा तो इस पर मन्त्री महोदय द्वारा अवश्य विचार किया जायगा।

[श्री चाँदमल मेहता]

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि अब सरकार ने इस काश्तकारी कानून में सरकारी नौकरों के लिए हिमायत करने की कोशिश की है। खास तौर से उनको यह मौका दिया है कि अगर वह सबलेट करें तो कर सकते हैं, इसमें जरूर एक प्रोवीजो जोड़ दिया है कि सबलेटिंग के लिए कलेक्टर से आज्ञा लेनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि एक ओर जहाँ खुदकाश्त की डेफिनिशन के जरिये जागीरदारों को बड़ी-बड़ी जमीनें दी गई हैं वहाँ इस दूसरी धारा के जरिये यह कोशिश की जा रही है कि राज्य के अधिकारियों को जहाँ बड़ी-बड़ी तनख्वाह मिलती हैं उनको जागीरदार बना दिया जाय। आज की जैसी स्थिति है मैं मानता हूँ, अगर राज्य के अधिकारी जमीनों को लेना चाहें तो कोई कठिनाई नहीं हो सकती और अच्छी से अच्छी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। उसका रिजल्ट यह होगा कि भूमिहीन किसान बेचारे मारे-मारे फिरेंगे, वह पहले से जमीनों के लिए परेशान हैं। जागीरदारों को खुदकाश्त में बड़ी-बड़ी जमीनें दे दी गई हैं। जब पड़त जमीनों के एलॉटमेंट करने का मौका आयेगा तो राज्य के अधिकारियों को वह एलॉट कर दी जायगी। इससे भूमिहीन किसानों की समस्या बढ़ जायगी। मैं सोचता हूँ कि यह एक ऐसा महत्व का सवाल है कि जिसको माननीय राजस्व मन्त्रीजी गम्भीरता से सोचेंगे और काश्तकारी कानून में काश्तकारों के हकों में सोचें न कि राज्य के अधिकारियों के बारे में सोचें, जिन राज्य के अधिकारियों से जनता परेशान है, जिनके भ्रष्टाचार से जनता बहुत दुखी है।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एस्टेट होल्डर्स के नाम जो लगान जमीनों का एसेस किया गया है उनके बारे में किसानों से चार गुना तक लगान वसूली का सवाल है उसके बारे में एक माननीय सदस्य ने काफी प्रकाश डाला है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस क्लॉज़ में यह भी दिया गया है कि डेढ़ गुने से कम लगान वसूल नहीं होगा। यह मैं मानता हूँ कि इस तरह का कायदा नहीं होना चाहिए। जहाँ कि एक एस्टेट होल्डर कम लेना चाहे और किसान राजी हो तो इसके लिए सरकार यह कहे कि डेढ़ गुने से कम नहीं लेगा। इससे ज्यादा तो एस्टेट होल्डर को क्या हिमायत हो सकती है? मेरी यह भी मान्यता है कि यदि जमीन अच्छी किस्म की नहीं हुई तो किसान के ऊपर डेढ़ गुने से कम लगान नहीं देने की कैद होने से बहुत अंशों में उसे जमीन छोड़ने में भी मजबूर होना पड़ेगा।

कुछ धाराएं ऐसी हैं कि उन धाराओं पर भी कुछ कहने की आवश्यकता है। इस कानून में किसानों के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था यह की गई है कि किसानों को जो खातेदार टिनेन्ट हैं उनको मकान बनाने के लिए, शेड बनाने के लिए व बाड़ा बनाने के लिए जमीन मुफ्त मिलेगी। यह बहुत बढ़िया प्रोवीजन है। लेकिन सिर्फ खातेदारी टिनेन्ट के लिए यह व्यवस्था की गई है। तो क्या खुदकाश्त टिनेन्ट को यह हक नहीं मिलेगा? क्या गैर खातेदार टिनेन्ट को उक्त हक नहीं मिलेगा, क्या सबटिनेन्ट को नहीं मिलेगा? यह हक प्रत्येक किसान के लिए होना चाहिए और जहाँ तक मुझे किशनगढ़ स्टेट का अनुभव है मैं यह कह सकता हूँ कि इस प्रकार का कानून उन्होंने बना रखा था कि हर किसान को इस तरह से जमीन दी जा सके। इसमें यह व्यवस्था है कि जहाँ तक मकान बनाने का सवाल है वह मेटीरियल ले सकेगा उस जमीन में से, कि जिस जमीन में कि वह मकान बना सकता है तो खाते–

[श्री चाँदमल मेहता]

बार वह मेटीरियल निकाल सकेगा। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पुरानी रियासतों में जो रियायतें थीं वह इसमें जो रियायतें दी गई हैं उनसे ज्यादा मिली हुई थीं। उन रियासतों में यह रियायत थी कि कोई किसान बाहर से भी मेटीरियल लाना चाहे जैसे पत्थर बाहर से लाना चाहे, तो चूना और पत्थर या लकड़ी जो जरूरी है तो उन रियासतों में इस तरह की रियायतें दी थीं कि वह ये चीजें ला सकता है, बाहर से मुफ्त में। यहाँ जो रियायतें इस सम्बन्ध में दी गई हैं, मैं मानता हूँ कि ऐसी रियायतें पर्याप्त नहीं हैं। किसानों को जिस चीज़ की आवश्यकता हो तो चाहे वह उस जमीन से निकले चाहे दूसरी जगह से, वह फ्री ऑफ चार्ज मेटीरियल दिया जाना चाहिए।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बढ़ती हुई आबादी के कारण आजकल आबादी की जमीन की समस्या बड़ी विकट हो गई है। मौजूदा काश्तकारी कानून में यह व्यवस्था अवश्य है कि रहने के लिये व बाड़ों के लिए जमीन प्राप्त हो जावेगी लेकिन जिस गांव में जमीन है ही नहीं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि हम काश्तकारी कानून में ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन मौजूदा बिल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जिन गांवों में मकान व बाड़े बनाने के लिए जमीनें प्राप्त न हो सकें उन गांवों में काश्त की जमीनों को acquire करके भी मकान व बाड़ों के लिए जमीनें दी जानी चाहिए।

मुझे दो शब्द खातेदार Tenants के सम्बन्ध में भी निवेदन करना आवश्यक है। राजस्थान के निर्माण के पूर्व राजस्थान की रियासतों में पट्टेदार Tenants होते थे और उन लोगों ने नजराने की खुमात हासिल करके जमीनों के पट्टे भी हासिल किए थे। मौजूदा खातेदार-टिनेन्ट की परिभाषा के माफिक यदि ऐसी पट्टेवाली जमीनों पर काश्तकारी कानून लागू होने की तारीख को कोई Tenant काबिल है तो वह खातेदार Tenant मान लिया जावेगा और इस प्रकार जिन लोगों ने नजराना खर्च करके जमीनों के पट्टे कराये थे या Improvement के लिए खर्च किया था सब बेकार हो जाएगा और उन किसानों को बड़ा नुकसान होगा, इस पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में पेड़ों के सम्बन्ध में विशेष चर्चा की गई है। पहले जो रिमूवल ओफ ट्रीज़ ओर्डिनेन्स था उसको बाद में रिपील करके इस कानून में कुछ व्यवस्था की गई है। पेड़ों को जितना महत्व देना चाहिये था वह न तो रिमूवल ओफ ट्रीज़ ओर्डिनेन्स में दिया गया न इस बिल में अब दिया गया है। आज स्थिति यह है कि बुरी तरह से पेड़ काटे जाते हैं और इसमें राज्य के अधिकारियों का बड़ा हाथ होता है। इसमें एस.डी.ओ. को इतने अधिकार दे दिये गये हैं कि पेड़ काटने के लिए भी लाइसेन्स दे सकता है। रिमूवल ओफ ट्रीज़ ओर्डिनेन्स में भी इस तरह के अधिकार हैं और इसका परिणाम यह होता है कि बुरी तरह से पेड़ काटे जाते है। एस.डी.ओ. से लाइसेन्स मिलने के बाद कोई रोक नहीं है। जितना पैसा पेड़ लगाने में खर्च किया जाता है उससे कहीं अधिक पेड़ काटे जाते है। जितना पैसा पेड़ लगाने में खर्च किया जाता है उतना यदि पेड़ों की रक्षा करने में खर्च किया जाता तो बहुत बड़ी सफलता मिलती। अकेले किशनगढ़ सब डिवीजन में ५३-५४ में

[श्री चाँदमल मेहता]

पचास-साठ हजार से कम पेड़ नहीं कटे होंगे। किसानों को डोमेस्टिक परपज़ के लिये भी पेड़ काटने की इजाजत नहीं है। किसान हर काम के लिये पेड़ काट लेते हैं। अंधाधुन्ध हरे पेड़ काटे जाते हैं इस सम्बन्ध में काश्तकारों को मना करना पड़ेगा कि सिवाय एग्रीकल्चरल ट्रूज़ के पेड़ नहीं काटें। इस तरह की व्यवस्था यदि नहीं करेंगे तो हरे पेड़ कटने नहीं रुकेंगे।

रिमूअल ओफ ट्रीज़ ओर्डिनेन्स में गैर कानूनी पेड़ काटने की जो सजा की व्यवस्था थी उसको इस कानून में ढील देदी गई है, जिसे मैं समझता हूँ पेड़ों को और काटने का मौका मिलेगा। पहले अपराधी को जुर्माने की सजा के साथ-साथ लकडी जब्त करने की व्यवस्था भी थी लेकिन इस कानून में सिर्फ जुर्माने की व्यवस्था की गई है और काटी हुई लकड़ी को फोरफीट करने की व्यवस्था नहीं की गई है जो पिछले कानून में थी। इससे उनको मौका मिलेगा कि ज़्यादा से ज्यादा पेड काटे जाँय। मैं समझता हूँ, राजस्थान सरकार पेड़ों की रक्षा करना जरूरी समझती है तो जो अमेंडमेंट्स इस सिलसिले में आयेंगे उन पर गंभीरता से विचार किया जाय।

अब मुझे कुछ शब्द चरागाह के सम्बन्ध में कहने हैं। चरागाह की डेफीनेशन दी गई है कि जो जमीन समय समय पर चरागाह के लिये डिक्लेअर की जायगी व चरागाह की जमीन रहेगी। लेकिन चरागाह के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आवश्यकता इस बात की थी कि जिन चारागाह की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है और जिसको खुद काश्त में ले लिया है और यह स्थिति पैदा करदी है कि गांवों में कोई चरागाह नहीं रह गया है, इस बारे में आवश्यकता इस बात की थी कि चरागाहों की व्यवस्था इस बिल के द्वारा की जाती।

अब मुझे कुछ छोटी बातें और कहनी हैं। इस बिल के अन्तर्गत किसानों को जमीन एक्सचेन्ज करने का अधिकार है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इस तरह का मौका उनको मिलना ही चाहिये। लेकिन एक्सचेन्ज के बारे में सिर्फ उन्हीं किसानों को हक दिया है जो सिर्फ एक ही लेंड के होल्डर हैं। लेकिन यदि भिन्न-भिन्न लेंड होल्डर के टिनेन्ट्स यदि एक्सचेन्ज करना चाहें तो उनके लिये कोई व्यवस्था इस बिल में नहीं है, जिसका होना आवश्यक है।

इस तरह की और भी कई बातें हैं। मसलन लीज़ के बारे में एक साल से ज्यादा लीज़ का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिये, यह अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन अधिकारी को उसे रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। यदि यह अधिकार होता है तो एक तरफ तो यह कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है और दूसरी ओर अधिकारी रजिस्ट्रेशन करने से इन्कार कर सकता है तो इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। जहाँ रजिस्ट्रेशन ओफीसर के पास डोक्युमेंट पेश कर दिये तो रजिस्ट्रेशन कर ही देना चाहिये। रजिस्ट्रेशन नहीं करने के जो अधिकार दिये हैं वे नहीं देने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं यह आशा करता हूँ कि इसके अन्दर जिन अप्रगतिशील धाराओं की चर्चा की है उन पर माननीय मंत्रीजी अवश्य सोचेंगे ताकि यह कानून सबसे ज्यादा प्रगतिशील कहलाया जाय। ऐसी मेरी मान्यता है।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने कुछ अर्से से एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आया हुआ है और इस बिल के ऊपर पक्ष में और विपक्ष में वक्ताओं की काफी बहस हो चुकी है। हमारे सामने जो बिल है उसका अपने आप में महत्व है और वह बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन साथ ही साथ इसके पीछे जो एक भूमिका है वह भूमिका इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।

हम सब जानते हैं कि सन् ४७ में हमने किस तरह से आजादी प्राप्त की थी जो दुनियां के सामने आदर्श और उदाहरण की चीज है। वह आजादी हमने अहिंसात्मक तरीके से राजनैतिक आजादी के रूप में प्राप्त की थी। इसके साथ ही जो चीज महत्वपूर्ण होनी चाहिये, जिसके बिना आजादी ठहर नहीं सकती वह थी आर्थिक समानता और आर्थिक आजादी की। लेकिन आज का बिल जो सदन के सामने है, मैं समझती हूँ इस आर्थिक समानता और आर्थिक आजादी के सिलसिले में है। अब हमने राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल की तो उसके बाद यह जरूरी हो गया कि हम जिस आर्थिक असमानता और आर्थिक परतंत्रता के कारण इतने दुखी थे और जिसके कारण हमारा देश आजादी में थोड़ा पीछे था। वह आजादी हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब कि हम आर्थिक असमानता को भी खत्म करें। आज हमारा यह बिल, मैं समझती हूँ, आर्थिक समानता लाने में बहुत बड़ा हाथ रखता है और यदि इसमें जो कमियें बताई गई हैं उनको पूरी तरह से हटा दिया गया तो वास्तव में यह बहुत प्रगतिशील कदम होगा। इसके बनने के बाद हम महसूस करेंगे कि वास्तव में राजस्थान में राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद आर्थिक समानता और अर्थिक स्वतंत्रता का उदय हुआ है।

इस बिल का अपने आप में जो महत्व है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग-अलग रियासतों में अलग-अलग तरह के कानून प्रचलित थे उनको इकट्ठा करके एक ही कानून बनाया है, इससे काफी सुविधा होगा। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग कानूनों में जो कमियें थीं उनमें सुधार करने की जरूरत थी और इस बिल में सब बातों को एक ही जगह लाकर हम इस काबिल भी हो गये हैं कि तमाम राजस्थान का जो इन्टीग्रेशन हो गया पर जिनके बाद भी जिसकी आर्थिक तस्वीर अपूर्ण थी, उसको हम इस बिल के द्वारा पूर्ण कर पायंगे।

दूसरी बात जो इस बिल में रखी है वह यह है कि यह बहुत ही सीधा-सादा बिल है और यह इसकी विशेषता है। कई बिलों में बहुतसी पेचीदगियां होती हैं और खास तौर से ऐसे बिल में जो काश्तकारों और किसानों से ताल्लुक रखता है जो बहुत हद तक अशिक्षित हैं या जिनकी शिक्षा बहुत कम है, ऐसे लोगों के लिये जो कानून बनाया जाता है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि कानून सीधा हो, जिसे हरेक व्यक्ति समझ सके और इस बिल में यह ध्यान रखा गया है।

इस कानून के बारे में मैं कह सकती हूँ कि इसमें कोई बहुत सी पेचीदगियाँ नहीं हैं कि जिनसे कोई कठिनाई या दिमागी उलझन हो।

दूसरी विशेषता इस कानून की यह है कि यह बहुत सादा और सीधा है, हर एक इसे आसानी से समझ सकता है। जो हकूक किसानों को दिए गए हैं, उनको वे आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से पा सकते हैं और आसानी के साथ अमल में ला सकते हैं।

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

तीसरी सब से बड़ी विशेषता इस कानून की यह है कि इस कानून में यह कोशिश की गई है कि जो व्यक्ति या जो किसान जिस जमीन को जोतता है वही उसका मालिक है। अभी तक उस जमीन पर उसका हक नहीं था। कहीं होगा भी तो उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हम देखते आये हैं कि अरसों से जागीरी इलाके में और रियासतों में जिन्हें हम रियासतें कहा करते थे, किसान को, हालाँकि वह अपनी जमीन में काश्त करता था, उस जमीन को अपना खून-पसीना एक करके जोतता था और जो पैदावर करता था, उस पैदावार का जितना मुनाफा उसको मिलना चाहिये था वह मुनाफा उसको नहीं मिलता था और जो लोग बुद्धि से या तिकड़मबाजी से या पैसे के बल से उस जमीन को हथिया लेते थे वे ही उस पैदावार का मुनाफा पाते थे। आज इस कानून में यह रखा गया है कि जो जमीन को जोतता है उसका फायदा उसी को मिलेगा। तो इस तरह इस कानून से यह वर्षों से चली आ रही जो गलत परम्परा थी उसको हटा दिया गया है और आज किसान बड़ी शान्ति और संतोष के साथ महसूस कर सकता है कि जिस जमीन को, जिस खेत को हम जोतते हैं उसके मालिक हम हैं और उससे जो पैदावार होगी, जो मुनाफा होगा उसके मालिक हम हैं, वह हमारा है।

इस सबके अलावा इसमें एक और चीज लाने की कोशिश की गई है, हालाँकि वह पूरी नहीं हो पाई है, वह यह है कि जो किसान खेती पर निर्वाह करते हैं उनमें जमीन का जो असमान वितरण है उसको मिटाकर भूमि का समान वितरण किया जाय और इस असमानता को मिटाकर सब जमीन जोतने वालों को एक स्तर पर लाया जाय। आज किसी किसान के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम है, तो किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है। आज जो आर्थिक विषमता है उसको दूर करके आर्थिक समानता लाई जाय। जो आज जमीन पर निर्वाह करने वालों में आर्थिक असमानता है उसका कारण भूमि का उनमें असमान वितरण था, उसको किसी हद तक कम करके जमीन का समान वितरण किया जाय, यह इस कानून में किया जा रहा है, हालाँकि इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है; परन्तु मैं समझती हूँ कि यह हो जायगी तो यह सवाल भी हल हो जायगा।

इसके अलावा इसमें एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि जो किसानों और सरकार के बीच इन्टरमीजियेरीज (बीच के लोग) थे, जिनसे किसानों को बहुत तकलीफ हुआ करती थी और सरकार को भी बहुत नुकसान होता था उन एन्टरमीजियेरीज़ को हालाँकि पूरी तरह से तो इस बिल के द्वारा खत्म नहीं किया गया है फिर भी जितना तहलका, जितनी तकलीफ किसानों को हुआ करती थी उन्हें भी इस कानून से खत्म कर दिया गया है।

तो इस तरह से एक अच्छे टीनेन्सी बिल में जो तीन चीजें होनी चाहिए वे तीनों चीजें इस कानून में हैं। पहली बात तो यह है कि किसान को अपनी जमीन पर पूरा हक दिया गया है, किसी तरह वह अपनी जमीन से नहीं हटाया जा सकता। खातेदारी हासिल करने का जो तरीका इस बिल में रखा गया है उसमें हालाँकि दो-एक खामियाँ हैं। एक खामी तो यह है कि जो जमीन खातेदार अपनी खातेदारी में शामिल करवायेगा उस जमीन की प्राइसेज़ तय करने के लिए जो तरीका इस बिल में अपनाया गया है,

Page No.39

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

जिन बातों को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार या और कोई गवर्नमेंट ऑफीसर तय करेगा, जो प्राइसेज का स्टेन्डर्ड ध्यान में रखेगा वह तरीका बहुत पेचीदा और उलझन भरा होगा, उनको हटाकर एक दूसरा स्टेन्डर्ड बनाने का माननीय मन्त्रीजी का विचार मुझे मालूम हुआ है, वह हो जायगा तो यह दिक्कत भी दूर हो जायगी।

दूसरी खामी इसमें यह है कि जो कम्पेन्सेशन रखा है वह अधिक है। १० गुना जो कम्पेन्सेशन रखा है उसके बारे में बहुत-सी बहस हो चुकी है। किन्हीं माननीय सदस्यों की यह राय रही है कि यह कम्पेन्सेशन नहीं रखना चाहिये क्योंकि किसान उस जमीन को इतने अर्से से जोतता आया है, उस जमीन का लगान देता आया है तो क्या वजह है कि उसे अपनी जमीन हासिल करने में कम्पेन्सेशन देना पड़े। इस कम्पेन्सेशन की जो रकम रखी गई है वह कम होना चाहिये। इतनी अधिक रकम कम्पेन्सेशन की रखने का जहाँ तक सवाल है वहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट में काफी रियायतें दी हुई हैं, ऐसी सूरत में इतना अधिक कम्पेन्सेशन रखना उचित मालूम नहीं होता। इसके खिलाफ यह दलील की जाती है कि उसे कोई बेदखल नहीं कर सकते, उस जमीन को उसे मोर्टगेज करने का अधिकार है, वह जमीन को इम्प्रूव कर सकता है, इतने अधिकार दिये हैं तो कम्पेन्सेशन के बारे में भी हमें चाहिये कि अगर हम इतना क्रान्तिकारी कदम नहीं लेना चाहते कि इसे बिल्कुल ही खत्म कर दें, जैसा कि काश्मीर में किया गया है, वैसा नहीं करें तो कम्पेन्सेशन की रकम में तो कमी करें।

इस कानून की सेक्शन १५ के भाग १४ में जो जागीरी इलाके में इसके लागू न होने का लिखा गया है और जिसके लिए कि माननीय सदस्य श्री एच. के व्यास ने कहा था, वह हटा दिया जाने वाला है। इसके लिए संतोष है कि जागीरी इलाकों के काश्तकारों को भी खातेदारी की सुविधा, जो नहीं मिली थी, वह मिल जायगी और यह बहुत बड़ा काम और हो जायगा।

इस कानून में अपने आबादी के एरिया में खातेदारों को मकान बाड़े आदि बनाने का अधिकार दे दिया गया है। इसके साथ-साथ एक अमेंडमेंट आया है कि खातेदार टीनेन्ट्स के साथ-साथ अन्य टीनेन्ट्स को भी और इस तरह के और लोगों को भी यह अधिकार होना चाहिए कि उनके आबादी के एरिया में मकान, बाड़े आदि बना सकें, यह बहुत ही रीज़नेबल चीज है और मैं समझती हूँ कि माननीय मन्त्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

इस बिल की धारा ६७ ए. बी. में रेंट डेढ़ गुना, दो गुना और ४ गुना रखा गया है। तो यह जो डिफरेन्स सब टीनेन्ट के लिए रखा गया है, वह हालाँकि हो सकता है, किन्हीं कन्डीशन्स को ध्यान में रखते हुए किया गया हो; पर उसको दूर कर दिया जाय तो समय-समय पर जो दिक्कतें होती हैं वे भी दूर हो जायेंगी। यह और कन्सीडर करने के बाद में किया जा सकता है।

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

बेदखली के मामले हमारे यहाँ बहुत हुआ करते हैं। बेदखली के लिए जो यह शर्त है कि इन्स्टालमेंट्स नहीं दिए हों तो बेदखल किया जा सकता है, यह ठीक है परन्तु कहीं-कहीं ऐसा देखा जाता है कि झूठे झूठे आरोप लगा कर भी किसानों को बेदखल किया जाता है और इससे उसको बहुत परेशानी होती है। इसके लिए इस बिल में इतना ही कहा गया है कि जिस किसान को बेदखल किया गया है, इसकी जाँच के बाद मालूम हो कि बिना किसी कुसूर के झूठा आरोप लगा कर अनधिकार चेष्टा करके उसका हक गमाया गया है तो इस तरह कब्जा करने वाले को हटा दिया जायगा और इस तरह बेदखल किये गये किसान को उसकी जमीन पर वापिस कब्जा दिला दिया जायगा परन्तु इस तरह झूठा आरोप लगा कर उसको जो बेदखल किया गया है इससे उस किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, जो वह खेती कर सकता था वह मौसम निकल जाने के कारण खेती नहीं कर सकता और इस तरह उसको बहुत तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ी। इसके लिए उस पर इस कानून में कहीं पर भी पेनल्टी नहीं रखी है ताकि वह फिर बाद में कभी इस तरह किसान को परेशान न कर सके। केवल उस किसान को वापिस खेती पर लगा दिया इससे तो कहीं उसको डर नहीं रहेगा। वह सोचेगा कि अगर किसी किसान को बेदखल करता हूँ तो इससे मुझ पर कोई सजा नहीं होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो किसान को खेत वापिस दे देंगे। तो यह जुर्म तो बहुत बड़ा है, पर इसके लिये सजा कुछ नहीं रखी है। इस बड़े जुर्म को उसे महसूस कराने के लिये मन्त्री महोदय जरूर कुछ पेनल्टी की धारा इसमें लगायेंगे, ऐसी मुझे आशा है। इन थोड़ी-सी बातों के साथ साथ में यह कहना चाहती हूँ कि दो एक चीजें और भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जमीन देते समय जागीरदार किसान से अपना हक समझ कर उसको अपने घर पर बुलाते, उनसे बेगार लेते, और लाग बाग भी लेते थे। इन सब चीजों से किसानों को परेशानियाँ होती थीं। कानूनी तौर पर तो अब कोई किसी से बेगार नहीं ले सकता और हमारे इस विधान में भी है कि कोई बेगार नहीं ले सकता। हमारे इस एक्ट में भी यह है कि एस्टेट होल्डर वह बेगार नहीं ले सकेगा, प्रीमियम नहीं ले सकेगा। इस तरह की धारा बनने से किसानों को अपनी खेती में सुधार करने में बहुत आराम मिलेगा और वे लोग अपने खेतों को बड़े आराम के साथ इम्प्रूव कर सकेंगे। न उनको बेदखल किया जावेगा और न उनसे बेगार आदि ली जावेगी।

हमारे देश में जोइन्ट फेमिली सिस्टम की एक बड़ी चीज है। इससे खेती करने वालों को बहुत नुकसान होता है। एक बाप के चार बेटे और ८ पोते हैं। उनकी जमीन बंट जाती है और बंटते-बंटते इतनी बंट जाती है कि किसी के पास एक या दो बीघा मुश्किल से जमीन रह जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि जितनी रकम वे खेतों पर खर्च करते हैं वह भी उनको नहीं मिलती। इसलिए जमीन के फ्रेगमेंट को अधिक टुकड़ों में होने से रोका जावे और बन्द किया जावे और एक मिकदार कायम की जावे कि इससे ज्यादा छोटा खेत नहीं हो सकेगा। यह एक इस बिल में बहुत अच्छी चीज है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस बिल में दो तीन कमियें रह गई हैं जिनको दूर करना चाहिये और इसके बाद में यह बिल बहुत ही प्रगतिशील बिल बन सकेगा, अगर इस बिल में जो किसानों को हकूक दिये गये हैं उनको अगर किसान अच्छी तरह समझते हैं। और जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को इसको अमल में लाने में इमानदारी से काम करना चाहिए करें और ये दोनों

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

चीजें साथ साथ चलती रहे तो बहुत अच्छा होगा। (श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन) सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से समझें और काम करें और काश्तकार भी अपने हकूकों को अच्छी तरह से समझ लें, तो यह बिल में समझती हूँ कि वास्तव में हमारे देश में एक बहुत क्रान्तिकारी बिल होगा और किसानों की असुविधाओं को खत्म करेगा। हमारे देश में जो आर्थिक क्रान्ति होने जा रही है, शांति पूर्ण तरीकों से वह सम्पूर्ण हो जावेगी, ऐसा हम महसूस करेंगे।

(करतल-ध्वनि)

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय चेयरमेन, इस बिल पर कई दिनों से बहस चल रही है। मैं भी इस पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। राजस्थान की सरकार एक जनतन्त्रीय सरकार है और उसने कई कानून सदन के सामने रखे। राजस्थान में अब तक कितने ही कानून बने हैं। लेकिन देखा जावे तो अभी तक राजस्थान में काश्तकारों के हित में कोई कानून नहीं था और इस कानून को रख कर सरकार ने काश्तकारों के साथ बहुत बड़ा हित किया है। प्लानिंग कमीशन ने भूमि के लिए जो बातें बताई वे हमारे सामने हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे नागरिक हैं, मत-दाता हैं उनके लिए प्लानिंग कमीशन ने पंचवर्षीय योजना में जिन बातों का उल्लेख किया है उनमें से ऐसी बातों को मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। इसके आधार पर हमारी राजस्थान सरकार ने इस काश्तकारी विधेयक में खास तौर से काश्तकारों के लिए जो व्यवस्था की है और जो उनको हकूक दिए है वे काफी प्रगतिशील हैं और वास्तव में इनसे काश्तकारों को राहत मिलने वाली है।

आज समाज में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो खातेदार हैं और खेती नहीं करते और मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस डिवीजन की तरफ से मैं आया हूँ वहाँ आम तौर से रिवाज है कि खातेदार खुद काश्त नहीं करते और काश्तकारों से खेती कराते हैं। इसको खत्म करने के लिए यह रखा गया है कि वास्तव में जो खातेदार हैं वे अगर खेती नहीं करते हैं तो इसके मालिक नहीं बनें और उन्हीं को हक मिले जो वास्तव में खेती करते हैं। इस दृष्टि से देखा जावे तो इस बिल में यह धारा रखी गई है। इस नाते से हम मानेंगे कि जो कानून बनने जा रहा है वह काश्तकारों को राहत देने वाला है और वास्तव में इससे सरकार प्रगतिशील कदम उठा सकेगी।

आज कई ओर से एक्वायर के बारे में आवाज उठती है और जिस तरह की आवाज उठाई जाती है उसके बारे में मैं यह कहूँगा कि भारत के संविधान में मुआवजे का प्रॉविजन है। यह अलग बात है कि मुआवजा कितना दिया जावेगा। मुआवजा ८ गुना या १० गुने की बात रखी गई है। वास्तव में देखा जावे तो यह मुआवजा ८ या १० गुना जो रखा गया है अधिक है। आज समाज में जिस प्रकार घटना-चक्र तेजी से बदलता आ रहा है और जो आगे समय आने वाला है उसको देखे तो हमको मानना होगा कि उन्हीं काश्तकारों को खेती के लिये जमीन दी जावे जो वास्तव में खेती

[श्री कंवरलाल जेलिया]

करते हैं। यदि ऐसा कानून हो जावे तो कोई अन्याय नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि पीढ़ियों से जो खातेदार हैं और लोगों से खेती करवाते हैं......

श्री शम्भुसिंह—On a point of order, Sir, अभी हमारे मित्र ने १० गुने मुआवजे की बात संविधान में बताई और कहा कि प्रोवीजन है। क्या माननीय मित्र बतलादेंगे कि कि संविधान में कौन-सी धारा है जिसमें १० गुना मुआवजा देने पर खातेदार जमीन एक्वायर कर सकेगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—(अश्रव्य)

मैंने संविधान में मुआवजे की निश्चित संख्या की बात नहीं कही है।

श्री सभापति—(श्री कंवरलाल जेलिया को संबोधित करते हुए) आप बात-चीत न कीजिये, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—जो लोग जमीन पर काश्त करते हैं उनकी जमीन मानी जावेगी और खातेदार को जो गवर्नमेंट तय करेगी मुआवजा दिया जावेगा। मैं थोड़ी सी गलत बात कह गया। मुआवजा सरकार तय करेगी।

इसके अन्दर एक धारा जमीन को बेचने के लिए रखी गई है और मैं समझता हूँ कि कई कारणों से रखी गई है। वह इसलिए रखी गई है कि वह जमीन उस काश्तकार को नहीं दे सकेगा जिसके पास ६० एकड़ अन-इरिगेटेड लेन्ड और ३० एकड़ इरिगेटेड लेण्ड हो। यह इस बात का सुबूत है कि वह जमीन खातेदार को नहीं बेच सकेगा, जिसके पास इस सीमा तक जमीन है उसको नहीं बेच सकेगा, कोई भी व्यक्ति अधिक जमीन नहीं रख सकेगा और इससे यह बात साफ जाहिर है कि जमीन उसी के पास रह सकेगी जो जमीन पर खेती करता है। हमारे यहाँ जागीरदारों को जो सुविधाएं दी गई हैं ठीक है। लेकिन खातेदारी से जमीन एक्वायर करते समय जो मुआवजा सरकार तय करेगी वह न्यायोचित ही तय करेगी और इसमें शक नहीं होना चाहिये।

मैं आपका ध्यान हमारे कोटा के लेन्ड रेवेन्यू में जो जमीन गिरवी रखते हैं उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। वह यह है कि जो व्यक्ति जमीन गिरवी रखने के लिए जाता है तो जिस समय रजिस्ट्री कराता है तो उसके अन्दर यह जरूरी माना गया है कि रजिस्ट्री कराने के लिए पहले इन्दराजात को तसदीक कराना पड़ता था।

इन्तकाल तस्दीक हो जाने से पाबन्दी हो जाती है। वास्तव में दूसरे काश्तकार जमीन को रहन रखते हैं तो बेनामी की पाबन्दियां होनी चाहिए ताकि इन्तकाल तस्दीक हो जाय तो बिक्री कर

Page No.43

[श्री कंवरलाल जेलिया]

सकते हैं। रजिस्ट्री पर ही दारोमदार नहीं रहना चाहिए। मैं यह बात माननीय राजस्व मन्त्री के ध्यान में लाऊं कि वे इस बात का नोट लगा लें कि तस्दीक रखी जाना जरूरी है।

इसके साथ-साथ एस्टेट होल्डर्स रखे हैं। जागीरदारी तो खत्म हो रही है किन्तु जमींदारी का सवाल ज्यों का त्यों बना बैठा है। एस्टेट होल्डर्स रखे हैं जिनको हमारे यहां जमींदार कह सकते हैं। तो जमींदारी कायम है और इस सम्बन्ध में इस बिल में कुछ उलझन भरी धारायें हैं, ऐसा कह सकते हैं। अगर राजस्थान सरकार आगे जाकर जमींदारी के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ कर दे तो यह कहा जा सकता है कि समाज में जो थोड़ी बहुत असमानता रहती है हम उसको दूर कर रहे हैं।

कहा यह जाता है कि इस बिल में बड़ी खूबी जो रखी गई है वह बेदखली के लिए रखी गई है। आज कई भूमिहीन किसान हैं। अब तक देखा जाता रहा है कि जो किसान वर्षों से जमीन जोतता था, जिस पर खेती करता था बरसों से जागीरदार उसको छीन लेते हैं, उसके पास कोई चीज़ नहीं रह पाती है। उसको अब तक इससे छूटने के लिए कोई राहत नहीं थी। किन्तु इस बिल के तहत में एक धारा रखी गई है कि जाँच होगी कि काश्तकार अगर काश्त कर रहा था, तो क्यों उसको जबरदस्ती बेदखल किया गया और इस तरह से उसको जमीन वापिस मिल सकती है। इसको मैं प्रगति की चीज मानूंगा।

मैं खास तौर पर आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि भूमि सुधार के लिए किसानों को और भी सुविधायें दी जानी चाहिए। उस सम्बन्ध में आवश्यक जो संशोधन पेश किये जा रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाकर आवश्यक चीजों की जो कमियाँ इस बिल में रह गई हैं उनको पूरा किया जाय।

मैं यह भी कहूँगा कि जिस कानून को आप आम जनता का कानून बनाने जा रहे हैं उसको आपने अंग्रेजी में रखा है। मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि यह बिल हिन्दी में आता तो अच्छा होता जब कि हिन्दी को हमारी राष्ट्रभाषा मान चुके हैं। चूंकि राजस्थान सरकार ने, किसानों को खेती करने में राहत मिले, उनके हित सुरक्षित रहें इसलिए यह बिल पेश किया है, अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस बिल का अनुवाद हिन्दी में जल्दी ही करा दिया जाय।

सभी बातों को देखकर यदि देखा जाय तो यह बिल वास्तव में जैसा कि मुझ से पूर्व वक्ता श्रीमती कमला बाई ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए प्रगतिशील माना जा सकता है और मेरा भी यही विचार है कि इसमें कई कमियां होते हुए भी अगर देखा जाय तो यह राजस्थान के किसानों को राहत देने वाला बिल माना जा सकता है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे भूमिहीन किसानों को कोई राहत नहीं मिलेगी। मैं कहूँगा कि जो खेती करते हैं, जो भूमिहीन हैं और सब टिनेन्टस को जो हक दिये गये हैं उनसे राहत मिलने वाली है और भूमिहीनों की समस्या हल हो जाती है। दूसरा राजस्थान सरकार ने भूमि का

[श्री भंवरलाल जेलिया]

वितरण कानून बनाया है। वितरण कमेटियां रख दी गई हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हुक्म जारी किया गया है। संख्या रखी गई है। कम से कम २० बीघा जमीन प्रति व्यक्ति को दी जा सकती है और अधिक जमीन मिलेगी तो सेक्रेटेरियेट से मिलेगी। चम्बल, भाखरा और जवाई के लिए खास तौर पर जागीरी उन्मूलन कानून में रखा गया है उस माफिक मिलेगी और इस तरह से फिर सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष को अधिक जमीन मिलेगी। बिक्री के लिए ६० एकड़ और ३० एकड़ की जो पाबन्दी लगा दी गई है इससे यह सवाल भी पैदा नहीं होता है कि कोई अधिक जमीन रख सकेगा। इस बिल में साफ तौर पर समाजिक व्यवस्था को कायम करने का प्रयास किया गया है और मैं समझता हूँ कि यदि सरकारी मशीनरी ने सही ढंग से काम किया तो यह मानी हुई बात है कि काश्तकारों को जो राहत मिलनी चाहिए इससे वह राहत मिल सकेगी और भारत की सामाजिक व्यवस्थ में जो असमानता का बोल बाला है उस ओर प्रगति के लिए कुछ प्रयास कर सकेंगे, यह मैं मानता हूँ।

तो इन सब बातों को देखते हुए यह माना जाना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने जो बिल पेश किया है वह प्रगति का बिल है और काश्तकारों को अधिक से अधिक संतोष देने के लिए, उनको राहत देने के लिए हमें अधिकाधिक प्रयास करना चाहिए। यह कह कर मैं बैठता हूँ।

(राज्यपक्ष द्वारा करतलध्वनि)

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय चेयरमेन, तीन दिन से इस विधेयक पर विचार हो रहा है। दोनों तरफ बैठने वाले हमारे माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रगट किये हैं। कुछ लोगों ने तो इस बिल को प्रतिक्रियावादी बिल बताने का साहस किया है और कुछ लोगों ने कहा कि यह बिल आगे ले जाने वाला है। माननीय चेयरमेन, मैंने इस बिल को गहराई से पढ़ा और अपने देश और बाहर जो हवा चल रही है इन सब को देखा कि यह बिल हमको कितनी दूर ले जाने वाला है; तो मुझे पता है कि इसको अप्रगतिशील यानि प्रतिक्रियावादी नहीं कहा जा सकता है लेकिन यह बिल ऐसा भी नहीं है जिसको प्रगतिशील कहा जा सकता हो।

माननीय चेयरमेन, आज भूदान आन्दोलन आचार्य विनोबा भावे ने उठाया है और वे इस बात को कहते है और हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस देश में मुख्य व्यवस्था खेती की हो, यदि उसकी समाज व्यवस्था बदला चाहें तो खेती सम्बन्धी कानून में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। हमें इस प्रकार के बिल बनाते समय एक नक्शा हमारे सामने रखना होगा कि हम किस प्रकार के समाज की रचना करने जा रहे हैं। जब तक नक्शा सामने नहीं होगा हम ऐसा बिल नहीं बना सकते जिसको कि प्रगतिशील कहा जा सके। माननीय चेयरमेन, चीन, जापान, और बर्मा के लोगों ने हाल ही में अपने कानूनों में बड़ा परिवर्तन किया है। वे बड़े प्रगति करते चले जा रहे हैं। हम लोग भी उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। आचार्य विनोबा भावे का कथन है और हम भी इस बात के हामी हैं कि धरती

[श्री वेदपाल त्यागी]

किसी व्यक्ति विशेष की नहीं रखी जानी चाहिए। वह उस राज्य की होनी चाहिए। यह नहीं होना कि धरती लोगों में बांट दें, लोगों मन-माने तरीके से खेती करने का प्रयास करें और जिससे जनता को और देश को नुकसान हो। जिन देशों ने खेती व्यवस्था की दिशा में तरक्की की है उन्होंने सबसे पहला सिद्धान्त रखा है कोओपरेटिव कल्टीवेशन का। लेकिन माननीय चेयरमेन, इस बिल में किसी सिद्धान्त का समावेश नहीं किया गया है। किस प्रकार, हमारे बिल बनाने वाले सज्जन, जो, आज गवर्नमेंट चला रहे हैं, कोओपरेटिव कल्टीवेशन का तरीका न अपना कर खेती की व्यवस्था को आगे बढ़ा सकेंगे? कहा यह जाता है कि हमने टीनेन्ट्स की बहुत कम संख्या कर दी है और हमारा प्रयास यह है कि महज सब टीनेन्ट्स को या जो लोग खेती करते हैं, उनको भूमि का मालिक बनाया जाय, लेकिन यह बात कहने की है। मैं इसको नहीं मानता कि सिद्धान्त रूप से इस बात को कहने वालों ने स्वीकार किया है क्योंकि जो डेफिनिशन्स दी हुई हैं उनको देखने से साफ मालूम होता है कि यदि यह बात नहीं कही जाय तो यह प्रतिक्रियावादी कहा जा सकता है। डेफिनिशन जो खुदकाश्त और एग्रीकल्चरिस्ट की दी हुई है वह सब टिनेन्ट्स को हटाने के लिए नहीं बल्कि प्रोत्साहन देने के लिए हैं, ऐसी बात हमारे बिल बनाने वालों के दिमाग में थी। या तो यह समझ लीजिये कि उन लोगों को नाराज नहीं किया जा सका जो भूस्वामी बने हुए हैं या यह कहिये कि यह सत्य नहीं है कि ऐसा कदम उठाते कि जिससे वास्तविक रुप से हमारी उस समाज व्यवस्था का पता लग जाय कि हम किस प्रकार की समाज व्यवस्था बना रहे है।

धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं वे भी अधिकारों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। डेफीनेशन में एक बात कही गई है और क्लॉज़ में कई धाराएं ऐसी हैं जो डेफीनेशन से मेल नहीं खाती हैं। डेफीनेशन में जो खुदकाश्त की डेफीनेशन दी गई है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसमें यह कहा गया है; लेन्ड कलटीवेटेड पर्सनली की डेफीनेशन यह है :

"land cultivated personally, with all its grammatical variations and cognate expressions shall mean land cultivated on one's own account—

(i) by one's own labour, or

(ii) by the labour of any member of one's family; or

(iii) by servants or wages payable in cash or in kind or by hired labour under one's personal supervision or the personal supervision of any member of family or one's manager or agent:"

एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनिशन जो दी है उसमें यह माना है :

"'Agriculturist,' shall mean a person who by himself or by servants or by tenants earns his livelihood wholly or principally by agriculture or by cattle breeding."

Page No.46

[श्री वेदपाल त्यागी]

माननीय चेयरमैन, मुझे पूरे राजस्थान का तो ज्ञान नहीं है, किन्तु कोटा डिवीजन से मेरा सम्बन्ध है। वहाँ की स्थिति का ज्ञान है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वहाँ ऐसे बहुत से सेठ लोग हैं जिनके पास बहुत काफी तादाद में जमीन है उनमें से कइयों को यह भी पता नहीं कि हल किधर से पकड़ा जाता है। उनको ज्यादातर आमदनी जमीन से होती है, दूसरे व्यवसाय से उतनी आमदनी नहीं होती। वे भी इस डेफीनेशन की तहत काश्तकार की श्रेणी में आ जायेंगे। यद्यपि एग्रीकल्चरिस्ट की श्रेणी में तो वह नहीं आते हैं फिर भी जो कानूनी अधिकार मिले हुए हैं उनका वे फायदा अवश्य उठायेंगे। इसी तरह से लेण्ड के कल्टीवेशन करने के लिए अगर देखा जाय तो उसमें बड़े-बड़े सेठ, बड़े-बड़े जागीरदार जो हैं वे अपने यहाँ जमीन रख कर नौकरों द्वारा खेती करवायेंगे तो वह भी लेण्ड कल्टीवेटर कहे जायेंगे। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हम सब टिनेन्सी को डिसकरेज कर रहे हैं, हम इस बात को प्रोत्साहन देना नहीं चाहते हैं कि काश्तकार अपनी जमीन दूसरों को बेचें। लेकिन जब हम इस प्रकार की डेफीनेशन देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इस बिल के बनाने वालों के दिमाग में इसका सही नक्शा नहीं था। उनके दिमाग में यह नहीं था, वह धरती का नक्शा किस तरह बनाना चाहते हैं? इस कानून में तो यह किया गया है लेन्ड की डेफीनेशन कहीं से ले ली, सब टिनेन्ट की डेफीनेशन कहीं से ले ली; इस तरह से लेकर यह बनाया गया है। वास्तव में होना तो यह चाहिए था कि एग्रीकलचरिस्ट वही हो जिसको जमीन मिली हुई हो और जो स्वयं अपनी जमीन पर काश्त करता हो और स्वयं काश्त करने वाला व्यक्ति ही भूमि का मालिक होगा। इसमें जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति हजारों नौकर रखकर जमीन से काश्त करवायेगा, वह खुद भी काश्त करने वाला माना जायगा। इसके अलावा दो-तीन बातें मैं इस समय जो जनरल डिसकशन हो रहा है, उसमें कहना चाहता हूँ।

पहली बात यह कि इस बिल के अन्दर जो लेन्डलेस लेबरर्स की परिभाषा है उसके अनुसार एग्रीकल्चर लेबरर को किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिये गये हैं। इसके अन्दर यह कहा गया है कि जो व्यक्ति लेबरर्स से खेती करवायगा वह भी खेती उसकी अपनी कहलायगी। अब इससे एक बड़ी समस्या पैदा हो जायगी जिनके पास खेत नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो आज किसी के यहाँ नौकरी करते है, कल किसी के यहाँ मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं; उनके लिए किसी प्रकार के अधिकार इस बिल में नहीं हैं। जो व्यक्ति भूमि को जोतने में अपना खून-पसीना बहाते हैं उनके लिए अवश्य फायदा होना चाहिए। जब तक हम उनके लिए इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं रखते हैं तो आज जो ग्रामों में बेकारी फैल रही है उसको मिटा नहीं सकेंगे। जो कानून आज हम बनाने जा रहे हैं उसमें हमें इस समाज का भी ध्यान रखना होगा ऐसा समाज जो लेण्ड लेस है और जो एग्रीकल्चर.. लेबर है उनके अधिकारों का भी ख्याल रखना होगा। उन लोगों के लिए जो रात के जाड़े में खून पसीना एक करते हैं और जो बारह आना या एक रुपया लेकर आते हैं और अपना पेट भरते हैं। जहाँ एक तरफ हम भूदान आन्दोलन चला रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर हम इस तरह के नारे लगा रहे

[श्री वेदपाल त्यागी]

हैं कि जमीन किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है और दूसरी ओर हम लेण्ड लेस लेबर के लिए, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए कुछ अधिकार नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस कानून को हम प्रगतिशील नहीं कह सकते।

इसके अतिरिक्त इसमें यह भी कहा गया है कि हमने एक बड़ा प्रगतिशील कदम उठाया है। कानून बनाते वक्त हमने जो इनहेरीटेन्सी का जो कानून रखा है उसके लिए हमने पर्सनल लॉज़ को लागू किया है। मैं नहीं समझता कि आप कानून किस जायदाद के लिए बना रहे हैं। शेरगढ़ से आने वाले एक माननीय सदस्य ने, जिस प्रकार नया मुल्ला होता है और जोर-जोर से बांग मारता है उसी प्रकार उन्होंने बहुत जोर २ से इस बात की हिमायत की है कि यह जो पर्सनल लॉज़ के अनुसार इन्हेरीटेन्सी का कानून रखा है, ठीक है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कानून हम जमीन-सम्बन्धी बना रहे हैं, इसलिए पहली चीज हमें यह देखनी चाहिए कि जो इनहेरीटेन्सी का कानून बनाया है उसमें हमें इस प्रकार की बात रखनी चाहिए थी जिसमें जमीन बिना किसी हिस्से के रह जाय। आज हम देख रहे है कि जो हमारे यहाँ हिन्दू लॉ बन रहा है उसमें हम लड़कियों को भी अधिकार देने जा रहे हैं। पर्सनल लॉ को इसमें लागू करने से इसका नतीजा यह निकलेगा कि यदि किसी की शादी मद्रास में या सहारनपुर में हुई है या बंगाल में हुई है। खातेदारी के हक मिलने के बाद यदि उनमें मेल-जोल रहता तो तो ठीक, नहीं है हरेक अपना-अपना हक माँगेगा और इस तरह से काश्त का ठीक तरह से इन्तजाम नहीं होगा। इस तरह से जमीन के टुकड़े-टुकड़े होंगे और जमीन के काश्त का जो प्रबन्ध है वह भी ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा। तो यही कारण है कि पर्सनल लॉ को इसमें लागू न किया जाय तो ज्यादा ठीक है।

सक्सेसर का ऑर्डर ऐसा बनाया जाय जिसमें यह देखने की जरूरत है कि किन-किन लोगों के अधीन जमीन का हक पहुँचता है। उन्हीं को इसमें समावेश किया जाय ताकि लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचे। लोगों को हार्ट बर्निंग न हो। इससे जमीन का फ्रेगमेन्टेशन ज्यादा होगा, इस से जमीन के नुकसान के साथ-साथ देश का नुकसान और ग्राम का नुकसान भी होगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इनहेरीटेन्सी में पर्सनल ला जो लागू किया गया है वह गलत है। यह एक बड़ी भारी भूल है, इसको हमें सुधार लेना चाहिये। अगर यह मुस्लिम लॉ में लागू हुआ तो इतने ज्यादा झगड़े पड़ेंगे। जिससे मैं समझता हूँ कि जमीन के टुकड़े इतने छोटे-छोटे हो जायेंगे कि उन पर खेती करना बेकार हो जायगा।

इसके अतिरिक्त सब टिनेन्सी के जो अधिकार दिये जाने वाले हैं वे कम्पेन्सेशन अदा करके एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन कम्पेन्सेशन की जो रकम रखी गई है वह मामूली आदमी नहीं दे सकता और इससे मामूली किसान एक्वायर नहीं कर सकता। यह बात मैं जानता हूँ कि संविधान को तब्दील करने का अधिकार हमको नहीं। उसे केवल संसद ही तबदील कर सकती है। संविधान

[श्री वेदपाल त्यागी]

में धारा ३१ है तब तक कम्पेन्सेशन दिए बगैर किसी की जमीन को ले नहीं सकते। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम कम्पेन्सेशन के नाम पर इतनी रकम लगा दें कि गरीब काश्तकार उसे एख्त्यार नहीं कर सकता। संविधान की धारा को ध्यान में रखते हुए हमें कम्पेन्सेशन की एक रकम निर्धारित कर देनी चाहिए। एक प्रिन्सिपल बना देना चाहिए ताकि उसी के आधार पर कम्पेन्सेशन के अमाउन्ट को आंका जा सके।

आजकल देश में पंचवर्षीय योजना चल रही है। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किये हैं उनको भी मैंने गोर से पढ़ा है। फिर दुबारा मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं वह दिशा ऐसी है जिसके लिए कहा जा सकता है कि अन्धेरे में जाकर किसी चीज को हम ऐसी टाल रहे हैं जो दूसरों के लिए अहितकर है। अन्धेरे को प्रकाश में बदलने का हमारा काम है। जिस व्यक्ति को जिस वर्ग को आप अच्छा बनाना चाहते हैं उसको स्पष्ट किया जा सकता है कोऑपरेटिव बेसिस पर वर्क करना चाहते हैं या नहीं, पुराने विलेजेज को रखना चाहते हैं या नहीं; आपका जो उद्देश्य है उसको साफ कर देना चाहिये। बिना इसके इसमें बड़ी मुश्किलात आयेंगी। जैसा श्री मथुरादास माथुर ने कहा था कि दुनियाँ इतनी तेजी के साथ बदल रही है कि हमने जो पहले कानून बनाये थे उनमें तरमीम करनी पड़ी, आज भी तरमीम करनी पड़ेगी और पास होने पर भी इसमें तरमीम की आवश्यकता रहेगी और जो हम पास कर देंगे उसमें भी सम्भवतः तरमीम करनी पड़ेगी, पर इसका एक कारण है कि आप अपने गोल को, मन्जिल को तय नहीं कर पाये हैं कि कहाँ हमें पहुँचना है। अगर यह चीज़ हमारे सामने हो तो इतनी अहम् तब्दीलियाँ नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन करना है कि हमें पहले अपना गोल साफ-साफ तय कर लेना चाहिए और इसके बाद कानून में उसका समावेश करना चाहिए।

श्री भैरूँ सिंह (वि. सं. १६)—माननीय चेयरमेन महोदय, इस राजस्थान टीनेन्सी कानून के सम्बन्ध में इस सदन में अनेक मित्रों की अलग-अलग रायें जानने को मिलीं। कइयों ने इसको प्रगतिशील बताया और कइयों ने इसको आज के जमाने के मुताबिक बहुत ही पिछड़ा हुआ कानून बताया और कइयों ने यह भी ख्वाहिश जाहिर की कि यदि इसको प्रगतिशील बनाना है तो हमें चीन, बर्मा और रूस में जिस प्रकार के काश्तकारों के लिये कानून बनाए गये उसी तरह का रास्ता हमें अख्तियार करना चाहिए। माननीय चेयरमेन, मैंने इस कानून को राजस्थान में आजतक जितने भी कानून बने हुए थे उनकी तुलना में, तुलनात्मक दृष्टि से देखा है और मैं भी अब इस बात को कहने का बाध्य हूँ कि इस प्रकार का कानून वास्तव में प्रगतिशील है।

माननीय चेयरमेन, प्रगतिशील होने के साथ-साथ इस कानून में कई प्रकार की खामियां भी रह गई हैं जिनको यदि ठीक प्रकार से नहीं समझा गया और उनके मूल तक अगर नहीं पहुँचा

[श्री भेरूँसिंह, वि० संख्या १६]

गया तो लोगों के मस्तिष्क में गलत धारणा इसके विषय में बन सकती है कि दर-असल में यह कानून प्रगतिशील नहीं है।

सरकार ने इसको बनाने में एक दृष्टिकोण अपने सामने रक्खा है कि जिस जगह प्रगति की जावे उस जगह उसका सारा का सारा श्रेय सरकार को मिले और जिस समय इसमें रुकावट आवे उस जगह इसका सारे का सारा कुसूर जागीरदारों के मत्थे मढ़ा जावे और यह दृष्टिकोण बना कर इस कानून को बनाने की चेष्टा की गई है।

जहाँ खातेदार और गैर खातेदार का प्रश्न उत्पन्न होता है वहाँ पर कम्पेन्सेशन की आड़ लगादी और जागीरदारों को गालियाँ लगाने के लिए यह क्लॉज़ भी एड कर दिया गया।

"Rajasthan Land Reforms and Jagir Resumption Act, 1952" के मातहत यदि किसी जागीरदार ने खुदकाश्त के बारे में दर्खास्त देदी है तो उसको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे और इस की आड़ में जागीरदारों को गालियाँ निकालने का अवसर दिया गया है और साथ-साथ ही सरकार ने भी जागीरदारों को असल खातेदार बताया, पर अगर उनको यह मालूम होता कि इस क्लॉज़ का मतलब क्या है और यदि खातेदार की डेफीनेशन को उठाकर वे देखते तो उन्हें मालूम होता कि असल खातेदार किसको बताया गया है।

डेफीनेशन साफ है:

"Who is a tenant at the commencement of this Act."

वह खातेदार माना गया है। इसके बाद में ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जागीरदार ने अब अगर इस प्रकार की दरख्वास्त दे दी है तो इस कारण से काश्तकार गैरखातेदार हो जावेंगे और उनको खातेदारी के राइट्स नहीं मिलेंगे। यदि वे इस डेफीनेशन को ठीक तरह से देखते तो उनको मालूम होता कि सारा मामला क्या है और मजबूर होकर इस कारण मुझे यह कहना पड़ता है कि इसी सेशन में एक महीने पहले करीब सरकार ने वायदा किया था उन जागीरदारों से कि उनको जमीन दिलवाई जावेगी, उनको रिहेबिलिटेट किया जावेगा उस वादे को तोड़ा जा रहा है इस कानून द्वारा और सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। उनको किसी भी तरह खुदकाश्त देना नहीं चाहती।

आज जो जागीरदारों की बात लाकर आलोचना करते हैं और किसान और जागीरदार का प्रश्न लेकर विवाद खड़ा करते हैं उनके दिमाग में किसान एक वर्ग विशेष को उन्होंने समझ लिया है और वही वर्ग विशेष उन्होंने अपने दिमाग में घुसा रक्खा है। उनका एक चीज को लेकर किसान से मतलब अमुक जाति विशेष से है, अमुक वर्ग से है और इस बिल को लेकर आगे आते हैं और कहा जाता है कि इस कानून में किसान के साथ अन्याय हुआ है। जागीरदारों को अधिक रियायतें दी गई

Page No.50

[श्री भैरूँसिंह]

हैं, उनको खातेदारी हकूक देने के लिए गैरखातेदारों पर पाबन्दी लगाई है। पर, मैं समझता हूँ, ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है। इस सदन में जागीरदारी एबोलीशन कानून बनाते समय सरकार द्वारा जागीरदारों को आश्वासन दिया गया है कि तुम्हें खुदकाश्त मिलेगी, उन लोगों को जागीर रिजम्पशन के बाद रिहेबिलिटेट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। पर मैं यह साफ तौर से कह देना चाहता हूँ कि इस बिल में उनके साथ अन्याय किया गया है। खुदकाश्त की जो डेफिनेशन की गई है उसके अनुसार वह जो आज काश्त कर रहा है चाहे एक दिन पहले का हो, दो साल या तीन साल पहले का हो चाहे कभी का हो, टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन ऑर्डीनेन्स के कारण जिसका कब्जा उस पर है वह बेदखल नहीं किया जा सकता है। और ऐसी सूरत में सब खातेदार हैं। यदि यही तात्पर्य इसका है तो मैं समझता हूँ कि जिसे प्रगतिशील कहा जाता है वह प्रगतिशील तो अवश्य है लेकिन जो वचन उन जागीरदारों को दिया गया है उनको निभाने वाला यह कानून नहीं है।

चेयरमेन महोदय, हम अब भी कोई काश्तकारों के लिए कानून बनाते हैं तो हमारे सामने वास्तव में एक दृष्टिकोण रहता है :

"the fruits of the toil must go to the tiller."

यह काश्तकार का कानून बनाने का सबसे बड़ा सिद्धान्त हमारे सामने रहता है और इसी सिद्धान्त को आगे रख कर हम इस बिल को मन्जूर करने जा रहे हैं। यदि इस सिद्धान्त पर यह कानून बना है तो हमें इस सर्वोपरी सिद्धान्त को मानना पड़ेगा परन्तु यह सर्वोपरि सिद्धान्त भी परिस्थितियों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिये। जो परिस्थितियाँ हैं आज समाज की हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनको हम अपनी आँखों से ओझल नहीं कर सकते और अगर इन समाज की परिस्थितियों के कारण हमें इस प्रकार के कानून में थोड़ी बहुत तोड़-फोड़ भी करनी पड़े तो उसे करना होगा। आज के समाज में इस सिद्धान्त को अवश्य स्वीकार कर लिया जावे। यदि समाज सुधार करने में उसकी व्यवस्था में उलट-फेर करना हो तो उसमें उलट-फेर करके भी इस सिद्धान्त को स्वीकार करें। जब इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो हमें काश्तकारी कानून बनाने के लिए चार मूलभूत बातें हैं उनको स्वीकार करना चाहिये।

पहली बात है फिक्सिटी ऑफ टेन्योर। काश्तकार को यह मालूम हो जावे कि जिस जमीन पर वह काश्त करता है उस पर तेरा हक है। कितने दिन काश्त कर सकेगा और उसमें तेरा क्या इन्टरेस्ट है, यह बता देना चाहिये।

दूसरी बात है फिक्सिटी आफ रेन्ट। जिस जमीन को काश्त करता है, किसान उसका उसे सरकार को क्या लगान देना पड़ता है। यदि वह अपनी जमीन में इम्प्रूवमेन्ट करता है तो सरकार उसको उसका फायदा उठाने की सहूलियत देगी और वह क्या निश्चित लगान सरकार को देगा? वह इस इम्प्रूवमेंट के जरिये से अपनी आर्थिक स्थिति को भी ठीक कर सकता है या नहीं। तो इस तरह से इस दूसरे सिद्धान्त पर हमें ध्यान देना पड़ता है।

Page No.51

[श्री भैरूंसिंह]

जो तीसरी बात हमें करनी पड़ेगी उन्हें जाती अधिकार देने के लिए, कृषि के प्रति उनका प्रेम जाग्रत करने के लिए, अपने अधिकारों का सदुपयोग करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, वह होगा फेसालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट।

जो कुछ भी काश्तकार अपनी जमीन में इम्प्रूवमेंट करना चाहे उसके लिए उसे सहूलियतें भी हैं कि नहीं, सरकार उसको किस तरह की सहूलियतें देगी और क्या योजनाएं बनाई हैं सरकार ने, इसके लिए यह भी देखना होगा।

और चोथी चीज है फ्रीडम फोर ट्रान्सफर। अब इसमें यह सोचने की आवश्यकता पड़ेगी कि काश्तकार को अगर ट्रान्सफर करने की इजाजत देते हैं तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, आज को समाज की परिस्थिति को देखते हुए हमें इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी और अगर यह रेस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं तो समाज की परिस्थिति को देखते हुए हमें नुकसान उटाना पड़ेगा और तब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या यह सिद्धान्त एक खुलेरूप में आना चाहिये या इस पर किसी प्रकार की रोक लगानी चाहिये।

इन चारों बातों को ध्यान से रखकर अगर हमने इस कानून को बनाया तो यह कानून प्रगतिशील होगा और समाज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल होगा।

पर इन चारों बातों को ध्यान में रखने के बाद जो कानून बना रहे हैं एक मूल भूत सिद्धान्त के आधार पर और चार अंगों की सहायता से जो हम कानून बना रहे हैं उससे समाज का और काश्तकार का किस प्रकार से भला होगा और हमारे देश की किस प्रकार की स्थिति सुधरेगी, इसके लिए दृष्टिकोण हमें और ध्यान में रखना चाहिए। वह यह है कि जो कुछ भी हम कानून बना रहे हैं इस प्रकार वह प्रेक्टिकल किस हद तक है। जब हम इन सारी बातों का समावेश करके किसी भी कानून को बनावेंगे तो मैं समझता हूँ कि, अगर हमारी दुर्भावनाओं ने रोड़ा नहीं अटकाया तो, वास्तव में वह कानून काश्तकार को राहत पहुँचाने वाला होगा, समाज और देश के लिए हितकर होगा, समाज का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। नुकसान की किसी प्रकार की सम्भावना नहीं रहेगी।

आज तक जितने भी राजस्थान में जो कानून थे अलग-अलग स्टेट्स में, जयपुर स्टेट टिनेन्सी एक्ट, बीकानेर स्टेट टिनेन्सी एक्ट, मारवाड़ स्टेट टिनेन्सी एक्ट, और भी रियासतों में जो यह सारे के सारे इस प्रकार के कानून थे उनको यदि सामने रखकर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कई जगह जबरदस्त खामियाँ रहते हुए भी हमने इसमें प्रगति की है। इन सारी चीजों को तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो नतीजा यही निकलेगा कि इस प्रकार कानून में, जिसमें कई जगह खामियाँ हैं और जो भयंकर भूल हो सकती है और जिनका दिग्दर्शन मैं माननीय सदस्यों को बाद में बताऊँगा, उनके अलावा हमने प्रगति की है।

[श्री भैरूँसिंह]

माननीय चेयरमैन, जो पहला सवाल फिक्सिटी ऑफ टेन्योर का था और जो अब विधान सभा के यह कानून विचाराधीन है उस कानून के अन्दर फिक्सिटी ऑफ टेन्योर के मुताल्लिक क्या प्रोवीज़न्स हैं। इसको तो सबने स्वीकार किया है कि मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट के मातहत जो जिस तारीख को यह एक्ट बना है उसकी रात को जो जमीन पर काबिज था वह खातेदार टिनेन्ट मान लिया गया है। जब हम इस कानून को देखते हैं तो खातेदार टिनेन्ट की डेफिनिशन है—

"Who is a tenant at the commencement of this Act."

वह खातेदार टेनेन्ट हो गया। जयपुर टेनेन्सी एक्ट को उठाकर देखते हैं, तो उसमें खातेदार और गैरखातेदार का ऐसा स्पेशल प्रोवीजन नहीं है कि किन शर्तों पर वह खातेदार बना है और किन शर्तों पर नहीं। महज १९४५ का जिक्र करके कि आज के पहले से जो काश्तकार काश्त करता है वह खातेदार समझा जावेगा उनसे आगे जाकर प्रगति की है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तो और भी पिछड़ा हुआ है, तो इस तरह से हरेक रियासतों के एक्ट को सामने रखकर यदि उनकी तुलना करके इस एक्ट को लिया जाता है तो उन एक्ट्स में किसी भी तरह बुरा नहीं कह सकते हैं बल्कि उसी सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि आज जो भी काश्तकार है वह खातेदार है। जो रियासतें उन्हें उस वक्त दी गई थीं कि इन-इन शर्तों पर खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे और इन-इन शर्तों पर राइट्स मिलेंगे। इन शर्तों में जो चीज़ रही है वह सबसे ज्यादा उस सिद्धान्त की बात है कि काश्तकारों को राइट टू सेल होना चाहिए और भी सब की सब बातें, सब सिद्धान्त इसमें कवर होते हैं। मैं समझता हूँ कि काश्तकारों के फिक्सिटी ऑफ टेन्योर के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता है।

दूसरा फिक्सिटी (Fixity) ऑफ रेन्ट। इसमें जो कुछ इस कानून की मन्शा रखी गई है उस मन्शा को मैं बिल्कुल खिलाफ मानता हूँ। हमने यह अच्छी तरह देख लिया है कि हमारे देश में जिस प्रकार रेन्ट सिस्टम है उस रेन्ट सिस्टम से असन्तोष है, संतोष नहीं है। आज यह कहा जाता है कि केश रेन्ट इन्ट्रोड्यूस कर दिया जाना चाहिए और इससे काश्तकारों को राहत पहुंचती है। काश्तकारों को जो इस समय चौथा या छठा बांटा देना पड़ता है और जो केश रेन्ट के हिसाब से देना पड़ता है वह कम है। यह महज इस वक्त सोच सकते हैं जिस वक्त कि अनाज का भाव मंहगा है, लेकिन जब सूरत ऐसी पैदा हो जाती है कि अनाज का कन्ट्रोल ठीक ढंग से नहीं कर सकें। भावों का ठीक कन्ट्रोल नहीं कर सकें तो एक रुपये का १० सेर या २० सेर का अनाज हो सकता है या बिक सकता है। हमारे सामने ऐसी एक्जाम्प्ल हैं कि अनाज पाँच सेर का भी बिका है और एक मन का भी बिका है। ऐसी भी नजीरें हैं कि एक मन से चलकर भाव वापिस पांच सेर तक आ गया है। सेटिलमेंट का जो सिस्टम है वह सब का सब इन भावों के आधार पर चलता है। बाद में रेमीशन या सस्पेन्शन करना पड़ता है जिसके लिए काश्तकार विद्रोह करते हैं, काश्तकारों को विद्रोह करने का मौका देता है। सरकार यह सामने रखे कि मजबूरन रेमीशन या सस्पेन्शन करना न पड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार इस प्रकार के सिस्टम पर फिर दुबारा सोचेगी; नकल नहीं करे दूसरे प्रान्तों की। यह नहीं देखे

Page No.53

[श्री भैरूं सिंह]

कि यू०पी० में इस प्रकार का सिस्टम है या भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों में इस प्रकार का सिस्टम है लेकिन यह सोचे कि इस प्रकार के सिस्टम की उत्पत्ति किस जगह से हुई है। इस प्रकार के सिस्टम से वहाँ राहत मिली है या काश्तकारों को नुकसान पहुँचा है। तो हमको यह दृष्टिकोण बनाकर देखना पड़ेगा कि जिन आधारों पर यह बात बदलनी है उन आधारों को सरकार सोचे, तो सरकार के सामने स्पष्ट रूप से आ सकता है कि इस प्रकार के सिस्टम से काश्तकारों को राहत नहीं मिली है बल्कि काश्तकारों को नुकसान पहुँचा है। माननीय चेयरमेन, बंगाल के दुर्भिक्ष के कारण अंग्रेजों की स्थिति डाँवाडोल हो गई थी तो उन्होंने इस बात के लिए एक कमेटी अपोइन्ट की थी और उसके चेयरमेन थे मनीलाल बी० नाना वाटी। वहाँ एक ऑल इंडिया इकोनोमिक कॉन्फ्रेन्स में उन्होंने इस सिस्टम को जोकि राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में प्रचलित है बुरा बतलाया है। उन्होंने कहा कि जिस देश में भावों की किसी प्रकार की एकात्मकता नहीं, जिस देश की जमीन के अन्दर किसी प्रकार की एकात्मकता नहीं, उपज में किसी प्रकार की एकात्मकता नहीं है, उस देश में केश रेन्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा। इस पर दुबारा सोचा जाय और कोई हल निकाला जाय जो वास्तविक तथ्य इसमें निकले इस प्रकार का सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करे, न कि चूंकि यह सिस्टम हमारे देश में अन्य जगह लागू है तो हमारे यहाँ भी लागू हो। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेन्स में इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा गया कि अंग्रेज अपने साम्राज्य को जमाने में इस प्रकार से मशगूल थे कि उन्होंने यह जमींदारी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया, कहीं बिस्वेदारी और कहीं इजारा दिया, कहीं ठेका दिया; महज इसलिए कि वह दूसरे राज्यों पर कब्जा करें इस बीच में या अपने राज्य को जमाने में लगें। इस तरह सरकार इतना ही संबन्ध रखती थी कि अपना लगान ले लिया जावे। सरकार ने उनके साथ लगान नियत कर दिया और वह रकम जमा कराते हैं। उनका दृष्टिकोण यह था कि जब तक दूसरे राज्यों पर कब्जा करने में वे लगें या हमारे भारतवर्ष के साम्राज्य को ठीक तरह से या ढंग से जमा दें, जमीनों का बुरा हो चाहे अच्छा हो इस प्रकार का तरीका लागू कर दिया कि जिस तरीके से देश सदा के लिए बरबाद होता रहे। यह तो उनका बताया हुआ रास्ता है और उस रास्ते में परिवर्तन करने की हमारी हिम्मत नहीं है। बड़े-बड़े प्रोविन्सेज़ में ए०बी० और सी० क्लास की स्टेटों के रेवेन्यू के एक्सपर्ट हैं। उन सब की एक ही राय है कि केश सिस्टम से हमारे देश में काम नहीं चल सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दर असल काश्तकारों को राहत पहुँचाने की मन्शा सरकार की है तो इस सिस्टम के प्रति उनको सोचना पड़ेगा कि देश को इस प्रकार के सिस्टम से राहत पहुँच सकती है या नुकसान पहुंच सकता है।

आज राजस्थान की भी बंगाल जैसी हालत है। राजस्थान में भी कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ कि लाजमी तौर पर छः साल में २ साल तो अकाल रहेगा और अकाल के सम्बन्ध में कमेटी अपोइन्ट करनी पड़ती है और वह सोचती है और रेमीशन और सस्पेन्शन के लिए एक कमेटी एप्वाइन्ट करते हैं कि पैदावार कहाँ कितनी हुई है और मिनियम रेमीशन कितना होना चाहिये और इस प्रकार छूट कर देनी चाहिए। ऐसे भी छूट से काश्तकारों को राहत नहीं मिलती है। काश्तकारों को राहत मिलती है अनाज की पैदावार के रेट के हिसाब से कोई छूट मिलेगी तो वह उसी वक्त मिल सकेगी। वह अनाज की पैदावार को किस्म के रूप में देखेंगे कि एक बीघे में ४ मन अनाज पैदा हुआ है जब कि

[श्री भेरू सिंह]

ठीक समय में एक बीघे में २० मन अनाज पैदा होता है। तो ५ मन पैदावार पर किस प्रकार की छूट कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण उसी वक्त बन सकता है जबकि केश रेन्ट की बुराइयों को निकाल कर काइन्ड सिस्टम में इन्ट्रोडयूस करें।

मैं माननीय चेयरमेन, इस सदन को बताने के लिए तैयार हूँ कि आज जो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है उसका भी मूल कारण है कि हमने पैसे को ज्यादा महत्व दिया है। काम को महत्व नहीं दिया है, हमारे भारतवर्ष में प्रचलित सिस्टम है उस सिस्टम को महत्व नहीं दिया है। पैसे के सिस्टम पर सारी नीति को आधारित कर दिया है इससे सारी की सारी हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती गई। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि हमें इस सिस्टम को इस प्रकार से इन्ट्रोड्यूस करना चाहिए, यदि रेन्ट सिस्टम की हमें कोई नीति बनानी है तो नकल नहीं करें लेकिन सारे काम को देखे, सारे दृष्टिकोण से देखें कि काश्तकारों को किस प्रकार के कानून से लाभ मिलना चाहिए। हमारे देश में आज की परिस्थितियों में काश्तकारों का किस प्रकार से सुधार हो सकता है। यदि यह दृष्टिकोण हमारा बन गया तो इस दृष्टिकोण से रेन्ट सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है वह काफी हद तक दूर होगी। यह मुझे माननीय चेयरमेन, रेन्ट सिस्टम के बारे में कहना है।

यदि सेटिलमेन्ट की रिपोर्ट में मान लेते हैं कि केश सिस्टम को इन्ट्रोड्यूज करेंगे तो भी इसे हमें रेगुलेराइज़ करना पड़ेगा। आज इस बिल को मैंने अच्छी तरह से देखा है। इसमें कोई ऐसा प्रोवीजन नहीं है जिसके अन्तर्गत यह कहा जा सके कि रेट्स बढ़ गई या कम हो गई तो इतना लगान लिया जायगा यानि मार्केट प्राइस को डिटरमिन करने का कोई प्रोवीजन नहीं है। यह पता नहीं चलता कि काश्तकारों को किस वक्त राहत मिलेगी, किस वक्त रेमिशन होगा, इसके लिये कुछ भी नहीं दिया गया है। चाहिए यह था कि सरकार कानून के द्वारा कीमत रेगुलेराइज करती रहे कि आज देश में जिस तरह के भाव हैं उसी के अनुसार रेट रहेगी। यदि भाव बढ़ते रहें या घटते रहें तो सरकार को कितना नुकसान होगा या काश्तकारों को कितना, किस रूप में फायदा हो सकेगा? सरकार को किस रूप में फायदा हो सकेगा इस बात की कानून में गुंजायश नहीं होती है तो यदि फिक्सेशन ऑफ रेन्ट इस प्रकार स्थाई है तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि राजस्थान में इस प्रकार के कानून से काश्तकारों को आप सन्तोष नहीं दे सकते और असन्तोष हमेशा चलता रहेगा। रेट्स में कमी बेशी होनी चाहिये। यदि भावों में कमी हुई तो सरकार को फायदा होगा और काश्तकारों को नुकसान होगा। इसलिये रेट्स का रिवीजन होना चाहिये। यदि इस तरह की गड़बड़ चलती रहेगी तो यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार के पास रेन्ट के बारे में कोई सही स्थायित्व की योजना है।

दूसरी चीज़ यह है कि काश्तकार अपने राइट्स को ट्रान्सफर कर सकता है, उसको फ्री सेल की इजाजत है। इस बारे में सोचना पड़ेगा कि इससे काश्तकारों के हक-हकूकों को इसके इस्तेमाल से नुकसान होगा या फायदा। इस दृष्टिकोण से हमने सोचा कि जो प्रोवीजन रखा है कि काश्तकार अपनी जमीन को इम्प्रूव कर सकता है, बेच सकता है, मोर्टगेज कर सकता है और इसमें

[श्री भेरूसिंह]

जो प्रोवीजन रखा है कि जिसके पास बारानी जमीन ६० एकड़ से अधिक और चाहे ३० एकड़ से अधिक हो जाय उसको नहीं बेच सकता। इस प्रकार का जो सिद्धान्त मुकर्रर किया गया है उसकी पूर्ति हो तभी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जिसके पास ६० एकड़ बारानी और ३० एकड़ चाही जमीन न हो वह किस आधार पर ऐसा कर सकेगा, यह साफ नहीं है। राजस्थान में एक कमेटी बिठाई गई है जो जल्दी ही सीलिंग मुकर्रर करेगी और यह भी निश्चय करेगी कि राजस्थान में इकोनोमिक होल्डिंग कितना हो और अनइकोनोमिक होल्डिंग कितना हो; इस बारे में भी राय देगी। जब तक कमेटी की राय नहीं आवे उस वक्त तक यदि हम लिमिट बाँध दें तो उसके पीछे किसी प्रकार की लोजिक नहीं रहती और मुमकिन है सीलिंग कमेटी की राय के प्रतिकूल यह प्रोवीजन हमारे सामने आये। जो रेस्ट्रिकशन का प्रोवीजन है वह सिद्धान्त की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। काश्तकारों को राइट नहीं होना चाहिये कि वे अपनी जमीन ऐसे आदमी को बेच दें जो केपिटेलिस्ट हों या बगैर खेती करने वाला हो जो पैसों की एवज में जमीन ले ले। जिस आदमी के पास कम जमीन है या एक्सेस नहीं है वह नहीं बेच सकता, यह ठीक है लेकिन इसके पीछे जो लोजिक रखी गई है वह ठीक नहीं है। इस प्रकार की चीज इन्ट्रोड्यूस करना चाहें तो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद करें तो अच्छा रहेगा।

चौथी बात इम्प्रूवमेंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। राजस्थान के इतिहास में जमीन की दो सूरतें थीं, एक खालसा और दूसरी गैर खालसा। खालसा जमीन के बारे में अक्सर देखा गया है कि जब लगान लागू कर दिया गया तो उसके बाद जमीन की तरक्की नहीं हुई। इसके विपरीत गैर खालसा जमीन में यह बात थी कि, जागीरदारी सिस्टम को बुरा बता कर जागीरी सिस्टम को चाहे आप खत्म करें, उसमें हमेशा तरक्की की जाती थी। खालसा और जागीर की जमीन की उपज की तुलना की जाय तो जागीर की जमीन की उपज खालसा की जमीन की उपज से कई गुणा अधिक होगी। इसका कारण यह है कि खालसा की जमीन में मुश्किल से ५ कुए मिलेंगे तो उतनी ही जागीर की जमीन में ३० कुए मिलेंगे। हमें यह देखना पड़ेगा कि इसका मूल कारण क्या है? क्या कारण है कि जागीरदारों की जमीन का इम्प्रूवमेंट हुआ है और खालसा की जमीन का इतना नहीं हुआ। इसका अन्वेषण करने के बाद जो कुछ बुराइयाँ मालूम हुई हैं उनको दूर करने के बाद इसका इम्प्रूवमेंट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने जहाँ तक छानबीन की उसके आधार पर जो कुछ मुझे मालूम हुआ है वह यह है कि सरकार की तरफ से इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई सहयोग नहीं मिलता। काश्तकार खुद तरक्की करे तो करे, वरना सरकार की तरफ से कोई सहायता उसको नहीं मिलती। यह बात भी नहीं होती कि यदि काश्तकार तरक्की या इम्प्रूवमेंट करे तो बाद में सरकार उसको किस तरह से सहायता देगी और काश्तकार किस तरह से फायदा उठा सकता है, इसका खुलासा न हो तब तक खालसा एरिया में जमीन की तरक्की करना काश्तकार ठीक नहीं समझते। जागीरदारों ने देखा कि जब तक इम्प्रूवमेंट जमीन का नहीं करेंगे तब तक पैदावार कम होगी। यदि इम्प्रूवमेंट करेंगे चाहे अपनी रकम लगाकर या काश्तकारों से महनत-मजदूरी लेकर, परन्तु हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमारी ही जमीन को फायदा होगा। लेकिन खालसा के काश्तकार को विश्वास नहीं रहा कि जो तरक्की कर रहे हैं हम उससे फायदा उठायेंगे या नहीं। जब तक काश्तकार को इस बात का विश्वास नहीं रहता।

[श्री भैरोंसिंह]

तब तक लेण्ड इम्प्रूवमेंट की योजना सफल नहीं हो सकती। लोगों में इस प्रकार की जो भ्रान्ति है उसको दूर करना होगा। काश्तकारों में जो दुर्भावनाएं हैं वे दूर हुई या नहीं? यदि हां, तो उनके लिए क्या-क्या साधन जुटाने चाहिये। उनको राहत देने की कोई योजना नहीं है। या इस कानून में महज इम्प्रूवमेंट को डिफाइन किया है। इम्प्रूवमेंट करने के लिए सरकार की तरफ से क्या-क्या सहयोग दिया जायगा इस बात का कोई जिक्र नहीं है। कुछ नहीं होने के कारण मैं कहूंगा कि मूल सिद्धान्त इम्प्रूवमेंट का इस कानून में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी इन चार सिद्धान्तों को लेकर जो मैंने इस सदन को अपने विचार बताये उनके अलावा ऐसी और भी चीजें रह जाती हैं जिनका समावेश इस कानून में नहीं होने के कारण काश्तकारों को नुकसान रहेगा।

आज हमने अच्छी तरह से देखा कि जब तक हम लोगों के सामने एक नमूना पेश नहीं करेंगे कि काश्तकार किस तरह से अपनी काश्त में तरक्की कर सकते हैं, सरकार उनको किस प्रकार राहत दे सकती है जब तक इन बातों का नमूना पेश नहीं करेंगे और उसमें इस भाव को नहीं रखेंगे कि आज जमीन की मांग बढ़ी है उसको किस तरह से सरपास कर सकते हैं जब तब इस विचार को सामने नहीं रखेंगे तब तक काश्त में हम तरक्की नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेन्टल फारमिंग या कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिये नमूना पेश करें। लेकिन सरकार ने एक्सपरिमेंटल फारमिंग और कोओपरेटिव फारमिंग का सम्बन्ध बताया है वह इस हद तक है कि जहां इस प्रकार के फॉर्म्स होंगे वहां खातेदारी राइटस नहीं मिलेंगे। इस का असर क्या होगा इसको बिल्कुल चुपचाप रखा है। कैश रेन्टल एरिया में इस प्रकार की सहूलियत है। एक-एक तहसील में और एक-एक तहसील के एक-एक गांव में सरकार के पास कितनी पड़त जमीन है इसका आंकड़ा तैयार होने पर कोओपरेटिव बेसिस या एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग की बेसिस पर तरक्की की जाय और उसी के आधार पर तहसीलों में काम किया जाय तो सफलता मिल सकती है। सरकार ने महज एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग के बारे में कुछ कहा है, कोओपरेटिव फार्मिंग का कहीं नाम नहीं है।

हमने एक सिस्टम और इन्ट्रोड्यूस किया है। पर्सनल लॉज के कारण जमीन के कई टुकड़े हों। जब जमीन के टुकड़े होंगे तो उसको रोकने के लिये कानून बना दिया है जिसके अंतर्गत जमीन के टुकड़े नहीं हो सकेंगे। इसका मतलब यह होगा कि अब तक जो टीकाई प्रथा चल रही थी उसके पेरेलल दूसरी प्रथा चालू करनी होगी और कहना पड़ेगा कि फ्रेगमेन्टेशन नहीं कर सकते और यदि हिस्सा लेते हैं तो इस प्रकार के कानून से हिस्सा नहीं ले सकते, जमीन में बेदखल नहीं कर सकते। सरकार के सामने दुविधा होगी। या तो सरकार को इस सिस्टम को करना होगा जो आज के युग में प्रतिक्रियावादी कहलायगा। इसके लिए कोओपरेटिव फारमिंग चालू किया जा सकता है और इस तरह से कोओपरेटिव फारमिंग के जरिये लोगों की मन्शा पूरी कर सकते है। मैं समझता हूँ, इस प्रकार सिस्टम राजस्थान के लिये बढ़िया होगा।

Page No.57

[श्री भैरोंसिंह (दाँता रामगढ़)]

इसमें किसी की जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं रहेगी। सरकार के पास जो जमीन पड़त पड़ी हुई है और दूसरी जो जमीन पड़त पड़ी हुई है, जिसके लिये कानून बनाया है कि कोई जमीन पड़त नहीं रख सकता तो ऐसी जमीनें देकर लोगों को खेती करने का मौका दिया जाय और सरकार को चाहिये कि वह कोओपरेटिव सिस्टम से जमीन मांगने की लोगों की मांग : करे।

मेरे एक माननीय सदस्य ने कहा कि जिस तरह रूस और चीन में कलेक्टिव फार्मिंग का कानून है उसी तरह का कानून हमें भी पास कर के तरक्की करनी चाहिये। इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह केवल कानून में और कागजों में ही तरक्की दिखाई गई है। रूस भी इसके लिये पछता रहा है, चाइना भी इस कानून में परिवर्तन कर रहा है और बर्मा में भी जहाँ कि चाइना की देखा-देखी कलेक्टिव फार्मिंग का कानून पास किया गया था उसमें भी परिवर्तन किया जा रहा है। कलेक्टिव फार्मिंग से लोगों में जो व्यक्तिगत, परसनल जमीन होने के नाते जमीनों के प्रति प्रेम था वह चला गया, परसनल प्रोपर्टी होने के नाते जो व्यक्तिगत दिलचस्पी ले कर काम किया करते थे उस तरह काम नहीं किया। और जिस तरह धीरे-धीरे प्रोडक्शन कम हो गया। तो इस तरह अगर हमारे देश में भी कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे तो हमें कहीं पछताना नहीं पड़े। तो हमें उन देशों की नकल नहीं करनी है जिन्होंने अपने देशों में खून के जरिये, तलवार के जरिये लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति का, व्यक्तिगत सम्पति के प्रति दिलचस्पी और प्रेम का खून किया है।

हमें तो हमारे देश में ऐसा चरित्र निर्माण करना है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी लोग देश की सम्पत्ति समझ कर काम करें। तो इस तरह मेरी राय में जब तक आप कोओपरेटिव फार्मिंग का इसमें जिक्र नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। स्टेट्स में अलग-अलग कई कानून बना रखे थे पर इनमें एक ही दृष्टिकोण था कि एक आदमी की मृत्यु के बाद कौन उसका अधिकारी होगा, इसको प्रेस्क्राइब करने के बाद यह नियम बना हुआ था कि अमुक होगा। इस सिस्टम से काश्तकारों में जमीन के प्रति प्रेम पैदा होता था और जमीन रखने की भावना में फरक नहीं होता था। अब इस कानून के जरिये हमने परसनल लॉ को इन्ट्रोडयूस कर दिया है। मेरे पूर्व वक्ता इस पर काफी बोल चुके हैं इस लिये इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। सरकार ने कहा है कि अन इकोनोमिक होल्डिंग नहीं होने देंगे। अगर इस प्रकार के परसनल लॉ को इन्ट्रोड्यूस किया तो प्रिवेन्शन ओफ फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा और अनइकोनोमिक होल्डिंग होने का डर है। हमारे देश में जितने भी सारे इकोनोनिक होल्डिंग्स हैं, तो यह इसकी मन्शा के प्रतिकूल होगा। परसनल लॉ को हम किसी और सम्पत्ति में लागू कर सकते हैं और इसके वहाँ लागू करने से फायदा हो सकता है लेकिन काश्त, जमीन जैसी चीज में अगर हम इसे लागू करेंगे तो जमीन के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे और थोड़ी देर के लिये मान लीजिये ४ भाई हैं उनमें से एक को जमीन मिलेगी और बाकी तीन को हिस्सा नहीं मिलेगा तो आपस में विद्रोह की भावना पैदा होगी और इस तरह धीरे-धीरे सारे देश में विद्रोह की भावना पैदा होगी।

[श्री भैरूंसिंह]

अगर इस कानून को बनाने में, देश की किसी ढंग से तरक्की करने की और लोगों के दिलों में जो असंतोष की भावना बढ़ रही है उसको दूर करने का आपका दृष्टिकोण है तो इस कानून को बालाए ताक रख दें और जो कानून इस सम्बन्ध में अब तक चल रहा था उसी को रहने दें।

आज हमें यह देखना है कि जो-जो वादे आपने किसानों और आम लोगों से किये थे और जो आजसत्तारूढ़ हैं उन्होंने लोगों को खुश करने के आश्वासन दिये थे उनकी इस कानून से पूर्ति होती है कि नहीं। मैं समझता हूँ कि कुछ बातों को छोड़ कर और की पूर्ति इस कानून से नहीं होती है।

भांसी में कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की थी कि जब हमारा देश आजाद होगा तो छोटे-छोटे काश्तकारों से किसी प्रकार का लगान नहीं लिया जायगा, पर आज हम देख रहे हैं कि इस बात को भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने स्वीकार नहीं किया। यदि हम यूरोपियन कन्ट्रीज के काश्तकारी कानून को देखें तो पता चलेगा कि उन लोगों ने छोटे-छोटे किसानों को यह रियायत दी है। उसे किसी भी प्रकार का लगान नहीं लिया जाता, उन्हें हर प्रकार के लगान से मुक्त रखा गया है।

होल्डिंग तीन प्रकार का होता है, बेसिक, मीडियम या इकोनोमिक और ओप्टिमम होल्डिंग; जिनका बेसिक होल्डिंग था उनको जमीन का लगान देने से मुक्त कर दिया है, उनसे किसी प्रकार का लगान नहीं लिया जाता। जिनका मीडियम यानि इकोनोमिक होल्डिंग हो और ओप्टिमम होल्डिंग हो उनसे लगान लिया जाता है। जिस हमारे प्रधान मन्त्री की आवाज को हमारे देश ने ठीक नहीं समझा उसे अमेरिका, स्विटजरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों ने ठीक समझकर अपनाया। ऑल इन्डिया इकोनोमिक कान्फ्रेन्स की जो १९३९ की रिपोर्ट है उसमें इस चीज को बिल्कुल स्वीकार किया गया है कि यदि हमारे देश में इस सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस नहीं किया गया तो लोगो की हालत नहीं सुधर सकती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि सरकार किसानों को राहत पहुँचाने के लिए यह कानून बना रही है तो उन लोगों को लगान से मुक्त करना पड़ेगा जिनके पास जीवन निर्वाह मात्र के लिये जमीनें हैं और उस जमीन के अलावा उनके पास और कोई साधन जीवन निर्वाह का नहीं है।

सरकार ने जो सीलिंग कमेटी मुकर्रर की है यदि उसकी रिपोर्ट पर अमल ठीक तरह से किया गया तो राजस्थान में जमीनों के बराबर बँटवारे की चर्चा चल रही है वह कदम भी किसी हद तक जो यह सिद्धान्त है कि जमीनों का बंटवारा बराबर होना चाहिए, उस सिद्धान्त की ओर ले जाने वाला है। परन्तु इसके पहले कि वह रिपोर्ट पेश हो हमें उसके लिए पृष्ठ भूमि तैयार करनी पड़ेगी, उस कमेटी की रिपोर्ट को किस प्रकार कार्य रूप में लाना है इसके लिए पृष्ठ भूमि तैयार करनी पड़ेगी।

[श्री भैरूँसिंह]

इस बिल में इस कमेटी की रिपोर्ट को इस तरह इग्नोर किया गया है कि मानो राजस्थान सरकार ने कमेटी मुकर्रर की ही नहीं हो। इसमें यह मेन्शन होना चाहिये कि ज्यों ही उस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होगी उसको इस प्रकार अमल में लाया जाय पहिले ही से यह खुलासा कर लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जितनी जमीन रख सकता है, इतनी जमीन अन इकोनोमिक होगी, इतनी जमीन इकोनोमिक होगी, इतना होल्डिंग बेसिक होल्डिंग होगा, इतना मीडियम अथवा ओप्टिमम।

जब तक इस कानून में इसकी पृष्ट भूमि नहीं होगी, इसको कानून रूप में लाने के लिए दूसरा कानून आयेगा, उसकी डेफिनेशन्स में, मन्शा में फरक होगा और एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। अब मुझे इस एक्ट के मूल सिद्धान्त जो हैं उनके बारे में कहना है। इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्टस एण्ड रीजन्स दिये हैं, उनमें लिखा है:

"Since the integration of various States into Rajasthan the need for uniform tenancy law for the whole State is being keenly felt."

जोधपुर, जयपुर, बीकानेर आदि रियासतों में Jodhpur State Tenancy Act; Jaipur State Tenancy Act, Rajasthan Tenants Protection Ordinance; Rajasthan Rent control Order; etc etc. पहले थे और उन्हीं के अनुसार वे लोग गवर्न होते थे। उन सब एक्टों को रीपील किया है। यह कहा जाता है कि यदि उन एक्टों को रीपील नहीं किया जाता तो काश्तकारों को कोई राहत नहीं मिलती, उन लोगों को कानून से रक्षण नहीं मिलता। इकोनोमिक होल्डिंग्ज़ के लिए हमने सीलिंग कमेटी मुकर्रर कर रखी है। मैं यह कहूँगा कि हमने पुराने एक्टों को तो रीपील किया है लेकिन सेटलमेंट रूल्स को बिल्कुल अलग कर दिया है। सब एक्ट रीपील हुए, लेकिन सेटलमेंट का कानून रीपील नहीं होगा। टीनेन्सी सारी लेण्ड, टीनेन्ट और सेटलमेंट पर निर्भर है। अलग-अलग स्टेटों में अलग २ ढंग से सेटलमेंट होता था। उदयपुर में अलग ढंग से वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए व जोधपुर व जयपुर में अलग ढंग से और बीकानेर में भी किसी दूसरे ढंग से सेटलमेंट होता रहा। कहने का मतलब यह कि अलग-अलग स्टेटों में अलग-अलग तरीकों से सेटलमेंट होता रहा है। हमको उन्हें एक करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई और यदि हमने इस कमी को, कानून को बनाते वक्त पूरा नहीं किया तो जो राहत हम काश्तकारों को पहुँचाना चाहते हैं नहीं पहुँचा सकेंगे। सेटलमेंट में खेतों की उन्नति के लिए कई रूल्स हैं और हम कई-कई तरीकों से जमीन की किस्म को तय करते हैं। नेचुरल प्रोसेस से और दूसरे भी कई तरीके हैं जिनसे हम जमीन का assessment कर सकते हैं। लेकिन अलग-अलग जगहों के लिए अलग-अलग तरीके हैं। बीकानेर में अलग तरीके हैं, उदयपुर में किसी दूसरे तरीके से व जयपुर और जोधपुर में किसी दूसरे तरीकों से जमीन का assessment करते हैं। यदि इन सब को युनीफाइड नहीं किया तो काश्तकारों को बिल्कुल राहत नहीं मिलेगी क्योंकि जमीन के मामले में काश्तकारों के लिए कानूनों को एक करना बहुत जरूरी है। अलग-अलग कानूनों को रख कर हम उनके लिए स्पेशल प्रोविजन

Page No.60

[श्री भैरूँसिंह]

रख कर उन पर कानूनी मोहर यहाँ पर लगाने के लिए लाते हैं और वे सेटलमेंट के रूल्स रीपील नहीं होंगे तो काश्तकारों को कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो यह कहूँगा कि वे सिर्फ एसेम्बली में मोहर लगाने के लिए ही पेश किये गये हैं।

अगर आप यह चाहते हैं कि उसको राजस्थान एसेम्बली में सेटलमेंट के रूल्स के बारे में इन्टरप्ट नहीं करें तो इस बिल को विधड्रा करके या नहीं तो फिर इसको वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेजकर सेटलमेंट रूल्स का यूनीफिकेशन कराना होगा। अलग-अलग कानून काश्तकारों को कोई हित कर नहीं होंगे। कहीं केश रेन्ट और कहीं काइन्ड में, यह बात वाजिब नहीं।

हमने लेण्ड यूटीलाइजेशन बिल पास किया। उसके अनुसार कोई भी अपनी जमीन को पड़त नहीं रख सकता है। आप अगर स्टेटमेंट ऑफ ओबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स देखें तो आपको मालूम होगा कि उसमें क्या लिखा जाता है? Protection of Tenants के कारण हम अपनी जमीन को खुदकाश्त के लिए रखें और किसी दूसरे को न दें तो पड़त नहीं रख सकते। आपने आर. पी. टी. ओ. एक्ट को रीपील कर दिया है। जब आपका आर. पी. टी. ओ. कानून ही लागू नहीं होगा तो आपकी वह भावना कहाँ रहेगी? हमको कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग और इरिगेशन एक्ट; यानि जितने भी टीनेन्सी से सम्बन्ध रखने वाले एक्ट हैं उनको ठीक करके एक बनाना होगा। अगर हमारी यही मन्शा है तो मैं यह कहूँगा कि अलग-अलग कानून बनते रहेंगे, कोई लेन्डहोल्डर्स की मन्शा कुछ होगी तो खातेदारों की मन्शा कुछ और होगी। इस प्रकार कानून में देर होगी। इसलिए मैं यह कहूँगा कि सब जगह के सेटलमेंट एक्ट हैं उनको रीपील करें और जितने भी कृषि सम्बन्धी कानून हैं उनको किसी भी प्रकार से एक करदें और तभी यह कानून दर-असल काश्तकारों के लिए हितकर होगा।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस प्रकार के कानून बनने से वकीलों के घर भरे जावेंगे और काश्तकारों के घर खाली होंगे। इसलिए मैं यह स्पष्ट शब्दों में निवेदन करूंगा कि जो इस बिल में खामियें हैं उनको दूर करने के लिये माननीय मन्त्री इस पर पुनर्विचार करेंगे।

माननीय चेयरमेन, अब मुझे यह निवेदन करना है कि इस कानून के सम्बन्ध में कई लोगों ने जागीरदारों की बातों को लेकर कई बातें कही हैं। उन बातों को मैं ऊटपटांग तो नहीं कह सकता मगर उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो उनके स्वयं के समझ में नहीं आई हैं। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ इस बिल की मन्शा यह थी कि पहले यह टीनेन्सी एक्ट बन जावे और इस एक्ट के बन जाने के बाद जागीर रिजम्प्शन एक्ट पास किया जावे। इसलिए इसमें जो खुदकाश्त की डेफिनेशन और प्रोविजन रखे हैं वे इस बात के द्योतक हैं कि इस एक्ट को जागीर रिजम्प्शन से पहले बनाया जावे और उसके बाद जागीर रिजम्प्शन एक्ट बनाया जावे। उस वक्त में वातावरण शुद्ध था और

[श्री भैरूँसिंह]

समझौते की भावना चल रही थी। जागीरदारों ने खुदकाश्त जो उनको मिलती वह स्वीकार की। लेकिन जागीर रिजम्प्शन एक्ट पहले पास हो गया और अब यह टीनेन्सी एक्ट हमारे सामने आया है।

सदन के अन्दर और बाहर एक असंतोष की भावना है। इससे खुदकाश्त को कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर यह मान लिया जावे कि खुदकाश्त की ओट में जागीरदारों को गालियाँ मिलती रहें, मिलें; मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें अपने उन वचनों का पालन करना है जो हमने मन्जूर किये हैं। दरअसल देखा जावे तो खुदकाश्त वालों के कुछ और राइट्स हैं और खातेदारों के अलग। खुदकाश्त का जागीरदार टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त है। उनके डेफिनेशन्स और राइट्स बिल्कुल खत्म कर दिये गए हैं। इससे खुदकाश्त पाने वाले को कोई फायदा नहीं होगा। खुदकाश्त वालों को वे अपने राइट्स को ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं। आगे चल कर आपने उनको खातेदार मान लिया है। खातेदार होने की सूरत में वह अपनी जमीन को बेच सकता है, राइट को ट्रान्सफर कर सकता है। अगर वह खुदकाश्त की डेफिनेशन में आता है तो वह मोर्टगेज नहीं कर सकता। खुदकाश्त वालों को जो राइट्स मिले हैं उनको ट्रान्सफर नहीं कर सकता। इस कानून में शुरू से आखिर तक यह मालूम नहीं, यह साफ नहीं कि खुदकाश्त राइट्स क्या होंगे। खातेदार राइट्स हैं या खुदकाश्त राइट्स वह जो काश्तकार की हैसियत से मिलते हों दोनों बातों का समावेश अलग हैं तो ऐसे कानून से किसी को राहत नहीं मिलेगी। कन्फ्लिक्ट होगा कि खुदकाश्त वाला अपनी जमीन छोड़ दे या अपने राइट्स को बेच दे या ऐसी उलझन पैदा करदे जिसमें से वह नहीं निकल सके। इसलिए मैं यह कहूँगा कि गरीबों का कोई भला नहीं होगा, छोटे जागीरदारों को कोई राहत नहीं मिलेगी, अमीरों के पास बहुत जमीन रहेगी और गरीब लोगों के पास कोई जमीन नहीं रहेगी। जिस वक्त सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी तब पता लगेगा। जो गरीब लेन्ड होल्डर्स हैं और जो छोटे जागीरदार हैं उनके पास कुछ नहीं रहेगा। जागीरें खत्म होंगी, बड़े-बड़े जागीरदारों को मुआवजा मिलेगा, उनको बड़ी-बड़ी जमीनें मिलेंगी। मुसीबत है तो छोटे-छोटे जागीरदारों की है और आम काश्त करने वालों की। अगर हमने इनको Protect नहीं किया तो हम इस प्रकार की भावना को जाग्रत करेंगे कि कभी भी इस बात को लेकर गरीब जागीरदार और काश्तकार किसी दूसरे रूप में एक्सप्लोइट किये जा सकेंगे। कई लोग कहते हैं कि जागीर नहीं देंगे, मरेंगे। मगर मैं यह कहूंगा कि किए जा सकेंगे। गरीब लोगों को भुलावा दे रहे हैं और दूसरे बड़े-बड़े लोग राजनैतिक फायदा उनके भोलेपन का उठा रहे हैं और वह महज इसलिए कि इनकी रिहेबिलीटेशन के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है, स्पष्ट नीति बड़े-बड़े लोगों के लिए है। उनको यह मालूम हो जावेगा कि जागीरें खत्म होने पर उनको इतनी जमीनें मिल जावेंगी। उनको अभी तक सीलिंग कमेटी का डर है। मगर मैं यह कहूँगा कि जो लोग आज एक बीघा जमीन के लिए मोहताज हैं उनके लिए आपने क्या प्रोविजन किया है।

हमने उनके लिए क्या प्रोविजन किया है? जागीर रिज़म्पशन एक्ट में हम कहते हैं कि कम्पेन्सेशन देंगे। इस सम्बन्ध में स्वयं माल मन्त्री महोदय ने बताया कि जागीर रिज़म्पशन के बाद

[श्री भैरूँसिंह]

जो उन्हें रकम मिलेगी वह उनके लाइवलीहुड के लिए काफी होगी। हो सकता है कि वह काफी हो लेकिन बाद में उनको किस प्रकार रिहेबिलिटेट करेंगे उस सम्बन्ध में कोई प्रोवीजन नहीं है। यहाँ ऑब्जेक्ट यह है कि खेतिहर बनाने के लिए सुविधायें दें। यदि हमने उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया तो हमारे सामने बेकारी की, उनकी भूखमरी की बड़ी भारी समस्या पैदा हो जायगी। अभी भूख की समस्या आई नहीं है, पर जब आवेगी तो वे मटियामेट हो जावेंगे। खासतौर पर उधर बैठने वाले सदस्य और माल मन्त्री यह न सोचें कि सत्ता के पास बल है। मैं आपको बताऊं कि वे बाहर फटे हुए कपड़ों में और चिथड़े पहने हुए अनाथ की तरह रहते हैं। समाज में उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। अगर उस स्थिति को सुधारना है तो वास्तव में हमें देखना पड़ेगा कि इस प्रकार के कानून के जरिये से हम वह स्थिति कैसे सुधार सकते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बातों के रूप में उनका उसमें समावेश करके कोई कानून बनाना पड़ेगा।

माननीय चेयरमेन, हमने देखा है कि जो कुछ संशोधन हमने जागीर रिज़म्पशन एक्ट के समय रखे थे तो वे माल मन्त्री महोदय द्वारा इसलिए नामन्जूर कर दिये गए कि जल्दी से जल्दी हम ऐसी चीज बनाने जा रहे हैं कि जिससे प्रतिक्रियावादी नहीं कहलाये जा सकें और पंत रिपोर्ट में जैसा कि जिक्र है उसके आधार पर कानून बनाना है। हम पंत रिपोर्ट के विपरित कोई काम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत पंत रिपोर्ट को देखा जाय तो काश्तकारी कानून से उसका सम्बन्ध है। इसमें छोटे-छोटे भूस्वामियों को प्रोटेक्ट करना है, लगान से मुक्त करना है और कम्पेन्सेशन देना है। चार-पाँच साल के लिए जिस तरह पंत रिपोर्ट में समावेश है उसका जिक्र नहीं है। मैं माल मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन संशोधनों को इक्विटी और जस्टिस के नाते मन्जूर करना चाहिए जो कि उन्होंने पंत रिपोर्ट के अनुसार जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के वक्त रखे थे और जो कि उन्हें उस वक्त स्वीकार नहीं थे। मैं माल मन्त्री महोदय का फिर पंत रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाऊंगा। वे उन समस्याओं का ध्यान रखेंगे, लगान में रियायतें की जावेंगी। वे उन चीजों को देखें और पंत अवार्ड को भी ध्यान में रखें। यदि वे इन बातों का इसमें समावेश करेंगे तो अच्छा रहेगा।

माननीय चेयरमेन, मैं यह भी मानता हूँ कि जब कानून बन चुकेगा और उसके विषय में जो संशोधन आवेंगे उनमें सरकारी पक्ष द्वारा जो संशोधन रखे जावेंगे उन्हीं को माना जावेगा। यदि किसी विरोधी दल के सदस्य को किसानों की वास्तविक हालत मालूम हो और जो काश्तकारों के विषय में कोई संशोधन यहाँ रखे तो उनको भी इसमें लिया जाय और केवल सरकारी पक्ष से, ट्रेज़री बेन्चेज़ से आये हुए संशोधनों पर ही विचार नहीं किया जाय और यदि आप विरोधी पक्ष द्वारा रखे गये संशोधनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और उनको इस कानून में एडजस्ट करेंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार के सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि सरकारी पक्ष, या ऑफिसर्स या उधर के बैठने वाले लोग या जो सरकारी मशीनरी में जुटे हुए समझे जाते हैं वे लोग यदि उसी प्रकार से एडजस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सम्बन्ध में जितने भी प्रमाण हों, जितने भी दृष्टिकोण हों जितने भी तथ्य हैं, मिल सकते हैं। काश्तकारी कानून को बनाने के लिए, किन-किन

[श्री भैरूं सिंह]

मुद्दों पर विचार करना पड़ेगा, किस हद तक सरकार नियंत्रण रखना है, इन बातों का जब तक कोई सिद्धान्त तय नहीं किया जायगा तब तक यदि किसी प्रकार काश्तकारी कानून बनायेंगे तो वह अच्छा नहीं होगा।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जहाँ तक विचार-धारा का सवाल है इस बिल में कई ऐसे क्लॉजेज़ हैं जिसके लिए कहा जा सकता है कि सरकार का कदम प्रगतिशील है किन्तु इसमें कई खामियाँ भी हैं, जिसके लिए मैं मन्त्री से निवेदन करता हुआ यह आशा करता हूं कि इस बिल की खामियाँ पूरी होने पर पास होने देंगे और यदि कमियाँ पूरी नहीं होती हैं तो सरकारी पक्ष के सदस्य और दूसरी ओर बैठने वाले सदस्य प्रयत्न करेंगे। यदि सरकार के पास वास्तविक बातें नहीं है तो वह सामने रखें और इसको ठीक बनाने में सहयोग दे। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—डा० मंगलसिंह।

डा० श्री मंगलसिंह—मैं इस बिल के केवल सिद्धान्त पर ही दो शब्द कहना चाहता हूँ। मेरे कई मित्रोने इस बिल को प्रगतिशील बताया है और कुछ ने तो क्रान्तिकारी भी कह दिया है। मैंने जिस वक्त इस बिल को पढ़ा तो मुझे इसको दुबारा पढ़ने का उत्साह नहीं हुआ। यह बिल उस समय के कानूनों के अनुसार बना है जो शाही जमाने में बना करते थे। जब अंग्रेज आये तो उन्होंने भी उसकी नकल की और राजा लोगों के पास जो अंग्रेजों के मातहत सत्ता बना कर राज्य करते थे यही कानून का नमूना उस समय था। अब जब सिद्धान्त बदल गया है, उस समय अंग्रेजों का या आगे-पीछे का सिद्धान्त यह था कि किसानों को आधा पेट खाने को मिलना चाहिए, कपड़ा पूरा न हो, शिक्षा न मिले और इस प्रकार से कमजोर और मूर्ख करके रखेंगे, तब उनके ऊपर राज्य कर सकते हैं; यह उन सिद्धान्तों की आधारशिला थी और उस वातावरण में यह कानून बना था, आज यह कानून जो हमारे सामने आया है।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

उस तरह के कानूनों का एक संकलन है। सिद्धान्त तो यह होना चाहिये था, जो विधान बनाते समय और उसके पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि निर्बल और निर्धन और रक्षा की सहायता और रक्षा बलवान और धनवान के खिलाफ करना है, लेकिन यह सिद्धान्त भी उन दिनों का है। जमीन के बारे में सिद्धान्त जो होना चाहिए वह तो जिस तरह से आकाश, जिस तरह से हवा, जिस तरह से पानी के ऊपर कब्जा किसी का नहीं हो सकता, सर्वसाधारण का हाल है उसी तरह से जमीन पर भी कब्जा किसी का नहीं हो सकता। यह राष्ट्र की वस्तु है, यह विचार भी कुछ संकुचित है, यह तो विश्व की संपति है। यह भूमि मनुष्यमात्र और जीव मात्र की है। यदि यह आधार शिला होती तो इस कानून की शक्ल ही अलहदा होती। लेकिन यह पुराने कानूनों का संकलन मात्र है, जो उस समय के राजाओं के कानूनों के अनुसार है कि उनके हकों पर चोट न आये, जागीरदारों के हकों पर चोट न आवे या बादशाही के हकों पर चोट न आवे। यही उनकी आधारशिला थी। गरीबों की बात, किसानों की बात तो

[डा० श्री मंगलसिंह]

इतनी ही रखनी थी कि वे जिन्दा रहें, हमारे लिये खाना पैदा करें, अनाज पैदा करने का काम करते रहें। अगर इतना खाना नहीं दिया जायगा तो हमारा काम नहीं चलेगा और इसी सिद्धान्त पर कानून रखे थे। मैं तो यह समझता हूँ कि यह बिल प्रगतिशील और क्रान्तिकारी तो नहीं ही है। मुझे तो इसने उत्साह पैदा नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि इस हालत में और ऐसे वातावरण में जब शायद किसानों की तरफ से कहने वाला कोई दिखाई नहीं देता है; श्री जसवन्तसिंह जी ने कहा आया तो है। (हँसी) यदि उनकी रक्षा के लिए आप मुझे देखते हैं और यह समझते हैं तो आपका कहना मैं गलत तो नहीं कह सकता हूँ किन्तु सही से दूर है। मैं तो उस वायु मंडल में हूँ जिसमें से ऐसे आदमियों की सांसें और हवा निकल रही हैं वह इस सदन में एक हो। जो दूसरे प्रकार से बंद हैं। इसलिए मैं यह समझूं कि काली कोटरी में आकर मेरे कपड़े काले नहीं होंगे यह मेरा अभिमान होगा।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर, हीयर)

लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूँ कि इस बिल में जो सिद्धान्त रखा है वह ठीक नहीं है। हम ऊंचे सिद्धान्तों पर आकर इस बिल को बनाना चाहते थे, किन्तु कुछ मित्रों ने इसके अच्छे गुण बतलाये, इसके अन्दर चाहे जो भी हों, चाहे वह मिट्टी का खिलौना हो, या चाहे जो कुछ हो, इसके जो गुण बतलाये उनमें कुछ ठीक हैं, कुछ वैसे हैं या जैसे हैं वैसे हैं।

मैं दो एक बातें और कहना चाहता हूँ क्यों कि समय नहीं है। इस बिल में एक क्लाज़ आता है कि विद्यार्थी को २५ वर्ष तक खेती करा लेने की आज्ञा दी जा सकती है। तो एक विद्यार्थी हो सकता है हालां कि इसमें नहीं लिखा है कि वह कॉलेज में हो या प्राइमरी में पढ़ता रहे। प्राइमरी में एक आदमी नाम लिखा लेगा तो उसको २५ वर्ष तक की गारन्टी हो गई कि वह काश्त दूसरों से करा सकता है। २५ वर्ष होंगे तब तक उसके लड़का हो जायगा और वह उसको दे देगा। प्राइमरी स्कूल में उसका नाम दर्ज हो जायगा और फिर क्रम उसी प्रकार चलता रहेगा। तो यह कोई क्या कानून की बात है? यह तो बंटवारा हो जाता है। यह किसानों का कानून बन रहा है या कोई बंटवारा हो रहा है। इस प्रकार क्रम बांध देने से यानि तुम्हारा लड़का हो जाय तो फिर उसका नाम लिख दिया जाय, २५ वर्ष उसके हो गये फिर यही क्रम चलेगा। तो यह तो यह हो गया कि राजा का लड़का राजा और फिर उसका लड़का राजा।

(हंसी)

("अभी तो आपके लिए समय है, आप बोलिये" इस प्रकार की आवाज)

कानून में जो सर्विस करते हैं जैसे फौज़ में बाहर सर्विस करते हैं, एयर सर्विस करते हैं उसके साथ-साथ सिविलसरवेन्ट्स को भी जोड़ दिया है। जो व्यक्ति दूसरी जगह फौज़ में सर्विस करते हैं जहाजों में फिरते रहते हैं जो खेती के स्थान पर नहीं आ सकते उनके लिये यह रियायत है, तहसीलदार एस० डी० ओ० और कमिश्नर के लिये जो चाहे जितनी जमीन रख सकता है, उस पर खेती करवा सकता है, तनखा लेता है सो तो अलग। इसमें से कम से कम यह तो हटा देना चाहिये। तभी इस बिल को टोलेरेट किया जा सकता है। बस, मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

Page No.65

श्री उपाध्यक्ष—इसमें समय की कोई बात नहीं है, आप चाहें तो और बोल सकते हैं।

डा० श्री मंगलसिंह—अब बैठ गया सो बैठ गया।

राज श्री हिम्मतसिंह अटरू—उपाध्यक्ष महोदय, इस टिनेन्सी बिल के ऊपर काफी वाद-विवाद हो चुका है और आज मैं ख्याल करता हूँ, यह चौथा दिन है। यह तमाम वाद-विवाद आज समाप्त होने वाला है। चूंकि मिनिस्टर महोदय को इसका जवाब देना है इसलिये मैं काफी समय न लेता हुआ संक्षेप में ही अपने विचार रखूंगा। मैं कल ही कुछ बताना चाहता था, किन्तु कल किसी कारण से मुझे समय नहीं मिल सका।

सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि जिस कानून के लिये हम यहाँ वर्षों से इन्तजार कर रहे थे आज वह कानून हमारे सामने बिल के रूप में आया है और जिसे हम पास करने जा रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सिलेक्ट कमेटी में भी मैं एक सदस्य था किन्तु जितना भाग मुझे इसमें लेना चाहिये था किन्हीं कारणों से न ले सका। इस कारण कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

इस कानून को देखने से, पढ़ने से और बार-बार पढ़ने से मुझे यह अनुमान होता है कि यह इतनी क्लिष्ट भाषा में बनाया गया है कि साधारण लोगों के समझ में आना बड़ा मुश्किल है। तो बेचारे काश्तकार जिनके लिये यह कानून बनाया जा रहा है किस तरह से इसको समझ पायेंगे, यह सोचने की और विचारने की बात है। राजस्थान सरकार प्रायः कानून अंग्रेजी में लाया करती है ऐसा नियम है किन्तु इसका हिन्दी अनुवाद भी होगा। हिन्दी अनुवाद के लिये मैं माननीय मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इसका हिन्दी अनुवाद इतनी सरल भाषा में बनवाएं ताकि सामान्य नागरिक इसको आसानी से समझ सके। आजकल जो बिल के हिन्दी अनुवाद देखे जाते हैं वे इतने क्लिष्ट होते हैं कि अच्छे-अच्छे पंडितों को भी उनके समझने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, डिक्शनेरी सामने रखने पर भी उनकी हिन्दी समझ में नहीं आती।

अब मैं इस बिल की थोड़ी बहुत पेचदगियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बिल में डेफीनेशन में रेन्ट और लेन्ड रेवेन्यू इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। डेफीनेशन में बताया गया है कि रेन्ट क्या होगा और लेन्ड रेवेन्यू क्या होगा। बिल में जिस जगह इन शब्दों का प्रयोग किया है उससे यह ठीक प्रकार से मालूम नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट की मन्शा रेवेन्यू से है या रेन्ट से। इस प्रकार इसमें करेक्ट बात क्या है, इसको समझना एक बड़ी कठिन समस्या हो जायगी।

लेन्ड होल्डर यह एक ऐसा शब्द रखा है जिसमें लैन्ड होल्डर में गवर्नमेंट भी शामिल होगी, एस्टेट होल्डर भी शामिल हैं और खातेदार भी शामिल हैं, दुनियाँ भर शामिल है। लैन्डहोल्डर की वजह से ऐसी पेचीदगियाँ हो गई है कि मामूली आदमी की अक्ल से परे की चीज़ है इसको समझना। मालूम ऐसा पड़ता है कि प्रयत्न तो काफी किया गया है इसको ठीक करने में। सिलेक्ट कमेटी ने भी

[राज श्री हिम्मतसिंह अटरू]

इस पर काफी विचार किया है। हूबहू जहाँ तक मेरे ध्यान में आया है यू० पी० के टिनेन्सी एक्ट को उठा कर यहाँ रख दिया गया है। राजस्थान में भूतपूर्व रियासतों में जो कानून लागू थे उनको बिल्कुल नजर अन्दाज कर दिया गया है। यू० पी० टिनेन्सी एक्ट में चूंकि खातेदारी का कहीं प्रयोग नहीं किया गया वह टिनेन्ट्स या तो प्रोप्राइटर, सब टिनेन्ट, ओक्यूपेन्सी टिनेन्ट इस भाषा में बतलाया गया है; यहाँ महज खातेदार और गैर-खातेदार, खुदकाश्त टिनेन्ट और सब टिनेन्ट इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को इस बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने विचार करके खुदकाश्त की डेफीनेशन नई कायम की है जैसा कि अमेंडमेंट देखने से पता चलता है। खुदकाश्त क्या चीज़ है इसकी भी डेफीनेशन नहीं है। हमारे टिनेन्सी एक्ट का दारोमदार खातेदारी सिस्टम के ऊपर है। लेकिन यहाँ खातेदारी सिस्टम क्या चीज़ है उसको समझाने में इसके अन्दर कोई प्रयोग नहीं किया गया। अलग-अलग रियासतों में अलग-अलग नाम से टिनेन्ट को पुकारा जाता है। उदयपुर में टिनेन्ट को खड़मदार शिकमी टिनेन्ट आदि कहते हैं। इस तरह से कई-कई जगह कई डेफीनेशन्स थीं किन्तु यहाँ सबको खातेदार टिनेन्ट राजस्थान सरकार ने बनाया है। इन रियासतों में जहाँ खड़मदार और शिकमी टिनेन्ट कहलाते हैं उन टिनेन्ट्स को क्या पता चलेगा कि खातेदार टिनेन्ट क्या चीज़ है। खातेदार टिनेन्ट को किसी तरह डेफीनेशन में डिफाइन नहीं किया गया है कि खातेदार टिनेन्ट क्या चीज़ होगी। हमारे यहाँ कौन-कौन खातेदार हैं इस बात को भी ठीक तरह से डिफाइन नहीं किया है। क्या हम सबको प्रोप्राइटरी राइट्स या ओक्यूपेन्सी राइट है या नहीं? जो फिक्सिटी ऑफ टेन्योर है कोई भी नहीं बतला सकता कि फिक्सिटी ओफ टेन्योर काश्तकार की रखी गई है; क्या वह हमेशा अपनी जमीन पर कायम रहेगा उसको सरकार बेदखल नहीं करेगी?

जहां तक मेरा इस टीनेन्सी बिल को देखने से अनुमान हुआ है और मैं इसका नतीजा निकाल सका हूँ वहां तक मेरे को यह पता चलता है कि जमींनदारी एबोलीशन नहीं होने के कारण और जागीरदारी रिज़म्शन का प्रश्न जब यहां बना रहा तो इन दोनों प्रश्नों के कारण इसके अन्दर ऐसे ऐसे प्रोवीजन रख दिये गये हैं और ऐसी ऐसी बातें इसमें आ गई हैं कि जिससे यह बिल बड़ा कम्प्लीकेटेड सा बन गया है। अच्छा होता कि जमीनदारी एबोलीशन के लिये वेट किया जाता या इसे हरि अप कर दिया जाता तो यह टीनेन्सी बिल इतना कम्प्लीकेटेड नहीं बनता कि जितना अब बन गया है।

इस टीनेन्सी बिल के अन्दर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्लाज १२ के ऊपर। इसके अन्दर साफ लिखा गया है कि खातेदारी राइट्स ऑफ जागीरदार [Khatedari Rights of Jagirdar]; ज्योंही जागीरे रिज़्म होंगी जागीरदारों के पास जो जमीनें काश्त में हैं उनमें उनके कुल खातेदारी राइट्स मान लिये जावेंगे। ऐसा होते हुए भी एक खुदकाश्त का प्रश्न खड़ा हो रहा है और इसमें हर तरह की लिमिटेशन्स रख दी गई हैं। इधर आप खातेदारी राइट्स दे रहे हैं और उधर आप खुदकाश्त में लिमिटेशन्स कर रहे हैं। रेन्ट तय करने का अधिकार नहीं देते हैं तो यह कोई बात समझ में आने वाली नहीं है कि किस कारण से इस तरह का प्रोवीजन इसमें आपने रक्खा है?

[राज श्री हिम्मतसिंह अटरू]

तो मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि खास जो नुक्स इसमें है वह काश्तकारों के हक हकूक के बारे में है और इन हकूकों को आपने न तो डिफाइन किया है, न कुछ किया है, इसके विपरीत आपने उनको लिमिट कर दिया है जो मैं समझता हूँ कि गैर वाजिब हैं।

मेवाड़ रियासत में, कोटा रियासत में खड़मदार को और खातेदार को अपनी जमीन रहन करने और सबलेट करने और मुन्तकिल करने का पूरा अधिकार था। पर यहां आपने अपने इस बिल में इन अधिकारों को लिमिट (सीमित) कर दिया है और इस लिमिटेशन से आप बजाय उनको विशेष अधिकार दें उनके वर्तमान हकों को भी कर्टेल कर रहे हैं और इस तरह का कर्टेलमेन्ट [curtailment] उनके अधिकारों में, मैं समझता हूं, हमारे संविधान के भी खिलाफ है। कॉन्स्टीट्युशन में हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया है कि वह जमीन अपनी एक्वायर करे, सबलेट करे या डिस्पोज़ आफ करे, जो चाहे सो करे; उसका यह मूलभूत अधिकार है और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जो कानून आप इसके विपरीत बनाएंगे तो वह हमारे संविधान के विपरीत होने के कारण अल्ट्रा वायर्स [ultra vires] भी करार दिया जा सकता है।

कहा ऐसा गया है कि सरकार कम्पेन्सेशन देकर इस तरह की जमीन को मुन्तकिल करने का भी विचार करती है और सैक्शन ३१ के मातिक वह ठीक होगा। लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि यह सैक्शन ३१ किसी काश्तकार के इस अर्थ में लागू नहीं हो सकता है।

जहां तक जमीनदार और लैण्ड होल्डर का सवाल है वहां तक तो यह संविधान की सैक्शन ३१ वाजिब करार दी जा सकती है लेकिन एक काश्तकार की जमीन आप छुड़ाकर सब टीनेन्ट को दे दें, तो ऐसा अधिकार कॉस्टीट्युशन ऑफ इण्डिया आपको नहीं देता है।

चैप्टर ८ जिसमें आपने "Determination and modification of rent" का वर्णन किया है मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सा हिस्सा गैर जरूरी सा मालूम होता है। यह अधिकतर सैटलमेन्ट से ताल्लुक रखता है और सैटिलमेन्ट के कानून के अन्दर जो बात आनी चाहिये थी उसको यहां रख कर इस बिल को बहुत विस्तार दे दिया गया है।

इसी तरह से चैप्टर नौ "पेमेन्टस् एण्ड रिकवरी आफ रेन्ट (Payments and recovery of Rent) के बाबत है। यह भी बहुत लम्बा-चौड़ा चैप्टर बन गया है और इसका खास कारण यह है कि लैण्ड होल्डर और टीनेन्ट के झगड़ों के चक्कर में गवर्नमेन्ट ज्यादा पड़ गई है जोकि एक साधारण सा झगड़ा है और इसको डील करने में रियासत को ज्यादा अपनी शक्ति नहीं खर्च करनी चाहिये थी।

आपने सैक्शन ११२ में यह रक्खा है कि फलां वक्त तक यदि लगान (रेन्ट) कोई काश्तकार अदा न करे तो उसके ऊपर कल से ही इन्टरेस्ट लागू हो जाता है। यह भी एक विचित्र बात है। भूतपूर्व कोटा रियासत में किसी भी काश्तकार से इन्टरेस्ट नहीं लिया जाता था लेकिन

[राज श्री हिम्मतसिंह अटरू]

इसमें राजस्थान सरकार ने इन्टरेस्ट का भी प्रोवीजन लगा दिया और यह भी ऐसा कि एक आना रुपया, जो कि १२ प्रतिशत के करीब पड़ता है। यह भी इन्टरेस्ट क्या है बहुत ज्यादती है किसान के ऊपर।

इजेक्टमेन्ट ejectment] के बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपने प्रोवीजन रक्खा है कि कोई खातेदार अपनी आराजी पांच साल तक सबलेट कर सकता है। लेकिन ऐसा कहीं आपने प्रोवीजन नहीं रक्खा कि इस पाँच साल के बाद या पांच साल के अन्दर किस तरह से वह जमीन पर वापिस कब्जा ले सकेगा। क्या इजेक्टमेन्ट के लिये दख्वांस्त करनी पड़ेगी या इसके लिये कोई और खास प्रोवीजन है या कि क्या ५ साल की यह मियाद खतम होने पर किसी तरह कब्जा पाने का अधिकार होगा या कि क्या कार्यवाही करनी होगी इसका कोई जिक्र है।

इसके विपरीत आपने एक काश्तकार के ऊपर एक बड़ा भारी बन्धन लगा दिया है कि अगर मियाद से बाहर जमीन सबलेट रही तो हर शख्स इसकी बेदखली, सब टीनेन्ट को बेदखली के लिए दख्र्वास्त कर सकता है। यह बड़ी विचित्र बात है। खातेदार अगर बेदखल नहीं करना चाहता है तो हर कोई शख्स उसको बेदखली के लिए दख्वास्त कर दे और गवर्नमेंट में इसके प्रोवीजन के माफिक एक्शन लेकर इसके ऊपर सब टीनेन्ट को खातेदारी या कम्पेन्सेशन दिलाने की कार्यवाही कर दे और इस कम्पेन्सेशन को दिलाने पर २५ प्रतिशत बतौर पेनल्टी सरकार वसूल कर ले, यह कहाँ का न्याय है? दूसरे की जायदाद में से २५ पर्सेन्ट लेने का सरकार को क्या अधिकार है? यह प्रोवीजन १३१ के बारे में मैंने जिक्र किया।

आपने क्लॉज़ १३१ में १२००) रुपया नेट इन्कम के बावत जिक्र किया है। अगर यह जमीन इसके लिए छूट जावे तो पड़त जमीन उससे ली जाकर दूसरे को दिलाई जा सकती है। तो १२०० रुपये की नेट इन्कम का एक अन्दाज़ लगाना और केलकुलेट करना एक बड़ी मुश्किल बात हो जाती है और इसके अन्दर बड़ा करप्शन और गड़बड़ी होने की सम्भावना रहती है। इस तरह का प्रोवीजन इसमें रखकर आपने सिवाय करप्शन को प्रोत्साहन देने के और कुछ नहीं किया है। सिवाय करप्शन के इसमें और भी क्या सकता है।

इसमें एक बात मुझे नहीं मिली कि जिन काश्तकारों के कूए और तालाब हैं उनके ऊपर उनके क्या हक-हकूक होंगे, इसके बावत आपका यह बिल बिलकुल साइलेन्ट, मौन है। मेवाड़ में काश्तकार को और आमतौर पर सब रियासतों में काश्तकारों के कूए हैं और इन कूओं के बावत आपने इस बिल में कोई बात दर्ज नहीं की है कि इसमें आपने उनका किस तरह का अधिकार माना है।

आपने इस बिल के अन्दर काश्तकारों को मकान बनाने के बावत, उनके काश्तकारी के काम के लिए अहाते वगैरह बनाने के लिए मामूली जमीन के लिए अवश्य दर्ज किया है। यह बारी

[राज श्री हिम्मतसिंह श्रटरू]

की सारी समुचित व्यवस्था आपने उन लोगों के लिए की है। मैं यह कहता हूँ कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है जो काश्तकारों के लिए ऐसा करते हैं। गाँव में अन्य जनता भी रहती है उनको आप क्यों नहीं जमीन देते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी बिल बनाना यह भी समझिये गैर वाजिब है।

दूसरी विचित्र बात मुझको यह मालूम हुई कि अभी आपका कमीशन सीलिंग के बाबत नहीं घूमा है अभी घूमने का इरादा करता है, लेकिन उसके पहले ही ऐसे प्रोवीजन्स इस एक्ट के अन्दर रख दिये हैं जो सीलिंग से डील करते हैं। तो इस सम्बन्ध में आपका इस तरह से प्रोवीजन्स रख देना कहाँ तक वाजिब हो सकता है, यह आप विचार करिये।

ट्रेस्पासर के बाबत, उसकी कार्यवाही के लिए, आम तौर पर यह प्रोवीजन रखा है कि सूट फाइल किया जाय, लेकिन सूट फाइल करने से इमीजियेट रिलीफ नहीं मिलता है। ट्रेसपास एक क्रिमिनल ओफेन्स है और क्रिमिनल आफेन्स को उसी तरह डील करना चाहिए कि सूट फाइल करे, इजेक्टमेंट करे, बड़ा लेंग्थी प्रोसीजर है। पुरानी रियासतों में और कोटा रियासत में भी यह नियम था कि ट्रेस्पासर की कार्यवाई इस तरह से होती थी कि तहसीलदार मौके के ऊपर दरख्वास्त इन्तकाल के दर्ज करने पर, कार्यवाही गाँवों के लोगों को बुलाकर कर लेता था और वह एक तरह से समेरी ट्रायल होती थी और उस ट्रायल के अन्दर फौरन ही कार्यवाही हो जाती थी और काश्तकारों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती थी। पर इसमें अब सूट का प्रोवीजन रखकर बड़ा लम्बा-चौड़ा प्रोसेस कर दिया है जिससे कि काश्तकारों को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है।

अलावा इसके, रेमीशन और सस्पेन्शन के बाबत इसके अन्दर कोई जिक्र नहीं किया कि अगर फेल्योर ऑफ क्रोप हो गया है तो रेमीशन और सस्पेन्शन ऑफ रेन्ट के लिए सरकार क्या करने वाली है; किस तरह का रेमीशन, किस तरह से सस्पेन्शन ऑफ रेन्ट और किन-किन वजूहात से रेमीशन और सस्पेन्शन दिया जायगा। इसके लिए आप कतई साइलेन्ट हैं।

ऐसा मालूम हुआ है इस बिल के पढ़ने से कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेसी के सिद्धान्त को लिये चलती है वह अपने सिद्धान्त से गिरकर अब सोश्यलिज्म और कॉम्युनिज्म की तरह जाने के प्रोविज़न्स कर रही है। ऐसी-ऐसी क्लॉजेज़ आपने इसके अन्दर रखी हैं जो कि डेमोक्रेसी के सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत हैं। आप यह कह सकते हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। वेलफेयर स्टेट के बनाने में कुछ भी कह सकते हैं लेकिन यह डेमोक्रेसी के सिद्धान्त के खिलाफ है कि जिस सिद्धान्त के ऊपर कांग्रेस ने राज्य कायम किया है, उसी सिद्धान्त को आप पूरा नहीं निभा रहे हैं।

इन बातों की जो जो खास कमियाँ मेरे को मालूम हुई हैं वह मैंने आपके सामने रखी दी हैं। मुझे आशा है कि इसे पास करने से पहले इस पर विचार करने और कुछ एमेंडमेंटस लाकर इन कमियों को पूरा करने का यत्न करेंगे।

Page No.70

श्री श्रीगोपाल भार्गव—उपाध्यक्ष महोदय, टिनेन्सी बिल के बारे में, चूँकि समय थोड़ा है इसलिए सिर्फ उन बातों पर तवज्जह दिलवाऊँगा जो कि तवज्जह के लायक हैं या जहाँ कमियाँ रह गई हैं।

इस बिल के जरिये से काश्तकारों को गाँवों में मकान बनाने के लिए और मवेशियों के लिए जमीन मिलने के लिए जो हक दिया है वह एक बहुत महत्वपूर्ण हक है, लेकिन जहाँ ५ हजार से कम आबादी के गाँव हैं उन्हीं गाँवों के काश्तकारों को मकान या मवेशियों के लिए जमीन मिल सकेगी, क्योंकि इसमें जहाँ पाँच हजार से ज्यादा आबादी है वहाँ म्युनिसिपल एरिया है और म्युनिसिपल एरिया में जमीन मिलने के लिए इसमें कोई प्रोवीजन नहीं है। वह इसमें तरमीम होनी चाहिए ताकि वहाँ के ग्रामीणों को भी वह हक मिल सके।

लगान जो कायम किया गया है इसका दारोमदार काश्तकारों के ऊपर बहुत है। उन पर बहुत असर पड़ता है लगान की कायमी का। हमारे धौलपुर में मालगुजारी कायम थी, उस मालगुजारी से सवाया या ३३ फी सदी ज्यादा जमींदार वसूल कर सकता था, लेकिन इसमें कम से कम डेढ़ गुना और ज्यादा से ज्यादा चार गुना लगान वसूल करने की मद रखी गई है और दफा ६७ में इस तरह के अख्त्यारात हैं अगर वहाँ चार गुना लगान कायम हो जायगा तो उनको हकूक मिलने के बजाय उनमें और कमी हो जायगी। इसलिए दफा ६७ में यह तरमीम होना जरूरी है कि लगान ज्यादा से ज्यादा दुगुना हो सकेगा मालगुजारी से; इससे ज्यादा नहीं।

शिकमी काश्तकारान से काश्त कराने का हक रखा गया है और पहले कानून में जो था वह यह था कि ५ वर्ष में बन्दोबस्ती काश्तकार शिकमी काश्त करा सकता है, भरतपुर में भी था, और भी कई जगह था। अगर उस कानून के तहत वह जायज तरीके से किसी वजह से अपनी जमीन शिकमी काश्त पर किसी को दे दी और आर. पी. टी. ओ. जारी हो गया है व इसकी वजह से वह जमीन वापिस नहीं ले सका है और अब जमीन काश्तकार के पास नहीं है और उसके गुजारे का जरिया सिर्फ यही जमीन थी तो ऐसी सूरत में उन काश्तकारान को जमीन वापिस मिलने का हक होना चाहिए जब कि इसमें इस उसूल को अपनाया गया है और माना गया है कि खातेदार काश्तकार अपनी जमीन को पाँच वर्ष तक काश्त पर उठा सकता है। जबकि इस उसूल को जायज माना गया है और पहले भी वह उसूल जायज था तो जायज तरीके से जो जमीन दी गई है वह वापिस मिलनी चाहिए। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाय तो यह कि उस काश्तकार के पास अगर २० एकड़ जमीन थी तो उसे १५ ही एकड़ जमीन वापस कर दी जाय। १५ एकड़ जमीन से ज्यादा है तो वापस नहीं ले सके और अगर १५ एकड़ से कम जमीन है तो वापसी का हक मिलना चाहिए।

दफा १५ में यह तहरीर किया है कि कौन-कौन सी जमीन पर खातेदारी राइट्स नहीं देना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट ने होर्टीकलचर यानी गार्डेन्स को इसमें लिया है। होर्टीकल्चर गार्डेन्स की डेफीनिशन क्या है? यह इस एक्ट में डेफीनिशन में नहीं बताया गया है। भरतपुर सब डिवीजन में जो बागात हैं उनकी तीन शक्लें हैं। एक शक्ल बाग की यह है जिनमें फलत आती है और फलत ठेके पर या नीलाम पर दी जाती हैं। मैं समझता हूँ कि जिस बाग में फलत आती है और उसका ठेका दिया जाता है तो वहाँ उस बाग में खातेदारी राइट्स नहीं मिलने चाहिए। दूसरी सूरत

[श्री श्रीगोपाल भार्गव]

यह है जहाँ उसमें काश्त भी होती है और कुछ दरख्त भी हैं। जिनमें फलत आती है उसको नीलाम किया जाता है या जिनको ठेके पर दिया जाता है, काश्तकार अलग है और ठेकेदार अलग होता है और ऐसे काश्तकार हैं जो २०, २५ वर्षों से बराबर काश्त करते चले आ रहे हैं। ऐसी हालत में उन जमीनों पर काश्तकारों को टेनेन्सी राइटस मिलने चाहिए या खातेदारी राइटस मिलने चाहिए। तीसरी शक्ल ऐसी है कि जो पहले किसी वक्त अच्छे बाग थे लेकिन अब या तो उनमें वह दरख्त बरबाद हो गए हैं या अगर कुछ दरख्त रह गये हैं तो कुछ फलत नहीं देते हैं। वह काश्तकारों की काश्त में आ गये हैं और उस लिहाज से काश्त को जमीनें दी गई हैं। ऐसी जमीनों पर खातेदारी राइटस उनको मिलना जरूरी है। मैं माननीय मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसी आराजी पर खातेदारी राइट्स दिये जाने चाहिये।

दूसरी जमीन जो दिखाई गई है कि " Land which is at present, or may here-after be set apart for military on camping grounds " इस समय राजस्थान में कोई फौज नहीं है और जो जमीन इस काम के लिये पहले थी उसमें से बहुत सी जमीन काश्त के लिये उठा दी गई है। ऐसी सूरत में जब जमीन की जरूरत नहीं है, काश्त के लिये उठा रखी गई है उस पर खातेदारी राइटस मिलने के लिये यदि कोई शर्त लगाई जाय तो यह शर्त लगाई जा सकती है कि गवर्नमेंट को फौज के लिये यदि जरूरत होगी तो इस जमीन को वापिस ले सकेगी। लेकिन जो तरीका चल रहा है कि यह जमीन हर साल नीलाम की जाती है और काश्तकार बदलते रहते हैं, यह तरीका गलत है। इस हद तक होना चाहिये कि जब तक जरूरत नहीं है, तब तक यह जमीन एक ही काश्तकार के पास रहे। अभी ऐसी जमीन पर खातेदारी राइटस नहीं दिये जा रहे हैं। यदि वह जमीन काश्त के काम आती है तो उस वक्त तक खातेदारी राइटस मिलने चाहिये जब तक कि गवर्नमेंट को अपने काम के लिये इस जमीन की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार की कानून में तरमीम होनी चाहिये।

इसके अलावा जहाँ ट्रान्सफर करने के राइटस दिये गये हैं उनके बाबत माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की। किसी ने कहा कि ट्रान्सफर के राइटस नहीं रहने चाहिये, किसी ने कहा कि ट्रान्सफर के राइटस मिलने चाहिये। लेकिन मेरी राय यह है कि कुछ शर्तों के साथ में ट्रान्सफर के राइटस दिये जाने चाहिये। जैसे काश्तकार के पास ऐसी जमीन है जो बारानी है, जो इरिगेटेड नहीं है उस जमीन को कोई आदमी खरीदने वाला है तो उस जमीन को ऐसे काश्तकार को देना चाहिये जो उसे चाही बनादे या और किसी तरीके से प्रोड्यूस बढ़ा सके। ट्रान्सफर में ऐसी शर्त कायम की जानी जरूरी है।

एग्रीकल्चरल लैंड के मुतल्लिक इंजक्शन ऑर्डर के लिये रेवेन्यू कोर्ट्स को कोई अख्तयार नहीं दिये हैं। मैं समझता हूं कि जहां काश्तकारों के हक मुतल्लिक इन्जंक्शन यदि कोई दावा दायर होता है तो अदालत दिवानी में नहीं होना चाहिये, रेवेन्यू कोर्ट्स में दायर होना चाहिये। रेवेन्यू कोर्ट्स को इसके लिये अखीत्यार देना चाहिये। मै इतना ही अर्ज करना चाहता था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, इस टीनेन्सी बिल के संबन्ध में आज चौथा दिन है जब कि इस पर विचार चल रहा है। हम स्वयं चाहते हैं कि इसके सारे पहलू सदन के समक्ष आ जाँय। मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें इस सदन में कही गई हैं। किसी ने कहा कि यह प्रगतिशील है, किसी ने कहा कि यह तो आज से १०० साल पहले बंगाल और दूसरी जगह जैसा कानून बना उसके माफिक है। कई प्रकार की बातें इसमें सामने आईं। मैं विस्तार में तो नहीं जाना चाहूँगा इसलिए कि वे बातें क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन में जब होगी उस समय इन चीजों पर विचार किया जा सकता है लेकिन कुछ खास बातें जो इस बहस के दौरान में कही गईं उन पर संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूँ।

हमारे माननीय मित्र ने यह कहा कि जागीरी इलाके में जितने काश्तकार हैं वे सब खातेदारी हक से महरूम रह जायेंगे; क्योंकि क्लॉज १५ की सब सेक्शन (१४) में यह बात कही गई है कि जब तक खुदकाश्त की दर्ख्वास्त का फैसला न हो जाय तब तक किसी को खातेदारी हक नहीं मिल सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जागीर रिजम्प्शन एक्ट पास हुआ उस पर निगाह डालते तो स्पष्ट हो जाता कि जिन लोगों को खातेदारी हक प्राप्त हुए हैं उन खातेदारी हकों को जागीर रिजम्प्शन एक्ट में मान लिया गया है। इसके अलावा मैं और स्पष्ट कर दूं कि पिछली बैठक में जो धारा यहां पर रखी गई है, जब तक खुदकाश्त की दर्ख्वास्त फैसल न हो तब तक खातेदारी हक नहीं मिलेगा। वह इसलिए रखी थी कि जागीर रिजम्प्शन एमेंडमेंट यहाँ पेश नहीं हुआ था। अब जब कि जागीर रिज़म्प्शन अमेंडमेंट पास हो गया है और उसमें से एक क्लॉज़ को निकाल दिया गया है तो उसी के अनुकूल इसमें से भी निकाल देनी पड़ेगी। चाहे जागीर का इलाका हो, चाहे खालसे का इलाका हो, दोनों के लिए खातेदारी हकूक प्राप्त करने की गुंजाइश रखी गई है, वे प्राप्त हो सकेंगे।

बहुत सी बातें कही गईं कि खातेदारी हक प्राप्त करने के लिए राजस्थान में कई गुना लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा, तब खातेदारी हक प्राप्त होंगे। यह उदाहरण दिया गया कि भूमिदारी हक प्राप्त करने के लिए यू. पी. में बहुत कम देना पड़ता है और हक प्राप्त हो जाते हैं जब कि राजस्थान में बहुत ज्यादा रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भूमिदारी हक प्राप्त करने के लिए यू. पी. में जो कुछ देना पड़ता है उसके मुकाबले में हमने खातेदारी टीनेन्टस, गैर खातेदारी टीनेन्टस और सब टीनेन्टस मोटे तौर से ३ श्रेणियों में हमारे यहाँ विभाजन किया है। जब तक जागीर है तब तक खुदकाश्त टीनेन्टस या खुदकाश्त होल्डर होंगे लेकिन अल्टीमेटली जो पिक्चर सामने आती है उसके अनुसार ३ श्रेणियाँ होंगी। हमारे यहाँ खातेदारों को ट्रान्सफर होल्डर होने के भी साथ-साथ अख्त्यार प्राप्त हैं। यू. पी. में भूमिदारी हक प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना होता है वह खातेदारी प्राप्त करने के लिए भी हमारे यहाँ करना पड़ता है, भूमिदारी में लगान कम हो जाता है और हमारे यहाँ निश्चित लगान कायम रहता है मुआवजे की बात सब टीनेन्टस के लिए है। जागीरदारी हक के लिए टीनेन्टस से ली जाती है। इस चीज को भूमिदारी हक के साथ लिया जाता है और उसके साथ कम्पेअर करना ठीक नहीं है। जागीरदारों को कॉन्स्टीट्युशन के जरिये मुआवजे के हक प्राप्त हैं। यदि हम उनको हक नहीं देते हैं तो कानून यह ठीक नहीं है। सब-टीनेन्टस को खातेदारी हक प्राप्त करने के लिए मुआवजा देना पड़ता है। इसलिए सिलेक्ट कमेटी में इस बात के तय हो जाने के बाद

Page No.73

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हमने प्लानिंग कमीशन से और दूसरों से इस संबंध में बातचीत की और बातचीत करने के बाद में उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि जो कुछ आधार-भूत बातें और हैं उन पर विचार करने के लिए हम सदन में तैयार, सदैव तैयार रहेंगे। यह बात नहीं होगी कि हमने इस तरह की चीज़ बना ली है जिस पर सोचने के लिए आगे तैयार न हों।

यह कहा जाता है कि हमने जमीन की कीमत तय करने का सारा अधिकार अधिकारियों को दे दिया है, यदि निश्चित तौर पर रेन्ट मुस्तकिल तय करते तो कुछ अच्छा होता। यह लोजिक की बात है, इसके बारे में सोचा जाय। सब टिनेन्टस के टेन्योर के बारे में फिक्सिटी हो, यह सोचा जाना चाहिये, यह कहा गया। यह बात भी प्लानिंग कमीशन से बातचीत के दौरान में हमारे सामने आई। मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें संशोधन के द्वारा की जायेंगी उनसे जो कमियें नजर आती हैं, उनकी पूर्ति हो जायगी। मैं समझता हूँ बहुत कुछ बातें जो निश्चित रूप से करने की भावना है, वे की जायेंगी। जैसा कि मैंने पिछले समय कहा था, ए. आई. सी. सी. ने भी रिज्योलुशन पास किया है। हम हमारे सामने एक बात को स्पष्ट रख कर चलते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल में एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में किसी को हक नहीं दिया गया है और दूसरी तरफ कहा गया है कि जमीन जोतने वालों को जमीन देते हैं, यह कन्ट्राडिक्टर है।

एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में एक समस्या है और अब तक देश के उत्पादन को लक्ष्य में रखते हुए, साधनों को लक्ष्य में रखते हुए एग्रीकल्चरल लेबर हैं, उनके पास जो साधन हैं उनको दृष्टि में रखते हुए ही ये सब बातें रखी गई हैं।

सब टीनेन्ट को अधिकार देने में मूल बात यह रही है कि मेजर रिस्क सब टीनेन्ट का रहता है। टीनेन्ट तो एक जगह जहाँ लाभ हो दूसरों को जमीन देकर खेती करवा सकता है; जहाँ दूसरी तरफ सारा मेजर रिस्क सब टीनेन्ट का ही है, वही मेहनत करता है, काश्त करता है, बीज खाद वगैरह उसका होता है इसलिये सब टीनेन्ट को प्रोटेक्शन देने की इस कल्पना की गई है और विधान को ख्याल में रखते हुए ही सारे प्रोवीजन रखे गये हैं।

एक सदस्य ने कहा कि पहले के कानून में उनको हक था कि सबलेट कर सकते थे और इसी कानून के अनुसार उन्होंने अपनी सबलेट की तो अब उनका जो अधिकार पहले के कानून के माफिक उस जमीन पर है, उस अधिकार को दूसरे टीनेन्ट को दे देना ठीक नहीं होगा। यह दलील कई बार आती है। पर यह देखना है कि जिन्होंने अपनी जमीन काश्तकार को सब लेट की, इसके बाद हिस्से के तौर पर ले कर काम चलाते थे। असल में मेहनत करना, जमीन तैयार करना दूसरे करते थे तो इसमें ज्यादा हक उस जमीन पर किसका रहा। जब इन बातों को सोचते हैं तो यह स्पष्ट है

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कि सत्ता की दृष्टि से एक ग्र हक रहा पर मेहनत और जमीन पर काश्त करने की हैसियत से सब टीनेन्ट का उस पर हक है और वही उस पर काबिज रहा और अगर उसके पास अधिक जमीन है तो दूसरों को दे, १२०० की लिमिट से ज्यादा है तो वह दूसरों को दे।

१२०० की लिमिट के बारे में कहा गया है कि इसको लागू करना आसान नहीं, यह नहीं रखना चाहिये, यह व्याख्या ठीक नहीं। आप हैदराबाद में देखिये मामूली होल्डिंग की १८००, ३६०० और ७२०० तक लिमिट करके व्याख्या की है।

कोई न कोई आधार हमें बनाना होगा कि एक व्यक्ति के पास कितनी जमीन रहे। वह आधार तय करने की बात है तो राजस्थान जैसी जगह, जहाँ कई प्रकार की जमीनें हैं, उन जमीनों की ओर ध्यान दें तो क्षेत्र के हिसाब से तय नहीं कर सकते क्योंकि कहीं १५० बीघा जमीन में इतनी पैदा होती है तो कहीं ३ बीघा में ही १२०० की आमदनी हो सकती है। आमदनी का घर के खेती के खर्चे से और जीवन निर्वाह से ताल्लुक है। इसलिये सोच-विचार कर हमने यह रखा है जिससे किसान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इतनी छोड़ी जानी चाहिये।

एक महानुभाव ने कहा कि जो दबे हुए हैं उनकी रक्षा करें और उनका ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन हो। मैं समझता हूँ कि सब टिनेन्ट के तौर पर एक आदमी काम करता था तो टिनेन्ट की विल पर था कि जब चाहे उसको निकाल सकता था, वह व्यक्ति १२०० की इन्कम तक की जमीन पर काबिज रह सकता है, इस तरह का संरक्षण दिया है। उसको संरक्षण देने के बाद उसके पास ज्यादा जमीन बनी रहे तो दूसरों को देने की बात इसमें रखी है।

एक और चीज की चर्चा कई माननीय सदस्यों द्वारा की गई है कि जो रेन्ट फिक्स करने की बात रखी गई है वहां पर स्टेट होल्डर पर रेवेन्यू एसेस (assess) किया जायगा वहां सब टीनेन्ट से डेढ़ गुना से ४ गुना तक रेंट वसूल करने का अधिकार दिया गया है और जहाँ रेंट एसेस किया जायगा वहाँ एक गुना से दुगना तक वसूल करने का रखा है। बात दरअसल यह है कि एस्टेट होल्डर, जमींदार, बिस्वेदार ये क्लॉसेज़ हैं। अलवर, भरतपुर, कोटा और कोटपुतली के कुछ हिस्सों में बिस्वेदारी प्रचलित है और इसी आधार पर हमने भरतपुर अलवर में जिनका लैंड रेवेन्यु फिक्स किया हुआ है वहाँ सब टिनेन्टस से डेढ़ गुना से चार गुना तक वसूल करने का प्रोविजन रखा है; जहाँ कि पहले इससे कई गुना अधिक लिया जाता था। इसे पर्टिक्युलर एरिया के लिये रखा हुआ है। इसलिये दूसरे किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और जिस क्षेत्र के लिये रखा गया है वहाँ भी इतना रखने पर भी आमतौर से उन किसानों को रियायत होती है और राहत मिलती है।

दूसरी तरफ रेंट के लिये कहा गया है कि इसमें दुगुना रेंट फिक्स कर दिया गया है। बात यह नहीं है। दुगुना ही लिया जाय, यह इसमें कहीं नहीं है। इसमें यह कि दुगुना तक गवर्मेंट

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

फिक्स कर सकती है; जिसमें सवाया भी हो सकता है, ड्योढ़ा भी सकता है और गवर्नमेंट दुगुना भी फिक्स कर सकती है। इसको मैं स्पष्ट करना चाहता था इसलिये मैंने ये बातें यहां कहीं।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि भूमिहीन किसानों के सम्बन्ध में इस बिल में कोई जिक्र नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि भूमिहीन किसानों के बारे में इस बिल में बात आना भी सम्भव नहीं। भूमिहीन किसानों को नई जमीनें देने का प्रश्न है, कितनी जमीनें किसको दें, इसके लिये स्टेन्डिंग कमेटी [Standing Commettee] मुकर्रर को हुई है। जो जमीनें पड़त पड़ी है, उनमें बसने के लिये उन्हें प्रायोरिटी दी जायगी और इस प्रकार की जमीन उपलब्ध हो इसलिये राजस्थान सरकार ने सीलिंग कमेटी की बात सोची। मैं सदन के सामने यह बताना चाहता हूँ कि हमारे सामने तीन बातें स्पष्ट रूप से आती हैं कि जिस व्यक्ति के पास प्रेजेंट होल्डिंग है उस पर मेग्जिमम होल्डिंग है (maxmium holding) फिक्स करें। दूसरी यह है कि दूसरे के पास से जमीन एक्वायर करके दूसरों को दी जाय, उस पर लिमिटस (सीमायें) तय करें।

कुछ जगह लिमिटस के रिजम्पशन की बात चली, कि पहला हक खातेदार का है कि वह सब टिनेन्ट से जमीन ले ले और बचे वह सब टीनेन्ट के पास रहे। पंजाब में इस प्रकार का प्रयत्न किया गया था तो इससे कई प्रकार की बेदखलियां हुई और कई तरह के कॉम्प्लीकेशन्स हुए। हमने यह नहीं रखा, यह रखा है किसब से पहले सब टीनेन्ट का प्रोटेक्शन किया जाय, उसके पास ज्यादा जमीन हो-तो फिर टिनेन्ट के पास जाय। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश हो और होल्डिंग्ज़ के बारे तय हो, इसके बीच के अर्से में सेल (विक्रय) और मुआवजे के जरिये बड़े होल्डिंज को रोका जाय और जो नये होल्डिंग्ज़ हों उन पर भी पाबन्दी लगा देनी चाहिये ताकि बड़े होल्डिंग्ज़ न हो सकें।

इन दोनों दिशाओं में किसी एक व्यक्ति के पास बड़े बड़े होल्डिंग्ज होने से सरकार रोकती है। एक तरफ सरकार उन व्यक्तियों को जमीन एलॉट नहीं करती जिनके पास पहले जमीन है। दूसरी तरफ सेल पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि ३० एकड़ इरिगेटेड और ६० एकड़ अन इरिगेटेड लेन्ड होनी चाहिये। इसके अलावा लेन्ड होल्डर्स के पास कितनी जमीन ज्यादा से ज्यादा रहनी चाहिये और उनके पास रहने की आवश्यकता है, उसके लिए सीलिंग कमेटी मुकर्रर कर दी है और वह जमीन की आवश्यकता को देखते हुए लेन्ड होल्डर्स के पास जमीन रखने का निश्चय करेगी।

माननीय चेयरमैन, मेरी इस राय से सभी सहमत होंगे कि हमारे देश में खेती के बारे में हमारे समाज में कितना व्यक्तिगत लगाव है। जितना व्यक्तिगत लगाव हमारे देश में खेती के सम्बन्ध में है, किसी दूसरी जगह नहीं। इसको कानून के जरिये कम करना है। एक आदमी जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है वह भी जमीन और लेने की कोशिश करेगा। इसको कानून के जरिये से ही कम किया जा सकता है और वह इसी तरीके से हो सकता है कि जब हम कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

लागू करें, जैसा कि चीन और रूस आदि में लागू है और जैसा कि हमारे मित्रों ने कहा है, लेकिन यहां पर हम इस चीज को लागू नहीं कर सकते। अगर हम उस चीज को यहां लागू करने जायेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में किसानों में पुराने जमाने की वही भावना चली जा रही है और वे कलेक्टिव फार्मिंग (collectiv farming) को डिस्करेज करते हैं और इसके लिये यह आवश्यक है कि कोआॅपरेटिव फार्मिंग की बातें इन लोगों को हम पहले समझायें। हम उन्हे राय दे सकते हैं। कानून के जरिये हम नहीं कह सकते कि फलां जगह के लोगों के लिये हमने फलां कोआॅपरेटिव फार्मिंग टाउन कायम कर दिया है और वे लोग वहां जा कर फार्मिंग करें। हम एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जिक्युटिव तौर पर उन्हें बेटर टर्म्स और बेटर कन्डीशन्स व फेसिलीटी दे सकते हैं जिससे लोग एक साथ उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित कर लें।

हमारे एक साथी ने कहा कि रेन्ट के सम्बन्ध में इस सारे एक्ट में कोई साफ प्रोवीजन नहीं। मैं यह कहना चाहूँगा कि यह टिनेन्सी बिल है, इसके बारे में लेन्ड रेवेन्यु बिल में विचार होकर युनीफिकेशन ऑफ रेन्ट कायम होगा और उसकी चर्चा हम रेवेन्यु बिल में करेंगे। उस रेवेन्यु बिल में इसका समावेश है, पर इस बिल में उन्हीं चीजों का समावेश किया है जो इससे सीधे सम्बन्धित हैं और रेवेन्यु बिल जब सामने आवेगा उस समय उस पर विचार किया जावेगा।

बहुत से व्यक्तियों ने कहा है कि इसमें खुदकाश्त राइटस की व्याख्या नहीं की गई है। खुदकाश्त राइट्स क्या हैं? यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि खुदकाश्त राइटस क्या हैं? मैं समझता हूँ कि बिल को देखने से आपको यह बिल्कुल साफ मालूम हो सकेगा कि हमने इसमें साफ प्रोवीजन किया है। जब जागीरें खत्म हो जाती हैं तो खुदकाश्त के राइटस तब्दील हो जाते हैं। जागीर रिजम्प्शन में जो खातेदारी राइटस हैं दूसरे लोगों के लिए वे ही जागीरदारी समाप्त होने पर भी लागू हो जाते हैं, और वे भी उसी केटेगरी (catogory) में आ जाते हैं और इसलिए इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं। इसके अलावा इस प्रकार की बातें कहना कि हम खुदकाश्त की चर्चा करते हैं और उसकी डेफिनिशन नहीं देना चाहते और कोई राइटस नहीं देना चाहते, यह ठीक नहीं होगा। मैं यह आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हमने खुदकाश्त के सम्बन्ध में कदम उठाया है और माननीय उपाध्यक्ष, हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। दरख्वास्तें मांग ली गई हैं और खुदकाश्त कमिश्नर एपोइन्ट कर दिया गया है। हम जागीर रिज़म्प्शन एक्ट को इम्पलीमेंट करना चाहते हैं। हमारे दिमाग में कोई बात ऐसी नहीं कि जो बातें हमने कही हैं उनका पालन नहीं किया जावे। हमने जो बातें कहीं हैं हम उनका पालन करेंगे।

एक बात यह कही गई कि बजाय केश रेन्ट के रेन्ट का काइन्ड में होना ज्यादा अच्छा है और यह काश्तकारों के हित में होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि काश्तकारों के हित में तो यह नहीं होगा, उल्टा काश्तकारों को इससे मुसीबत होगी। राजस्थान भर में हर जगह लोग इस बात की माँग करते हैं कि उनके यहाँ जो काइन्ड में रेन्ट है उसको केश रेन्ट में बदल दिया जावे। जहाँ पर केश रेन्ट नहीं है वहां पर रोजाना झगड़े होते हैं और जिस जगह केश रेन्ट कायम हो गया है वहां

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

पर किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है और वहाँ से किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। हाँ, यह बात जरूर है कि केश रेन्ट इन्ट्रोड्यूस होते समय जरूर कुछ दिक्कत रहती है। मगर पहले ही झगड़े होकर यह सब बातें तय हो जाती हैं और केश रेन्ट मुकर्रर हो जाने के बाद किसी प्रकार का झगड़ा नहीं रहता। जब केश रेन्ट एक बार फिक्साइड हो जाता है तो फिर काश्तकार समझ जाता है कि उसको क्या लगान देना है।

एक माननीय सदस्य ने जो कहा उसे सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि जागीरदारों के इलाकों में काश्तकारों ने ज्यादा तरक्की की है, बमुकाबले खालसा के गांवों के। हो सकता है, कुछ जागीरदारों ने अपने गाँवों की उन्नति के लिये स्वयं ने दिलचस्पी लेकर काम किया हो लेकिन आम तौर से आपको यह बात देखने को मिलेगी कि खालसे के गाँवों में किसानों ने ज्यादा उन्नति की है बनिस्पत जागीर के गाँवों के क्योंकि खालसे के गाँवों में रेन्ट नियत था और किसान को यह पूरा भरोसा था कि उसको उसकी जमीन से कोई भी बेदखल नहीं कर सकेगा इसलिये जमीन के इम्प्रूवमेंट आदि में खालसे के गाँवों में ज्यादा उन्नति हुई है। किन्तु जागीर के गाँवों में रहने वाले काश्तकारों को यह भरोसा नहीं था कि कब उन्हें उनकी जमीन से जागीरदार बेदखल करदे, इसलिये वे ज्यादा जमीन को इम्प्रूव नहीं करते थे।

डेफिनिशन के बारे में यह कहा गया है कि एग्रीकल्चरिस्ट और पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनिशन है इसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। जहां तक एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन का प्रश्न है, इस कानून में आपने आगे चल कर देखा होगा कि एग्रीकल्चरिस्ट को विशेष राइट नहीं है लेकिन पर्सनल कल्टीवेशन के बारे में जो डेफिनिशन है वह सारे हिन्दुस्तान में आमतौर से जो है वही डेफिनेशन रखी गई है और उसी आधार पर हमने इसको लिया है। इसके अलावा जब तक हम खेती में यह कल्पना करके चलते हैं कि खेती में लेबर की आवश्यकता रहती ही है, जो लोग स्वयं हल जोतते है उनको भी लेबर की जरूरत होती है। जमीन को साफ करते समय, हल जोतते समय व फसल काटते समय आदमियों की मदद लेते हैं। इस बात को लेकर चलना कि एग्रीकल्चर लेबर नहीं होगी यह बात ठीक नहीं। हर आदमी को एग्रीकल्चर लेबर की जरूरत होती है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, उस समय सोच-विचार किया जा सकेगा।

एक सदस्य ने कहा कि आर.पी.टी. ओ. रिपील होगा और जब आर पी.टी. ओ हट जायगा तो यह बिल भी हट जावेगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि आर.पी.टी.ओ. की मुख्य बातें इस बिल में मान ली गई हैं। यूटिलाईजेशन बिल पास किया है, इन चीजों को हटाना ठीक नहीं होगा; इसकी आवश्यकता रहेगी।

जागीरदारी एबोलिशन के बारे में चर्चा की गई और एक माननीय सदस्य ने बताया कि इस एक्ट में बहुत से कॉम्पलीकेशन्स नजर आते हैं और इसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जागीरदारी एबोलिशन अभी तक पास नहीं हुआ।

मैं सदन को यह सूचना देना चाहूँगा कि हम जमींदारी एबोलिशन बिल भी अगले सेशन में ले आयेंगे और इसमें उसकी वजह से कोई कॉम्प्लीकेशन हो, या और कोई बात हो तो ऐसी बात पैदा नहीं होती है। वह करना है। जमींदारी चालू रहे, यह तो ठीक नहीं है। उस बिल को तय कर लिया गया है, उसको एग्ज़ामिन किया जा रहा है और मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूँ कि उस बिल को अगले सेशन में निश्चित रूप से ले आया जायगा।

इजेक्टमेन्ट के बारे में एक बात कही गई है, जो वाजिब मालूम होती है। कहा गया है कि मौजूदा जो कानून है उसके मुताबिक इजेक्टमेन्ट करते हैं और इजेक्टमेन्ट करने के बाद और फैसला हो जाने के बाद फिर इजेक्टमेन्ट हो जाता है, इस तरह की चीज़ को रोकने के लिए कोई चीज़ सामने आनी चाहिए। पिनेल्टी नहीं होने से यह होता है, और पेनेल्टी नहीं होने से यह तरजीह मिलती है; मैं आपसे निवेदन करूं कि जब हम इस बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कस करें तब यह चीज़ ला सकते हैं। गवर्नमेन्ट यदि उपयुक्त बात होगी, उपयुक्त विचार होगा तो उनको स्थान देगी।

एक बात सिविल सर्वेन्टस के बारे में कही गई है। एक माननीय मित्र जो सिलेक्ट कमेटी के भी मेम्बर हैं उन्होंने उस पर जोर दिया कि यह धारा रहनी चाहिये, लेकिन वह धारा दरअसल है। उनकी बहस का जवाब देना आवश्यक नहीं। सिविल सर्वेन्टस को मौका दिया गया है कि वे सब-लेट कर सकते हैं। जब वे सब-लेट कर सकते हैं, सब-लेट करने की बात के खिलाफ कुछ मित्रों ने कहा कि नेवल एयर फोर्स, और मिलिटरी वालों को तो दे सकते हैं किन्तु सिविल सर्विस वालों को क्यों? कुछ बहस तलब बातें कानून में रखी हुई हैं जो आपके सामने हैं। मैं इस मौके पर बहस में पड़ना आवश्यक नहीं समझता। इस धारा को रखने का उद्देश्य यही है और इसलिए इस पर विशेष जोर दिया गया है कि बहुत से किसानों के लड़के ऐसे हो सकते हैं, आना चाहें, किन्तु यह धारा नहीं रही तो उनको गुन्जाइश नहीं रहती है सरकारी सर्विस में आने की और शहर वाले ही मोनोपोलाइज़ करते रहेंगे और काश्तकारों को सिविल सर्विस में आने का मौका नहीं रहेगा; इसलिए उन्हें भी मौका देना चाहिए और इसी ख्याल से सिलेक्ट कमेटी ने इसको स्वीकार किया है।

सबलेटिंग के सम्बन्ध में माननीय मित्र ने कहा कि सब लेटिंग पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिये। जो जितने टाइम पर देना चाहें दें। दूसरी तरफ यह कहा गया कि सबलेटिंग साफ नहीं है और इसमें सरकार की नीति साफ नहीं है। मैं आपको साफ कर दूँ। हमारे दिमाग में जो बात है वह यह है कि हो सकता है कि कुछ व्यक्ति सबलेटिंग न करने का सुझाव दें, उसके सामने कई दिक्कतें हों। कई यह कहते हैं कि सबलेटिंग करें। अधिक से अधिक खातेदारी जो दे सकते हैं उसकी लिमिट

Page No.79

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कर दी जाय जिससे सबलेटिंग मुनाफे की चीज न रहे और एक आफत के तौर पर या और कोई उसके पास मौका न होने से, दूसरों को सबलेट कर सके इसमें इतनी मात्र गुन्जाइश रहे। तीसरी चीज़ यह है कि उसका आधा हिस्सा, तिगुना, पाँच गुना का जो सिलसिला है उसको रोक देना चाहते हैं और सबलेटिंग मुनाफे की चीज न रहे वह इसमें ला करके सबलेटिंग को डिस्करेज कराया जायगा। मैं समझता हूँ कि वह चीज ठीक रहेगी। मामूली मुनाफे पर काम में जमीन आती रहे इसके बारे में इसमें गुन्जाइश छोड़ी गई है।

एक बात यह कही गई कि इस बिल में यू. पी. टीनेन्सी बिल को रिप्रोड्यूस कर दिया गया है। यह सही है कि इस बिल में बहुत-सी धारायें यू. पी. के कानून से ली गई हैं। किन्तु यहाँ की कन्डीशन्स को देखते हुए बहुत-सी चीजों का इसमें समावेश किया गया है। केवल उन्हीं का बेसिस लिया हो, यह नहीं माना जाना चाहिये।

रेज़ीडेन्शियल मकानों के लिए यह कहा गया है कि किसानों को फायदा हो, वे बना पाये, दूसरों को क्यों नहीं। मैं समझता हूँ कि टीनेन्ट, गैर खातेदार और सब-टीनेन्ट को अधिकार हो। यह चर्चा का विषय हो सकता है। अगर दूसरे आदमी रहते हैं तो उनको इस कानून के जरिये अधिकार मिला नहीं करते। काम उसका दरअसल खालसे से सम्बन्ध रखता है जो खेती का काम करता है। उनको ये अधिकार हों या न हों ? मैं समझता हूँ कि सब टीनेन्ट को वहाँ मकान बनाने के अधिकार होने चाहिए जहाँ कि वह सब टिनेन्ट का काम करता है। मुझे यह चीज उपयुक्त जंचती है क्योंकि वह कहीं न कहीं तो मकान बनायेगा। उसके लिए तो मकान बनाने का सवाल सामने आवेगा। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। इस बिल की धाराओं पर विचार करने लगें तो अलग अलग तौर पर विचार हो सकते हैं। उनको ख्याल में ला सकते हैं, उन पर निर्णय भी किए जा सकते है। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इस सम्बन्ध में जो भी वाजिब बातें होंगी और ऐसी बातें हों जो कि जरूरी हों, विचार करेंगे। हमने जागीर रिजम्प्शन एक्ट के पहले इस कानून को क्यों नहीं पास किया, हम उसको शोर्ट सरकिट कर देना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं तो इस तरह की कल्पना नहीं होनी चाहिए और हम उस तरह की चीज नहीं करना चाहते। किन्तु बिना किसी कन्फिलक्ट में पड़े हम मौका देना चाहते हैं कि सरकार जो वाजिब बातें होंगी उन पर निश्चित तौर पर विचार करेगी। जो भी सुझाव सदन के सामने आवेंगे, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उनके औचित्य पर सरकार अवश्य विचार करेगी। मैं इतना ही कह कर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ।

(राज्य-पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष—नोटिस औफिस में लिस्ट ऑफ बिजनेस कल के लिए मिलेगी, सदस्य

[श्री उपाध्यक्ष]

उसको ले लें।

आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल ८ बजे सुबह फिर अधिवेशन होगा।

(सदन की बैठक ११ बजकर ५७ मिनिट मध्यान्हपूर्व पर कल दिनाँक ३ अगस्त १९५४ के ८ बजे प्रातः तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२ अगस्त, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १२३५ का उत्तर देखिये)

तालिका

क्रम संख्या	नाम नगरपालिका	सहायता स्वीकृत
१.	बीकानेर	१,२४,०००
२.	जोधपुर	१,००,०००
३.	उदयपुर	७४,५५०
४.	डूंगरपुर	२६,०००
५.	जयपुर	१,५०,०००
६.	सवाई माधोपुर	३०,०००
७.	भरतपुर	३०,०००
८.	धौलपुर	२०,०००
९.	अलवर	४,०६५
१०.	बारां	१६,०००
११.	चित्तौड़गढ़	१६,३८५
		६,००,००० ।
		कर्जा स्वीकृत
१२.	अलवर	५,००,००० ।
१३.	उदयपुर	१,००,००० ।

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

१२३८. (१५८ / एल. एल. एम.) श्री धूलजी भाई भावसार, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३८—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) ग्राम पंचायत घांटोल, तहसील घांटोल, जिला बांसवाड़ा के मार्फत कुओं के लिये गत साल कितनी रकम स्वीकृत हुई थी ? उसमें कितनी खर्च की गई और बाकी रकम कब और किस कुए पर खर्च होगी ?

(ख) क्या यह सही है कि हरिजनों ने अपने जल-संकट निवारण हेतु श्रमदान में एक कुआ १२ फीट पहिले गहरा किया था ?

(ग) क्या यह सही है कि सेवा संघ परतापुर द्वारा रु० १००(एक सौ) की सहायता मिलने पर यह कुआ तीन तीन फीट और गहरा किया गया ? यदि उत्तर हां में हो, तो ग्राम पंचायत घांटोल ने बाद में कितना गहरा उस कुए को खुदवाया और सरकारी रकम कितनी खर्च हुई ?

उत्तर

(क) गत वर्ष घांटोल में बावड़ी की मरम्मत के लिये २००० रु० सरकारी सहायता स्वीकृत हुई थी, जिसमें से ६६६ रुपये का चुकारा अब तक हो चुका है। शेष रकम इस वर्ष खर्च की जावेगी और इसी बावड़ी के लिये खर्च होगी क्योंकि बावड़ी की मरम्मत के लिये ही स्वीकार हुई है।

(ख) ज्ञात नहीं, यहा से जो रकम स्वीकृत हुई है वह बावड़ी की मरम्मत हेतु है जो उसी में व्यय की जावेगी।

(ग) ऐसी कोई सूचना नहीं है।